Monday, 21 November, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit. Fumigated On [illegible] Parliament Library

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 21 नवम्बर, 1977/30 कार्तिक, 1899 (शक)
No. 6, Monday, November 21, 1977/Kartika 30, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
तमिलनाडु, पांडिचेरी और आन्ध्र प्रदेश में जन तथा सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में संकल्प	Resolution re. Loss of Life and Property in Tamil Nadu, Pondicherry and Andhra Pradesh	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS .	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 104	*Starred Question Nos. 101 to 104	1–13
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	Short Notice Question No. 2	13–14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 105 से 111 और 113 से 120	Starred Questions Nos. 105 to 111 and 113 to 120	14–23
अतारांकित प्रश्न संख्या 1001 से 1011, 1013, 1015 से 1083, 1085 से 1124, 1126, 1127 और 1129 से 1192	Unstarred Questions Nos. 1001 to 1011, 1013, 1015 to 1083, 1085 to 1124, 1126, 1127 and 1129 to 1192 . .	23–132
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	132–134
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	134
लोक लेखा समिति चौथा प्रतिवेदन	Public Accounts Committee, Fourth Report	134
दालें तथा खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के प्रस्तावित संशोधन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Proposed Amendment to Pulses & Edible Oils (Storage Control) Order, 1977	135–137
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	135
आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान के कारण जनहानि तथा फसलों और संपत्ति को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Loss of Human Lives and Damage to Crops and Property due to Cyclone in Andhra Pradesh . .	137–138
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh . . .	137

किसी नाम पर अंकित यह *इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign *marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
नव-बौद्धों द्वारा अनशन के बारे में	Re. Fast by Neo-Buddhists . .	138–140
स्मिथ, स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—पुरःस्थापित	Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill—*Introduced* . . .	140–141
स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance .	141
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	141
ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक-पुरःस्थापित	Gresham and Craven of India (Private) Limited (Aquisition and Transfer of Undertakings) Bill—Introduced . .	141
ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement re. Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance	141
कुमारी आभा मयतो	Kumari Abha Maiti	142
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित	Payment of Bonus (Amendment) Bill—Introduced	142
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Payment of Bonus (Amendment) Ordinance	142
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Verma	142
नियम 377 के अधीन मामले	Matter Under rule 377 . . .	142
(एक) महाराष्ट्र के कतिपय क्षेत्रों में सूखे और अकाल की स्थिति	(1) Drought and Famine situation in certain areas of Maharashtra . .	142
(दो) नई दिल्ली स्थित मिश्र के दूतावास पर फिलिस्तीनी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज	(2) Police Lathi charge on Palestinian students at Egyptian Embassy, New Delhi	143
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twentieth, Twenty-first and twenty second reports of Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes	143
और	And	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षित किये पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा।	Discussion on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services against reserved quota . . .	143
श्री भाऊसाहेब थोरट	Shri Bhausaheb Thorat	143
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	144
श्री आर० एल० पी० वर्मा	Shri R.L.P. Verma	145

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री पी० के० कोडियान	Shri P.K. Kodiyan .	145
श्री के० कुम्हम्बू	Shri K. Kunhambu	146
श्री आर० एल० कुरील	Shri R.L. Kureel	147
श्री एच० एन० पटवारी	Shri H.L. Patwary .	147
श्री छविराम अर्गल	Shri Chhabiram Argal	148
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram .	148
श्री अमर राय प्रधान	Shri Amar Roy Pradhan .	149
श्री एल० के० डोले	Shri L.K. Dolay .	149
श्री गोविन्द मुन्डा	Shri Govinda Munda	150
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri S.K. Sarkar	150
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	150
समुद्री तूफानों के कारण हुई हानि के लिए तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश को आपात राहत के बारे में वक्तव्य	Statement re. Emergency Relief to Tamil Nadu and Andhra Pradesh for losses due to cylcones	154
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agarwal	154
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान आकर्षक	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	154
नव-बौद्धों के लिये संरक्षण के बारे में मांगों के अनुसरण में रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के नेताओं द्वारा अनशन का समाचार	Reported Fast by leaders of Republican Party of India demanding safeguards for Neo-Buddhists. . . .	154
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Yashwantrao Chavan .	154
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . .	155
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai . . .	156
श्री अहसान जाफरी	Shri Ahasan Jafri .	157
श्री तुलसी दास दासप्पा	Shri Tulsidas Dasappa .	157
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	157-158

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 नवम्बर, 1977/30 कार्तिक 1899 (शक)
Monday, November 21, 1977/Kartika 30, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

तमिलनाडु, पांडिचेरी और आन्ध्र प्रदेश में जन तथा सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. LOSS OF LIFE AND PROPERTY IN TAMIL NADU, PONDICHERRY AND ANDHRA PRADESH

अध्यक्ष महोदय : कार्य आरम्भ करने से पूर्व मैं सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प रखता हूं:—

"यह सभा हाल के समुद्री तूफानों के कारण तमिलनाडु, पांडिचेरी और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों में हुई जन-धन की भारी हानि पर अपना गहरा खेद व्यक्त करती है और संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

The Resolution was adopted.

(सदस्य सम्मान प्रकट करने के लिये कुछ देर मौन खड़े रहे)
(The Members then stood in silence for a minute)

अध्यक्ष महोदय : सभा की अनुमति से मैं राज्यपालों और उप-राज्यपालों को इसकी सूचना देता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ANSWERS TO ORAL QUESTIONS

राजधानी में भीड़-भाड़ में कमी किया जाना

*101. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को राज्यों के अन्य कस्बों में स्थानान्तरित करने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है जिससे राजधानी में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) किन कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(घ) इन कार्यालयों को कब और कहां स्थानान्तरित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) : ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

Shri Durga Chand : The Hon. Minister has stated that there is a proposal under Government's consideration to shift some of the offices due to congestion here but is he aware of the fact that instead of shifting offices from Delhi many offices like the office of Registrar of Newspapers, Simla and the office of the Controller of Insurance, Simla were shifted to Delhi during the last two years? May I know the names of offices proposed to be shifted from here ?

Shri Sikander Bakht : On 13th June, 1957 it was decided that no office will be shifted to Delhi and no new office will be located in Delhi. It has been indicated in the report of the Estimates Committee that some offices may be shifted from here. A committee appointed in this regard recommended on 19-11-71 that the following offices will be shifted from Delhi :—

Directorate General of Archaeological Survey of India, Bureau of Correctional Services, Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Directorate of Military Land and Cantonment, National Fitness Corps and Directorate General of Light House and Light Shifts.

Action is being taken on this. An office building having carpet area of 0.65 lakhs sq. feet is under construction in Ghaziabad and it is expected to be completed by 1978. 200 residential units have also been constructed and another 300 units are expected to be completed by the end of 1978. Besides, other proposals are also there. Such as for Meerut, Alwar, Gurgaon etc. Offices are already functioning in Faridabad. Certain branches have been shifted to Mehrauli and Shahdara also with a view to reducing congestion in Delhi proper.

I require notice for the new offices mentioned.

Shri Durga Chand : May I know the various schemes formulated by Government to provide government accommodation to those class III and IV employees of Central Government, who have put in 10 to 20 years service and have not been allotted government accommodation ?

Shri Sikander Bakht : This does not arise out of it. In 1972 Government had made a commitment to construct 30,000 quarters for government employees. Out of these about 2,700 quarters have been constructed. We are making efforts to fulfil this commitment during the next 2 years.

Chaudhary Balbir Singh : If government offices are shifted from Delhi, the people will face great difficulty. If office buildings are to be build in Ghaziabad and other place why these cannot be built on land lying vacant around Delhi ?

Shri Sikander Bakht : Besides population problem there is a serious question of drinking water in Delhi. Keeping in view the present state of affairs. it is not possible to rehabilitate more people here. It has been decided to disperse offices from Delhi to reduce congestion.

श्री हितेन्द्र देसाई : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का कार्यालय कब शिफ्ट करने का प्रस्ताव है ?

श्री सिकन्दर बख्त : इस पर विचार किया जा रहा है। चूंकि जिस स्थान पर यह कार्यालय शिफ्ट किया जायेगा वहां पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है; मैं तारीख निर्धारित नहीं कर सकता।

Shri Om Prakash Tyagi : Is the Hon. Minister aware that in order to solve population problem in Bombay multi-storeyed buildings have been constructed by giving plots to Cooperative Societies instead of giving them to individuals so that one can have one's flat ? Will Government propose to allot plots to Cooperative Societies instead of individuals and construct buildings and make arrangements for their sale ?

Shri Sikander Bakht : This does not relate to the original question.

Shri Om Prakash Tyagi : I have asked whether multi-storeyed buildings will be constructed and flats will be allotted to people ?

Shri Sikander Bakht : The original question relates to shifting of certain offices from Delhi.

श्री के० एस० नारायण : क्या कुछ कार्यालयों को हैदराबाद, जो एक समय भारत की दूसरी राजधानी बनाई जाने वाली थी, ले जाने का कोई प्रस्ताव है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी निश्चित योजना है जिसके अनुसार ये कार्यालय शिफ्ट किये जा रहे हैं या ऐसा तदर्थ आधार पर किया जा रहा है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी कार्यालय को हैदराबाद ले जाने का प्रस्ताव है ?

श्री सिकन्दर बख्त : जी नहीं; इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

प्रो० आर० के० अमीन : नमक आयुक्त का कार्यालय जयपुर से गुजरात ले जाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह नमक आयुक्त का कार्यालय जयपुर से गुजरात ले जाने पर विचार करेंगे जहां पर देश का 60 प्रतिशत नमक उत्पादित होता है ?

श्री सिकन्दर बख्त : इस प्रश्न के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

*102. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये बहुत से शरणार्थियों ने, जो अब विभिन्न शिविरों में रहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसाया जाए;

(ख) यदि हां, तो उनको वहां बसाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने शरणार्थियों ने इन द्वीपों में बसने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(घ) क्या भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री ने वहां पर और लोगों के पुनर्वास की गुंजाइश का पता लगाने के लिये क्षेत्रीय अध्ययन करने हेतु संसद सदस्यों का एक दल भेजने की व्यवस्था की थी, और

(ङ) यदि हां, तो उस दल के निष्कर्ष क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपों में पुनर्वास के लिए केवल कुछ व्यक्तियों ने ही अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ख) चूंकि इन प्रवासियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मुख्य-भूमि में पुनर्वास देने का निश्चय किया गया है और अण्डमान और निकोबार द्वीपों में पुनर्वास की गुजाइंश पर प्रतिबन्ध है अतः इन व्यक्तियों को आगे इन द्वीपों में बसाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तावा कार्य-स्थल परियोजना के 43 प्रवासी; देवली शिविर के 290 प्रवासी (जो पहले ही बस चुके हैं और देवली शिविर बन्द कर दिया गया है) और डोलरिया कार्य-स्थल शिविर के 9 प्रवासी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री समर गुह : अभी परसों मैंने आचार्य कृपलानी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने जनता पार्टी के मंत्रियों को चेतावनी दी थी कि वे सचिवालय द्वारा उन्हें जो दस्तावेज दिये जाते हैं उन्हें आंख-मूंद कर हस्ताक्षर करने वाली मशीन न बन जायें। मेरा मतलब श्री सिकदर बख्त से नहीं लेकिन उनके माध्यम से, जिनके साथ मैं 1½ वर्ष तक जेल में रहा हूं, मैं सभी मंत्रियों को चेतावनी देना चाहता हूं। भाग (क) से भाग (ङ) तक दिये गये सभी उत्तर गलत और भ्रामक हैं। मैं स्वयं भूतपूर्व पाकिस्तान में ढाका नगर का रहने वाला हूं और वहां की जेलों में रहा हूं।

1965 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनी थी जो एक अन्तर्विभागीय दल था। उसमें पुनर्वास, वित्त, गृह, खाद्य और कृषि और सिंचाई मंत्रालयों के सचिव थे और 14 अन्य सदस्य थे। उसका मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास था। द्वीपसमूह में उन्हें बसाने के लिए संसाधन विकास योजना तैयार करना उसका कार्य था। लेकिन अब मंत्री जी इस बात से इन्कार कर रहे हैं। भूतपूर्व मंत्री श्री के० आर० गणेश ने अण्डमान द्वीप समूह में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास को रोकने का षडयंत्र रचा था।

पिछले 15 वर्षों से एक लाख तीस हजार से उपर लोग विभिन्न शिविरों में इधर-उधर घूम रहे हैं। जिस राज्य ने देश की स्वतन्त्रता में सर्वाधिक योगदान दिया उसी को दो भागों में बांट कर सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। क्या जनता सरकार भी पिछली सरकार की नीति पर चलेगी? मैंने लाखों व्यक्तियों की मिसालें देखी हैं वे सभी अण्डमान द्वीप समूह में बसना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर से सन्तुष्ट नहीं तो आप आधे घंटे की चर्चा के लिए कह सकते हैं। पर आप प्रश्न को चर्चा का रूप नहीं दे सकते।

श्री समर गुह : महोदय प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर बिल्कुल गलत है। मेरे प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर में उन्होंने जी नहीं कहा है जबकि 27 फरवरी, 1975 को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि चालू बजट सत्र के बाद संसद सदस्यों की द्वीप समूह की यात्रा की व्यवस्था की जा रही है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह निर्णय लिया गया है कि भूतपूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अण्डमान में न बसाया जाये। क्या यह निर्णय पुनर्वास मंत्रालय का है या मंत्रीमण्डल ने यह फैसला किया है?

अध्यक्ष महोदय : एक का निर्णय ही दूसरे का निर्णय है।

श्री सिकन्दर बख्त : मेरा उनके साथ जेल में रहने का अर्थ यह नहीं कि वह मेरे सचिवों के साथ या कर्मचारियों के साथ सम्बन्धों की जांच करें। वह अनुपूरक प्रश्न पूछें।

अध्यक्ष महोदय : वह निर्णय के बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मूल प्रश्न तो शरणार्थियों के पुनर्वास का है लेकिन अण्डमान और निकोबार में उन्हें बसाने पर जोर क्यों है? सरकार ने उन्हे मुख्य भूमि पर बसाने की जिम्मेवारी ली है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि पहले उन्हें अण्डमान में बसाने का निर्णय लिया गया था।

श्री सिकन्दर बख्त : जनता पार्टी के सत्ता में आने से बहुत पहले यह निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया गया था न कि मंत्रीमण्डल द्वारा।

श्री समर गुह : मंत्री जी ने कहा है कि प्रवासियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बसाया जायेगा जो 15—20 वर्षों तक जेलों में सड़ते रहे हैं। अभी तक जेल ही मेरे दिमाग में है।

श्री सिकन्दर बख्त : कृपया जेल से बाहर आ जायें।

श्री समर गुह : वे तो पहले ही अर्द्धपशु हो गये हैं। अब उन्होंने कहा है कि पुनर्वास योजना मैदानी भूमि पर ही लागू की जा सकती है। सरकार यह जानती है कि अण्डमान दण्डकारण्य, नैनीताल के क्षेत्र तथा आसाम को छोड़कर सभी पुनर्वास योजनायें पूर्णतः विफल रही हैं और पुनर्वास केम्पों से 95 प्रतिशत शरणार्थी पश्चिम बंगाल वापस चले गये हैं। अतः कहा गया है: सरकार इस पर क्यों जोर देती है जबकि बंगलादेश के समुद्रतटवर्ती क्षेत्र से आने वाले पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अण्डमान में पुनर्वास श्रेष्ठ लगा है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं। आपका प्रश्न क्या है?

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान 5 मार्च, 1974 को दिए गए उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया था कि 2000 परिवार अण्डमान में बसाये जायेंगे।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह यह कैसे कहते हैं कि यह निर्णय पिछली सरकार ने किया था? 1975 और 1974 के दौरान भी यही आश्वासन दिए गए हैं कि सरकार 5वीं योजना के अन्त तक 2000 परिवार अण्डमान द्वीप समूह में बसाये जायेंगे। अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य दिया है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक अध्ययन दल भेजा जायेगा जो इस बात की सम्भावना का अध्ययन करेगा कि क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अण्डमान में बसाया जा सकता है .....।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न यह है कि क्या वह अपने आश्वासनों के प्रति दृढ़ रहेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : जी नहीं, श्रीमान जी। अण्डमान में पूर्वी पाकिस्तान के और शरणार्थियों के पुनर्वास का मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री समर गुह : यह मामला विचाराधीन है। हम देखेंगे आप यह कैसे नहीं करते हैं। मैं आपको यह बताये देता हूं। मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्हें राष्ट्रीय नेताओं ने धोखा दिया है। मेरे साथ के लोगों की अत्यन्त शोचनीय दशा है। पिछली सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए गए वचन तथा मंत्रिमण्डल के निर्णय का उल्लंघन करने का मंत्री महोदय को क्या अधिकार है?

ये लोग 15 वर्ष से दयनीय स्थिति में हैं। 1,30,000 लोग शिविरों में जानवरों की तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

आप कहते हैं कि उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। यह षडयंत्र है। मैं भी देखता हूं कि यह कैसे नहीं होगा।

श्री समर मुखर्जी : मूल योजना के बारे में मेरे मित्र श्री गुह ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है।

शरणार्थी समस्या तथा आन्दोलन के साथ मेरा सीधा सम्बन्ध रहा है। पिछली सरकार के मंत्री से मेरी बात चीत हुई थी और उन्होंने यह मान लिया था कि एक संसदीय दल वहां जायेगा और वह अपनी रिपोर्ट देगा।

पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को अन्य राज्यों में बसाने की योजना बुरी तरह से असफल रही है। कुछ शरणार्थियों को लेकर मैं कभी मंत्रियों से मिलूंगा। उनकी यह मांग ह कि कुछ शरणार्थी तो पहले ही अण्डमान में बस गये हैं। इसलिए वे भी वहां जाना चाहते हैं।

यह योजना समाप्त कर दी गई है। मैं इसके कारण जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसका राजनीतिक कारण है, कोई दूसरा कारण नही है। संसद सदस्यों के शिष्टमण्डल को वहां जाने की अनुमति नही दी गई है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शिविरों में दयनीय स्थिति में रह रहे लाखों शरणार्थियों को बसाने की तात्कालिकता को दृष्टि में रखते हुए क्या वर्तमान सरकार पिछली सरकार के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है अथवा नहीं?

श्री सिकन्दर बख्त: मैं यह वक्तव्य पढ़कर सूनाता हूं जो पिछले मंत्री महोदय ने वहां दल भेजने के बारे में दिया था। वहां अध्ययन दल नहीं गया था। तत्कालीन मंत्री द्वारा लोक सभा में यह वक्तव्य दिया गया था:

> "लेकिन मैं अपने मित्र को यह पेशकश करता हूं। सभी लोग तैयार हैं और मैं भी उन्हें प्रोत्साहन दूंगा। उन्होंने मुझे बताया है कि वह अण्डमान जाना चाहता है। मैंने इसकी जांच कराई। इस समय विमान सेवा बन्द है और मौसम भी ठीक नहीं है। अप्रैल से बारिस आरम्भ हो जाती है। अतः यह मौसम समाप्त होने के बाद यदि वातावरण ठीक रहा और संचार व्यवस्था चालू हो गई तो जो वहां जाकर द्वीपसमूह को स्वयं देखना चाहते हैं कि वहां क्या लाभ है और क्या-क्या समस्याओं का वहां हमें सामना करना पड़ रहा है, उन्हें वहां भेजा जा सके। धन्यवाद।"

सलाहकार समिति के तीन सदस्य सर्वश्री छत्रपति अम्बेश, इसमाइल हुसैन खां, और बी० आर० मुण्डा फरवरी, 1976 में वहां गये थे। वे वहां से वापस आ गये और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश की थी?

श्री सिकन्दर बख्त : जी नहीं। पहली जनवरी, 1964 से 25 मार्च, 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान से 78,368 परिवार यहां आये थे। उनमें से केवल 12,520 परिवारों को बसाना बाकी रह गया है। 31 मार्च, 1977 को यह स्थिति थी।

अब तक 2600 परिवार और बसा दिए गये हैं। अब 10,000 से कम परिवारों को बसाना शेष रह गया है और हम उन्हें दण्डकारण्य परियोजना में बसाना चाहते हैं। उन्हें चरणवार बसाया जा रहा है। यदि आप चाहें तो मैं चरण-वार ब्यौरा दे सकता हूं।

पिछली सरकार ने अण्डमान और निकोबार के समेकित विकास का 1964 में निर्णय लिया था। बाद में इस निर्णय को बदल दिया गया। परिस्थितिवश यह निर्णय किया गया कि अण्डमान और निकोबार में बनों को और अधिक नहीं काटा जा सकता। अतः सरकार को इन शरणार्थियों को बसाने के लिए दूसरी योजना बनानी पड़ी।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती: मंत्री महोदय ने अभी अभी यह कहां से बताया है कि बहुत कम परिवारों को बसाना शेष रह गया है। मुझे यह बहुत गलत लगता है। मैं जानता हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में लोग

अमानवीय परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं । मैं मन्त्री महोदय से कहता हूं कि वह वहां जा कर स्वयं उनकी दशा को देखें। वे अभी तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं। क्या मंत्री महोदय देश का बंटवारा करने वाले और इस समस्या को पैदा करने वाले कांग्रेसी षडयंत्रकारियों की नीति को ठीक मानते हैं? यह घोषणा तो कांग्रेस सरकार ने की थी। उन्होंने पुनर्वास मंत्रालय ही तोड़ दिया था। क्या मंत्री महोदय वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये, श्री ज्योति बसु के रवैये, तथा पुनर्वास मंत्री श्री रतिक रंजन राय, जो श्री सिकन्दर बख्त से मिले थे और इस समस्या पर नये सिरे से विचार करने की मांग की थी, के रवैये को जानते हैं? सरकार की भावी विचारधारा क्या है?

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य पुराने विस्थापितों और नये विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में भ्रम पैदा कर रहे हैं। यह प्रश्न नये विस्थापितों के संबंध में है। जो उन्होंने अब कहा है वह पुराने विस्थापितों के बारे में कहा है, पहले से ही पश्चिम बंगाल में हैं। शेष पुनर्वास सुविधाओं का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसा पूर्वी बंगाल का शरणार्थी हूं। मैंने मंत्री महोदय का उत्तर देख लिया है। अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्वास कार्य पर पुनर्वास मंत्रालय ने 10 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि खर्च कर दी है। और केवल 1,200 परिवार बसाये गये हैं। मैं समझता हूं कि मूलतः 12,000 परिवारों को बसाने की योजना थी । बाद में घटा कर 6,600 परिवार कर दिए गए फिर बाद में परिस्थिति जन्य कारणों के आधार पर इसे और संकुचित कर दिया गया जैसा कि अभी बताया गया है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि केवल 2,500 परिवारों को वहां बसाया जा सकता है। मुझे भली प्रकार पता है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुराने वासी भी हैं। वहां के स्थानीय लोग भी हैं। वे भी भूमि की मांग कर रहे हैं। इसी कारण वश मूल पुनर्वास कार्यक्रम में यह निर्णय किया गया था कि केवल 25 प्रतिशत ली गई भूमि पुराने प्रवासियों में, जो भूमिहीन परिवार हैं, आबंटित की जायेगी। अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में हटाये ब्रैक-जल योजना के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर दी गई है। वहां सड़कें आदि बना दी गई हैं। पुनर्वास मंत्रालय के जनसम्पर्क एकक ने वहां कुछ भारी मशीनें भी लगा दी हैं। 10 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यदि पर्याप्त संख्या में परिवार नहीं बसाये गये तो यह योजना निष्फल रहेगी। केवल 500 परिवार ही बसाये गये हैं। उन्हें सामाजिक, डाक्टरी, शैक्षिक, आर्थिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। जब तक 2,000 परिवार और नहीं बसाये जायेंगे उन्हें ये सभी सुविधाएं प्राप्त कराना सम्भव नहीं है। अतः मैं इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि उन्हें सभी सुविधाएं दी जायें।

श्री सिकन्दर बख्त : वहां बसाये गये परिवारों को हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वहां और अधिक परिवार बसाये जायेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसाये गये परिवारों को जो भी सुविधाएं देनी आवश्यक थी, दे दी गई हैं।

Cheap Houses for Common Man by D.D.A.

***103. Shri Manoranjan Bhakta :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Development Authority has failed in providing cheap and adequate number of houses for common man;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) action taken to remedy the situation?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनोरंजन भक्त: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि गत सात मास में जनता पार्टी द्वारा सत्ता संभालने के बाद, दिल्ली में मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुये, क्या उन्होंने दिल्ली के क्षेत्रों में सारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया है?

श्री सिकन्दर बख्त: मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली में सारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है या मंत्रालय ने कोई निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया है।

श्री सिकन्दर बख्त : जी नहीं, कार्य बन्द नहीं किया गया है। इस समय कुछ मकान निर्माणाधीन हैं और मैं आपको उनकी संख्या बता सकता हूं। कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1600 मकान आबंटित किए जाने के लिए तैयार हैं और 2810 मकान जो बन रहे हैं, निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : आवास मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद आपने कौन सा नया निर्माण कार्य हाथ में लिया है।

श्री सिकन्दर बख्त: मेरे आने के बाद से कोई नया निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister belongs to Delhi. He knows that the population of Delhi grows at the rate of 1½ to 2 lakh people per year. Perhaps there in no capital city in the world where the population grows so fast. Even to maintain the status quo, three thousand tenaments should be constructed every year. But the position today is that the total number of tenaments constructed in the private sector and by D.D.A. are only 12,000 to 13,000. That means a shortage of 18,000 tenaments every year, besides the backlog that is already there. D.D.A. is in complete mess today. I want to know what steps have been taken to see that at least the backlog may not increase in Delhi and the people of Delhi may get cheap houses, conveniently.

Shri Sikander Bakht : The housing problem all over the country including Delhi is serious. It is very difficult for the Ministry to say by what time the demand for houses for the increasing population as well as the backlog can be met. But I can give an assurance that the Works Ministry is preparing a programme taking in view the overall picture of the whole country besides Delhi to ensure the availability of houses as early as possible. I may say that before long the Hon. Members will be realising that the housing problem of not only the people of Delhi but the whole country will be solved in a discernable way.

श्री कंवर लाल गुप्त: मेरा प्रश्न यह था : दिल्ली में चली आ रही स्थिति को देखते हुये इस समय मैं सारे भारत के बारे में नहीं, केवल दिल्ली के बारे में जानना चाहता हूं--सरकार क्या विशिष्ट कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार कर रही है? दिल्ली की क्या समस्या है और आप अब क्या कर रहे हैं?

Shri Sikander Bakht : The reply to 'what are you doing' has been given. The other question is about maintaining the status quo. We have decided that houses from the public fund will be constructed only for those who come in the income group of below Rs. 1,000. Besides, we are also dispersing the construction activity. We want to involve the cooperative societies to the maximum, we want to involve the private builders, so that these may be dispersal and there is less burden on resources and maximum number of houses could be made available.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Hon. Shri Kanwar Lal Gupta just now said that the population of Delhi is increasing and large number of people from the neighbouring areas have also migrated to Delhi. In view of this have the Ministry made any assessment

about the number of houses needed during the next five years and what would be the cost of the cheapest house ?

Shri Sikander Bakht : It is true that the population of Delhi was not checked from rising in spite of drastic implementation of sterilisation programme. The Hon. Member should consider the problem in this perspective that we will have to construct 50 lakh houses every year if we want to solve the housing problem of the country. The problem of Delhi should be seen from the same angle. That is why I did not give a definite reply as to whether the problem of cheap housing in Delhi will be solved or not. I have only stated that we will try to solve it to the maximum possible extent.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैंने पूछा है कि क्या उनके मंत्रालय ने इस बात का कोई तखमीना लगाया है कि अगले पांच सालों में दिल्ली में कितने सस्ते मकानों की आवश्यकता है और इन सस्ते मकानों की लागत क्या होगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : मकानों की लागत के बारे में इस समय स्थिति यह है.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आपने कोई तखमीना लगाया है।

श्री सिकन्दर बख्त : हम अभी किसी निश्चित तखमीने पर नहीं पहुंचे हैं।

Shri Nirmal Chand Jain : From the reply given by the Hon. Minister to Part (a) of the question, it would appear that the Government has been successful in providing cheap houses. One question that arises from this is what will the cost of that cheap house ? According to the notices we have received from the D.D.A., those with an income of Rs. 500 will be allotted houses costing Rs. 65,000. So, I want to know what is meant by a cheap house. How many houses have been built here and how many houses have been built in each income group and what is the cost of each type of house ?

श्री सिकन्दर बख्त : पहली चीज यह है कि मकानात की कीमत बैरी करती रही है पिछले दस वर्षों में अर्थात् 1968 और 1977 के बीच निर्माण लागत ढाई गुना बढ़ गयी है क्योंकि इमारती सामान के दाम बढ़ गये हैं। हमने इसमें कुछ कमी की है। यह विभागीय-शुल्क में की गयी है । निम्न आय ग्रुप के मकानों के विभागीय शुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और जनता मकानों का विभागीय शुल्क 11 प्रतिशत से घटा कर आठ प्रतिशत कर दिया गया है।

Shri Vijay Kumar Malhotra : I would like to bring to the notice of the Hon. Minister that 45,000 plots have been allotted to the cooperative societies, but they have not been given their possession. Twenty-five to thirty thousand additional plots can be made available by regularising the unauthorised colonies. Since you are going to permit the building activity, 25 to 30 thousand plots are such on which more than one lakh tenaments can be built. There should be no difficulty for the government or anyone else in this regard. It can be done if the D.D.A. allows the building activity. Will the Hon. Minister give an assurance that he will sort it out within one or two months and take such action as would accelerate the building activity so that tenaments could be available for the middle class and the low-income group people and the problem of housing in Delhi may be eased ?

Shri Sikander Bakht : I have already stated that the government is trying to involve the cooperative societies in the construction to the maximum.

कांग्रेस सोविनियर कमेटी और यूथ कांग्रेस को बंगला अलाट करना

*104. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस सोविनियर कमेटी और यूथ कांग्रेस को रायसीना रोड पर अलाट किया गया बंगला उन्हें स्थाई रूप से अलाट कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना किराया वसूल किया जा रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे खाली कराएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। बंगला नं० 5 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को 2392 रुपये प्रति मास की मार्किट दर के किराये पर आबंटित किया गया था जिसे 1-1-1977 से संशोधित कर 3156 रुपये प्रति मास कर दिया गया है। इस लाइसेंस विलेख को दिनांक 12-5-1977 के पत्र द्वारा रद्द कर दिया गया था।

(ग) परिसर को खाली कराने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विरुद्ध लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली की कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या यह सच है कि कांग्रेस कमेटी ने किराया नहीं दिया और यदि हां, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर बंगले का कितना किराया बकाया है और उनको नोटिस कब जारी किया गया था ?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे खेद है कि बकाया राशि के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : इस बारे में आप नोटिस मांग सकते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : नोटिस जारी कर दिये गये हैं। मैं आंकड़े अभी नहीं बता सकता।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मंत्री महोदय या तो नोटिस मांगे अथवा प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर देने से बचने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप मंत्री महोदय द्वारा सही उत्तर देने का तथा समुचित व्यवहार करने के लिए आग्रह करें।

श्री सिकन्दर बख्त : मेरे पास जानकारी नहीं है ? इसके लिए मुझे पूर्व सूचना अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास उत्तर तैयार होना चाहिए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आप मंत्री महोदय से कहें कि वह प्रश्नों से सम्बद्ध तथ्यों को लेकर आया करें। मन्त्री महोदय समय लेकर सभा को यथाशीघ्र तथ्यों से अवगत करायें।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये और इसे आगामी दिन की कार्यसूची में रखा जाये। वह जानना चाहते हैं कि कितनी राशि बकाया है। पहले भी सदन में ऐसा हो चुका है जब प्रश्न स्थगित किये गये हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कि कब नोटिस जारी किया गया था और कितनी राशि बकाया है, मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होते हैं जिनका उत्तर आप को देना चाहिए। यदि नोटिस आवश्यक है तो मैं प्रश्न को स्थगित कर देता हूं।

श्री सिकन्दर बख्त : प्रश्न के स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नोटिस जारी किये जाने की तारीख तथा बकाया राशि-संबंधी जानकारी दे रहा हूं।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : बकाया राशि कितनी है ? यह जानकारी मंत्री महोदय के पास नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या प्रश्न स्थगित कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्थगित नहीं किया गया।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वह कितने दिन में सभा को जानकारी दे देंगे।

श्री सिकन्दर बख्त : जैसा कि मैंने पहले बताया है बेदखली की कार्यवाही शुरू की गई है। सदस्य महोदय ने नोटिस जारी किये जाने की तारीख पूछी है जोकि मैं सभा को बता दूंगा।

श्री के० मालन्ना : अन्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों को भी फ्लैट दिये गये हैं। इस मामले में सरकार ने कांग्रेस के विरुद्ध राजनीतिक बदले की कार्यवाही की है। क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य कितने राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को फ्लैट दिये गये हैं और कितने मामलों में जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर किराये बदले गये हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : यदि मंत्री महोदय उत्तर पर ध्यान दें गे तो पायेंगे कि किराये 1 जनवरी, 1977 से संशोधित किये गये थे।

श्री के० मालन्ना : मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री सिकन्दर बख्त : इस आरोप के संदर्भ में कि जनता सरकार कांग्रेस के प्रति भेद-भाव बरत रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने फ्लैट कांग्रेस को दिये गये....

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न नहीं है।

श्री सिकन्दर बख्त : वास्तव में पिछली सरकार भेदभाव करती थी। उसे समाप्त करने के लिये कुछ कार्यवाही अपेक्षित है। मूल प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता कि अन्य संस्थाओं को कितने फ्लेट आदि दिये गये थे। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद किराये में संशोधन नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

क्या प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है। जी नहीं।

श्री सौगत राय : वह हमारे दल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं इसे बर्दास्त नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : परोक्ष रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है। आप नोटिस मांग सकते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : क्या प्रश्न जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद के समय से सम्बद्ध है?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् अन्य सामाजिक संगठनों को कितने भवन आबंटित किये गये तथा क्या उनके किराये संशोधित किये गये?

श्री सिकन्दर बख्त : आपने आदेश दे दिया है। यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। मुझे पूर्व सूचना अपेक्षित है।

श्री एल० के० डोले : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई क्योंकि बहुत से कांग्रेसी जन उस पार्टी में आ गये और इस समय की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि बहुत से व्यक्ति जनता पार्टी से कांग्रेस में जा सकते हैं क्या हमें इसे पूर्णता राजनीतिक आधार पर देखना चाहिए। क्या हमें स्थिति का निष्पक्ष अध्ययन नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बेशक यह प्रश्न किसी संगठन को आंबटित भवन के मामले का है, पर क्योंकि भेदभाव का प्रश्न उठाया गया है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को दक्षता-पूर्वक कार्य करने के लिए दिल्ली में कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, क्या सरकार कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने को तैयार है कि सभी राजनीतिक दलों की आवश्यकता कैसे आंकी जायेगी और उन सिद्धान्तों को सदन के समक्ष रखेगें ताकि इस मामले पर विचार के पश्चात् निर्णय लिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, सभी दलों के नेताओं से मिलकर विचार-विमर्श के पश्चात् निश्चय करें कि सभी राजनीतिक दलों को आवास कैसे दिया जा सकता है ?

श्री सिकन्दर बख्त : इस उद्देश्य के लिए पहले से ही एक सूत्र विद्यमान है। संसदीय पार्टियों को उसके अनुसार कार्यालय के लिए आवास दिये जाते हैं। एक संस्थान क्षेत्र है जहां पार्टियां स्वतन्त्रता से स्थान प्राप्त कर सकती हैं।

Shri Vijay Kumar Malhotra : Only congress party has been allotted accommodation. No other party has been allotted any accommodation.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल संसदीय दलों का नहीं अपितु राजनैतिक दलों का है। क्या आप उनके नेताओं से मिलकर विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के बिना संसदीय पार्टियां नहीं टिक सकती ?

श्री सिकन्दर बख्त : राजनीतिक पार्टियों को अपना आवास खोजना होता है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मेरा एक सुझाव है। मैं आप सबकी बैठक बुला कर विचार करूंगा।

Shrimati Mrinal Gore : Mention has been made here of two institutions belonging to the congress party but how many institutions were there which were allotted accommodation by the previous government and whether there were any guide lines for that ? Today leader of the opposition has asked for this. But were there any rules previously ? If the answer is in the affirmative, what were these rules or whether accommodation was allotted under those rules.

Shri Sikander Bakht : I can tell that 5 to 7 numbers of houses were allotted from General pool of Government officers and Members of Parliament. These are :

5, Dr. Rajender Prasad Road;

5, Raisina Road;

3, Raisina Road;

508, Sarojini Nagar;

708, Sarojini Nagar;

1-B, Maulana Azad Road;

9-D, Fire Brigade Road.

यह सभी बंगले कांग्रेस पार्टी को आबंटित किये गये थे। किसी अन्य दल को यह सुविधा नहीं दी गई थी। न केवल यही अपितु 3, रायसिना रोड और डा०राजेन्द्र प्रसाद रोड़ पर 2 एकड़ जमीन कांग्रेस पार्टी को 125 रु० प्रतिगज़ की दर से भूतपूर्व सरकार द्वारा बेची गयी थी। भारत की किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को ऐसी सुविधा नहीं दी गई (**व्यवधान**)

Shrimati Mrinal Gore : I had asked as to whether there were any rules laid down by the previous Government ?

Shri Sikander Bakht : There were no rules for allottment of accommodation to political parties.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Shri Yagya Dutt Sharma: I welcome your suggestion that the Hon. Minister should sit with him, but one thing should be made clear as to what is the existing position. How much accommodation is with the congress party and how much is with other parties.

श्री आर० मोहनारंगम : मंत्री महोदय ने बताया है कि बहुत से बंगले कांग्रेस पार्टी तथा उसके सम्बद्ध संगठनों को आबंटित किए गये थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जनता पार्टी को कोई बंगला दिया गया है।

श्री सिकन्दर बख्त : जनता पार्टी को कोई बंगला नहीं दिया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक बुलाई है तथा इस पर निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय नहीं विचार करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप विरोधी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगे। परन्तु सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई आवास देने को तैयार नहीं हैं। विरोधी दलों के नेताओं की बैठक बुलाये जाने के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मंत्री महोदय जब यह कहते हैं कि सरकार किसी भी राजनीतिक दल को बंगले देने के पक्ष में नहीं है और उन्हें स्वयं स्थान खोजने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक बुलाना कहां तक उचित है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के निर्णय के विरूद्ध अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाई करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय की इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। यह सरकार का कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था के प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा है कि मैं नेताओं को बातचीत के लिए बुलाऊंगा। अन्ततः निर्णय सरकार को करना है। मामले को महत्वपूर्ण समझते हुए मैंने बैठक बुलाई है।

श्री सौगत राय : मंत्री महोदय ने सही जानकारी नहीं दी है। 25, अशोक रोड़ जनता पार्टी को आबंटित किया गया है।

श्री सिकन्दर बख्त : यह गलत है। यह एक संसद सदस्य को आंबटित किया गया है, जनता पार्टी को नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उत्तर सही है। यदि यह सही नहीं है तो नियमानुसार आप अन्य कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री सौगत राय : मैं मामला अभी उठाता हूं। क्या ऐसे ही उत्तर दिये जायेंगे।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं ने बताया है कि जनता पार्टी को कोई मकान नहीं आबंटित किया गया।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

आन्ध्र प्रदेश में सूखा

अ०सू०प्र० 2. श्री पी०वी० नरसिंह राव : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य में व्याप्त सुखे की स्थिति के बारे में सूचना मिली है; और

(ख) स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए क्या अविलम्ब उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश ने सूचना दी है कि उन्होंने स्थिति की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेय जल तथा राहत सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए 4.65 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही मंजूर कर दी है। केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है कि जैसे ही राज्य सरकार के पास तथ्य उपलब्ध हो जायेंगे, वह स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजेगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : राज्य सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी है।

श्री भानू प्रताप सिंह : उन्होंने 20 करोड़ रुपए मांगें हैं। केन्द्रीय दल के दौरे के पश्चात् ही राशि तय की जायेंगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के पास सभी आंकड़े उपलब्ध हैं। क्या शीघ्र ही केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा जायेगा ?

श्री भानू प्रताप सिंह : जैसे ही राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होता है सरकार दल भेज देगी।

श्री के० सूर्यनारायण : बेशक आन्ध्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए मांगे हैं आपने 4.65 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं जो कि पहले ही वितरित किये जा चुके हैं। क्या उन्होंने वितरण का विवरण दिया है ?

श्री भानू प्रताप सिंह : 4.65 करोड़ रुपए राज्य सरकार के श्रोतों से वितरित किया गया। इसका विवरण भेजने की उन्हें आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय सिंचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

*105. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**
श्री एम०एन० गोविन्दन नायर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सिंचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु नीति तैयार करने के लिए सरकार ने राज्य सिंचाई मंत्रियों का दो दिन का सम्मेलन बुलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। राज्यों के सिंचाई मंत्रियों का तृतीय सम्मेलन 8 और 9 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) राज्यों के सिंचाई मंत्रियों का तृतीय सम्मेलन 8 और 9 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुआ था। एजन्डे की मदों में अन्य बातों के साथ छठी योजना की नीति, सूखा प्रवण, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, तथा सिंचाई प्राणालियों के आधुनिकीकरण, एवं दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने सम्बन्धी मदें शामिल थीं। सम्मेलन में सिंचाई के भावी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं पर सर्वसम्मत निश्चय किए गए। दीर्घकालीन योजना तैयार करने की आवश्यकता पर सहमति हुई और अगले पांच वर्षों में नदी बेसिनों के लिए विस्तृत व्यापक (मास्टर) योजनाओं को तैयार करने का निर्णय किया गया। अप्रैल, 1978 से आरंभ होने वाली अगली पंचवर्षीय योजना के सफ़लतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए अपनाई जाने वाली नीति पर मतैक्य था। 17 मिलियन हैक्टेयर क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव समझा गया, जिसमें बृहत्त और मध्यम सिंचाई परियोज़नाओं द्वारा 8 मिलियन हैक्टेयर और लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में 9 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता का सृजन करना शामिल है। राज्य सरकारों से निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने के लिए भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम तैयार करने, सुखा प्रवण तथा आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं को हाथ में लेने तथा सिंचाई विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अन्तर को न्यूनतम करने के लिए अनुरोध किया गया। जल के प्रयोग को इष्टतम करने के उद्देश्य से योजना-पूर्व अवधि की ओर पहले की योजनाओं की सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का निर्णय भी लिया गया। यह भी निर्णय किया गया था कि वर्तमान प्रणालियों के द्वारा सिंचाई के लिए जल की सप्लाई के लिए प्रचालनात्मक कार्यक्रम तैयार किए जाए और जल के दक्षतापूर्ण समुपयोजन में उत्तरोत्तर सुधार करने के उद्देश्य से उनका मानीटरिंग किया जाएं। सम्मेलन ने यह भी सिफ़ारिश की कि सिंचाई प्रणालियों के उपयुक्त एवं दक्षतापूर्ण प्रचालन हेतु सकल सिंचित क्षेत्र अथवा कृषि योग्य कमान क्षेत्र, जो भी अधिक हो, के लिए कम से कम 50 रुपये प्रति हैक्टेयर की वार्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी को सम्मिलित करना

*106. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन ने अपने आश्वासन के अनुसार गत 6 महीनों में 'कबड्डी' को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित कराने के लिये क्या प्रयास किये हैं ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से पता चला है कि ओलम्पिक्स में कोई नया खेल शामिल करने की मुख्य शर्तों में से एक शर्त यह है कि यह खेल कम से कम चालीस देशों और तीन महाद्वीपों में चालू करने हेतु स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अतः इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन इसी बीच "कबड्डी" को लोकप्रिय बना रहा है और उनका प्रस्ताव है कि 1982 में होने वाले अगले एशियाई खेलों में इसे प्रदर्शन खेल (डिमोन्स्ट्रेशन गेम) के रूप में शामिल किया जाए।

Celebration of birth day of Shri Sanjay Gandhi in D.M.S.

***107. Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Shri Sanjay Gandhi's birth day was celebrated by the Delhi Milk Scheme during emergency; and

(b) if so the expenditure incurred thereon and whether office also remained closed on that occasion ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir. Not by the D.M.S.

(b) The question does not arise.

कृषि ऋण तथा सहकारी समितियों पर एशियाई सम्मेलन

*108. **श्री के० लकप्पा :**

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1977 में नई दिल्ली में कृषि ऋण तथा सहकारी समितियों का पांच दिवसीय एशियाई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या यह निर्णय किया गया था कि ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ; और

(घ) इसमें कितने देशों ने भाग लिया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन ने कृषि ऋण तथा सहकारी सोसायटियों से संबंधित एशियाई सम्मेलन प्रायोजित किया जो 10 से 14 अक्टूबर, 1977 तक एशियाई तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र कृषि ऋण एसोसियेशन की पहली आम सभा के साथ-साथ आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के अलावा, अन्य 15 एशियाई देशों अर्थात् अफ़गानिस्तान, बंगला देश, फ़िजी, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया गणतंत्र, लाओस, मलेशिया, पाकिस्तान, मालद्वीप, नेपाल, फ़िलीपाइन्स, पश्चिमी समोआ तथा थाइलैंड ने भाग लिया। यह सम्मेलन कृषि ऋण तथा सहकारी सोसायटियों के क्षेत्र में एशियाई क्षेत्र के देशों के अनुभव का आदान-प्रदान करने और एशियाई तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कृषि ऋण एसोसियेशन गठित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को चार कार्यकारी दलों में बांटा गया। ये इनके बारे में थे :—(1) क्षेत्रीय एसोसियेशन का संविधान, उपनियम तथा उसे वित्त देना, (2) संगठनात्मक ऋण एजेंसियों जिनमें सहकारी सोसायटियां भी शामिल हैं, का गठन तथा ढांचा, (3) ग्राम विकास तथा छोटे किसानों के समर्थन में वित्तीय पद्धति में सुधार ; और (4) कार्मिकों का प्रशिक्षण। कार्यकारी दलों के इन विचार-विमर्शों के बाद सम्मेलन ने कृषि ऋण तथा ग्राम विकास के बारे में एक घोषणा पत्र स्वीकार किया जो अनुबन्ध 1 पर दिया गया है। सदस्य सरकारों तथा एशियाई क्षेत्र के केन्द्रीय बैंकों से एक संकल्प में अपील की गई कि गरीब ग्रामीणों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण संस्थाओं के प्रयासों में वित्तीय, तकनीकी तथा संगठनात्मक सहायता दी जाए और एक दीर्घकालीन शाखा विस्तार योजना शुरू की जाए ताकि 1990 तक किसी भी ग्रामीण को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 5 मील से अधिक न जाना पड़े।

विवरण

कृषि ऋण तथा ग्राम विकास के बारे में नई दिल्ली घोषणा पत्र—1977

एशियाई तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र कृषि ऋण एसोसियेशन की पहली आम सभा तथा कृषि ऋण और सहकारी सोसायटियों के बारे में तीसरा एशियाई सम्मेलन।

(क) अक्तूबर 1975 में रोम में हुए विश्व कृषि ऋण सम्मेलन की सिफारिश तथा क्षेत्रीय एसोसियेशन के संविधान के मसौदे की जांच करते हुए,

(ख) सहमत था कि विकसित देशों में तकनीकी सहयोग को कारगर बनाने के कृषि ऋण तथा सहकारी सोसायटियों से संबंधित एशियाई सम्मेलन के उद्देश्य को एशियाई क्षेत्र कृषि ऋण एसोसियेशन के माध्यम से सही रूप से पूरा किया जाएगा, इसके बाद इसे "एप्राका" कहा जाए ।

(ग) कृषि ऋण के क्षेत्र में ग्राम क्षेत्र व्यापी पहुंच के गठन को कारगर बनाने के लिए अलग अस्तित्व वाले एक स्वतंत्र क्षेत्रीय संगठन के महत्व को समझते हुए,

(घ) एशियाई तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र कृषि ऋण एसोसियेशन के गठन को बढ़ावा देने में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सराहते हुए,

(ङ) छोटे किसानों, जो एशिया में कृषि का मुख्य आधार हैं, तक कृषि ऋण कार्यक्रमों को पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि खाद्य तथा कृषि के बारे में मनीला घोषणा पत्र, 1976 में कहा गया था,

(च) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों और धनवान ग्रामीणों तथा गरीब ग्रामीणों में व्याप्त आर्थिक असमानताओं के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए सामाजिक विरोधों को नोट करते हुए और गहन चिन्ता व्यक्त करते हुए,

(छ) यह देखते हुए कि क्षेत्र में विभिन्न देश उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस समय विभिन्न कृषि ऋण कार्यक्रम चला रहे हैं ;

1. एशियाई क्षेत्र की सदस्य सरकारों तथा वित्तदायी संस्थाओं और खाद्य तथा कृषि संगठन से अनुरोध करता है कि वे एशियाई तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र कृषि ऋण एसोसियेशन की स्थापना तथा गठन में सभी संभव सहायता प्रदान करें ।

2. यह आवश्यक समझता है कि क्षेत्र के विकासशील देशों में सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली को ग्राम विकास, लघु किसान तथा भूमिहीन श्रमिक की पनपती हुई श्रेणी के समर्थन में पुनरुस्थापित करने की आवश्यकता है ।

3. यह आशा व्यक्त करता है कि--

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, आई० एफ० ए० डी०, ए० डी० बी० तथा एस० ए० सी० आर० ई० डी० के अन्तर्गत द्विपक्षिक सहायता एजेंसियां वर्तमान घोषणा के अनुसरण में ग्राम विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए कृषि ऋण संस्थाओं के माध्यम से अपने संसाधनों के अनुकूल अत्यधिक स्वीकारात्मक शर्तों पर अधिक से अधिक सहायता दें ।

(ख) सदस्य सरकार तथा एशियाई क्षेत्र के केन्द्रीय बैंक गरीब ग्रामीणों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण संस्थाओं के प्रयासों में वित्तीय, तकनीकी तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करेंगे और एक दीर्घकालीन शाखा विस्तार योजना शुरू करेंगे ताकि 1990 तक किसी भी ग्रामीण को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 5 मील से अधिक न जाना पड़े ।

4. यह संकल्प करता है कि सम्मेलन में भाग ले रही वित्तीय संस्थाएं तथा सरकारी तंत्र गरीब ग्रामीणों की समस्या को हल करने में सदस्य सरकारों के प्रयासों में अपनी अधिक से अधिक सहायता सुलभ करेंगे ।

खगड़िया को बचाने के लिए कोसी नदी पर तटबंध का निर्माण

*109. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने खगड़िया सब-डिविजन के पूर्वोत्तर भाग को बाढ़ से सुरक्षा के लिए कोसी नदी पर बादला से पहाड़पुर तक एक तटबंध के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रारूप और प्राक्कलन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि की व्यवस्था किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) बिहार को राज्य सरकार ने खगड़िया सब-डिविजन के 18000 हेक्टेयर क्षेत्र की बागमती और कोसी नदी की बाढ़ों से बचाने के लिए 239.67 लाख रुपए की लागत वाली एक संशोधित स्कीम सितम्बर, 1977 में भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की थी।

(ख) बाढ़ नियंत्रण राज्य सेक्टर का भाग है और बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के बारे में शुरूआत करने, उन्हें तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र राज्य सरकारों को योजनागत स्कीमों के लिए एकमुश्त ऋण और अनुदान प्रदान करता है और राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न स्कीमों के लिए धनराशि निर्धारित कर सकती हैं।

नारियल विकास बोर्ड

110. **श्री के० ए० राजन :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित नारियल विकास बोर्ड को अन्तिम रूप देते समय विचार करने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बोर्ड के गठन के बारे में इस समय तक कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार को सितम्बर, 1977 में (1) प्रस्तावित नारियल विकास बोर्ड के कार्यों, (2) इसके मुख्यालय के स्थान तथा (3) प्रस्तावित बोर्ड में सदस्यों के नामांकन के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे।

(ग) तथा (घ) सरकार ने सिद्धांत रूप में निर्णय किया है कि नारियल के विकास के लिये एक सांविधिक बोर्ड स्थापित किया जाए। यद्यपि बोर्ड के कार्यों का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है, किन्तु बोर्ड में सदस्यों के नामांकन अथवा इसके मुख्यालय के लिये स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

चीनी संबंधी नीति की घोषणा के बाद चीनी के मूल्यों में वृद्धि

*111. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977–78 के लिए चीनी संबंधी नीति की घोषणा के बाद चीनी के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चीनी के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) प्रमुख मंडियों में सितम्बर, 1977 के मध्य में चीनी के थोक मूल्य 411 रुपये से 455 रुपये प्रति क्विंटल के बीच जो भिन्न-भिन्न थे वह 27-10-1977 तक, जबकि 1977–78 मौसम के लिए चीनी नीति की घोषणा की गई थी, गिर कर 358 रुपये से 422 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हो गए और 4–11–1977 को मूल्य में आंशिक वृद्धि हुई और मूल्य 388 रुपये से 435 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए । तथापि, मूल्यों में कमी करने के लिए, 4-11-1977 को 15,000 मीटरी टन अतिरिक्त मुक्त बिक्री की चीनी को निर्मुक्त करने की घोषणा की गई जिसका मंडी में अच्छा प्रभाव पड़ा और 15-11-1977 को थोक मूल्य गिर कर 375 रुपये से 435 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए । पिछले वर्ष की तुलना में 29-10-1977 को समाप्त हुए सप्ताह में चीनी के थोक मूल्य लगभग 72 रुपये से 121 रुपये प्रति क्विंटल तक कम थे और खुदरा मूल्य लगभग 0.85 से 1.05 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम थे ।

2. सरकार ने चीनी के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के लिए कई एक उपाय किए हैं । वे हैं :—

(i) घरेलू खपत के लिए निर्मुक्तियों में पर्याप्त वृद्धि करना । मई और नवम्बर, 1977 के बीच, मुक्त बिक्री और लेवी चीनी की कुल निर्मुक्तियां क्रमश: 1.35 लाख मीटरी टन और 50,000 मीटरी टन तक अधिक थी ।

(ii) दिसम्बर, 1977 से राज्यों को लेवी आवंटन को किए जा रहे प्राय: 2.05 लाख के आवंटन से बढ़ाकर 2.71 लाख मीटरी टन (32 प्रतिशत तक) करना ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा सके और लेवी चीनी के वितरण के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार किया जा सके ; और

(iii) मुक्त बिक्री की चीनी से उत्पादन शुल्क को 17½ प्रतिशत तक कम करना ताकि चीनी के मूल्यों को लगभग 390/– रुपये प्रति क्विंटल पर बनाए रखा जा सके ।

नेहरू युवक केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यकरण

*113. **श्री एस० डी० सोम सुन्दरम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को युवकों की शक्ति को राष्ट्र निर्माण की उपयोगी गतिविधियों में लगाने के महत्व की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो नेहरू युवक केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकरण में स्फूर्ति लाने के लिए गत सात महीनों में क्या ठोस कार्यवाही की गई है जिससे विकास की प्रक्रिया पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हो ; और

(ग) इसको सुनिश्चित करने के लिये क्या सावधानी बरती गई है कि युवकों की शक्ति बेकार की राजनीतिक गतिविधियों में नष्ट न हो ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) जी, हां ।

(ख) तुरन्त किए गए उपाय ये हैं :—

(i) राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल किए जाने वाले कालेज छात्रों की संख्या को 2.78 लाख से बढ़ा कर 3.10 लाख करना ;

(ii) स्कूली शिक्षा के +2 स्तर पर भी राष्ट्रीय सेवा योजना को आरंभ करना ;

(iii) नेहरू युवक केन्द्रों की संख्या में नौ की वृद्धि ;

(iv) प्रत्येक नेहरू युवक केन्द्र के लिए निधियों का विनियोजन 62,000/– रुपये से बढ़ा कर 72,000/– रुपये कर दिया गया है ;

(v) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को तथा नेहरू युवक केन्द्र योजना के अन्तर्गत युवक समन्वयकों को दिए जाने वाले अनुस्थापन प्रशिक्षण में राष्ट-निर्माण कार्यकलापों पर और अधिक बल दिया जाता है ।

(ग) जबकि युवकों को लाभदायक कार्यकलापों में व्यस्त रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, माननीय सदस्य सहमत होंगे कि युवकों को बेकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए किसी प्रकार की सावधानी बरतने की व्यवस्था नहीं की जा सकती ।

जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट निर्माण

*114. **श्री ओ० पी० त्यागी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात् स्थिति के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट निर्माण आरम्भ किया था ;

(ख) क्या ऐसा नगर अधिनियम विनियमों के विरुद्ध किया जा रहा था ;

(ग) क्या तहखाने के निर्माण के लिए सुरंग छोड़ने के परिणामस्वरूप जामा मस्जिद को क्षति पहुंची है ; और

(घ) क्षति दूर करने तथा मस्जिद का सौन्दर्य बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । नगर कला आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था ।

(ग) कोई सुरंग नहीं खोदी गई थी । तहखाने की नींव से जामा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए "हर्जाने" का प्रश्न ही नहीं उठता । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुर्कमान गेट तथा जामा मस्जिद के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में किए गए कार्य का पुनरीक्षण करने तथा वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त उपाए सुझाने हेतु दिल्ली

विकास प्राधिरण ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था । इस दल ने मस्जिद के सौंदर्यपरक दृश्य तथा इसके पर्यावरण को सुधारने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों की जांच तथा अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग को भेजा गया है।

वर्षा के पानी का जमा किया जाना

115. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सब गांवों में, जहां वर्षा का पानी बह जाता है उसे जमा करने के लिए जलाशय बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई के प्रयोजन हेतु जलाशयों का निर्माण एक महत्वपूर्ण मद है। तथापि, इन जलाशयों के निर्माण की संभाव्यता उपयुक्त स्थलों की उपलब्धि, बह जाने वाले पर्याप्त बरसाती पानी आदि स्थानीय बातों पर निर्भर करती हैं। अगली योजना के दौरान इन परियोजनाओं सहित लघु सिंचाई कार्यक्रम को तेज करने का प्रस्ताव है। नए नर्माण कार्यों को तैयार करने के अलावा, इन निर्माण कार्यों के उचित रख-रखाव तथा मौजूदा परित्यक्त निर्माण कार्यों को फिर से ठीक-ठाक करने पर भी विशेष बल देने का प्रस्ताव है।

वर्षा के पानी को उपयोग में लाने के लिए जलाशय संरचनाएं भी मृदा संरक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल-विभाजन प्रबन्ध की नई नीति के तहत ऐसी सरचनाओं के निर्माण के कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्य को रोकने के उपाय

*116. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्री सुभाष आहूजा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्य पूरे जोरों पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण कार्यों को रोकने के लिए अब तक किए गए उपायों में क्या कमियां हैं; और

(ग) क्या सरकार इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनधिकृत निर्माण के मामलों के बारे में सूचना मिली है ।

(ख) तथा (ग) सरकार ने स्थानीय प्राधिकारणों को कड़े कदम उठाने तथा संबंधित कानूनों को प्रशासित करने संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कहा ।

निम्न आय वर्ग के लोगों को ऊंची दरों पर भूमि का बेचा जाना

*117. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नई रिहायशी बस्तियों में निम्न आय वर्ग के लोगों को दिल्ली विकास

प्राधिकरण द्वारा लाटरी निकाल कर ऊंची दरों पर रिहायशी प्लाटों के आबंटन के मामलों पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है और क्या निम्न आय वर्ग के उन व्यक्तियों को कुछ धनराशि वापस देने का विचार है जिनको, 100 वर्ग मीटर से छोटे प्लाट 96 रुपए प्रति मीटर के हिसाब के बेचे गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भूमि का यह मूल्य उचित समझती है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विभिन्न आकारों के प्लाटों की दरें लागत संरचना पर आधारित हैं । किन्तु इस संरचना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग)—(क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

समन्वित ग्रामीण विकास

*118. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास योजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है और उसके क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) क्या योजना के अब तक के कार्यकरण से ग्रामीण विकास में कोई अधिक सफलता प्राप्त होने की आशा बंधती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) ग्राम विकास विभाग द्वारा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक अर्थात् 76-77 तथा 77-78 में किया गया कुल व्यय 62.81 लाख रुपये है ।

यह योजना केवल महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में ही चलाई जा रही है और मंजूरी केवल 1976-77 के अन्त में दी गई थी । इसलिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त ठोस परिणामों का अभी मूल्यांकन करना संभव नहीं है ।

(ख) सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मूल समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में चुने जिलों के लिए संसाधन सूचियां तथा कार्यवाही योजनाएं तैयार करना एक काफी समय खपाने वाली प्रक्रिया थी और यह निर्णय लिया गया है कि इन आधारों पर आगे न बढ़ा जाए । ग्राम विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

महिलाओं के लिए तीसरी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता

*119. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के लिए तीसरी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 1977 में आयोजित की जायेगी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) 5.55 लाख रुपये।

मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन परियोजना के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

*120. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को वर्ष 1972 में विश्व बैंक की सहायता के लिए कोई मत्स्य पालन परियोजना प्रस्तुत की थी और क्या योजना अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है और विश्व बैंक से इसे स्वीकृति दिलाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) गत छः वर्षों में इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में विलम्ब होने के कया कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए 1972 में अन्तर्देशस्य मत्स्यकी के सम्बन्ध में एक परियोजना भेजी थी। क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्रालय का एक विशेषज्ञ दल मध्य प्रदेश भेजा गया था। विश्व बैंक प्रारम्भिक अभिज्ञान के लिए एक विशेषज्ञ को जुलाई, 1975 में भेज सका। सुझाव दिया गया था कि एक राज्य के लिए पृथक परियोजना भेजने की बजाय विश्व बैंक की सहायता हेतु डिम्पपोना उत्पादन एवं अंतर्देशस्य मात्स्यकी विकास का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त होगा। ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करते समय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना को ध्यान में रखेगी।

मकानों की कमी को दूर करने में जीवन बीमा निगम की भूमिका

1001. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे देश में मकानों के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभायें ; और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर मकानों की कमी को दूर करने के लिए इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री **(श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) तथा (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम आवास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 31 मार्च, 1977 तक जीवन बीमा निगम ने राज्य सरकारों, एपेक्स सहकारी आवास वित्त संस्थाओं आदि को आवास के लिए ऋण के रूप में लगभग 729 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसके अलावा जीवन बीमा निगम ने अपनी अन्य योजनाओं के अधीन आवास कार्यक्रम को बढ़ाना देने के लिए 31 मार्च, 1977 तक लगभग 147 करोड़ रुपये की ऋण के रूप में सहायता दी है।

जीवन बीमा निगम के अलावा आवास तथा नगर विकास निगम भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। आवास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु हाल ही में बम्बई में आवास विकास वित्त निगम की स्थापना की गई है।

हीराकुंड बांध जलाशय

1002. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक परिवहन और मत्स्य पालन के लिए हीराकुंड बांध जलाशय का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है,; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना धन आबंटित किया गया है तथा इसको कार्यरूप देने की संभावित तिथि क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Central aid to Madhya Pradesh for showing Kharif Crop

1003. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether Government are considering a scheme for providing proper assistance to Government of Madhya Pradesh for bringing such areas of land where rabi crop is reaped generally but which lie without sowing in kharif season; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A Centrally Sponsored Scheme with an outlay of Rs. 8.0 lakhs for 1977-78 was sanctioned to the Govt. of Madhya Pradesh for an operational project. The object of this project is to identify suitable technology to develop such problem areas.

A proposal to develop large areas is under formulation by the State Government.

गृह निर्माण वित्त निगम, बम्बई

1004. **श्री पी० एस० रामलिंगम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में स्थापित किये गये गृह निर्माण वित्त निगम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इस निगम और आवास तथा शहरी विकास निगम के बीच कृत्यों का सही सीमा निर्धारण क्या है ;

(ग) इसकी कार्य पूंजी, भावी योजनायें, प्रस्तावित ऋण सहायता और कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या निगम का विचार शीघ्र निपटान संबंधी सुविधा के लिये सभी राज्यों में अपने कार्यालय खोलने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास विकास वित्त निगम लि० 17-10-77 को बम्बई में पंजीकृत किया गया था। इस निगम का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी आवास के लिए व्यक्तियों, ग्रुपों, कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं को ऋण देना है।

(ख) इस नए निगम के कार्य आवास तथा नगर विकास निगम की गतिविधियों के परिपूरक होंगे और विशेषकर पृथक्-पृथक् व्यक्तियों को रिहायशी आवास के लिए वित्त-व्यवस्था करने के क्षेत्र में

आवास तथा नगर विकास निगम मुख्यतया राज्य आवास बोर्डों तथा अन्य एजेन्सियों के लिए वित्त-व्यवस्था करने वाली एक संस्था के रूप में कार्य करता है, जबकि आवास विकास वित्त निगम भावी मकान मालिकों के लिए सीधे वित्त-व्यवस्था भी करेगा।

(ग) आवास विकास वित्त-निगम के पास आरम्भ में 25 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी होगी तथा 10 करोड़ रुपये के प्रेषित, अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर पूंजी होगी। साम्या पूंजी के अंशदान की व्यवस्था कम्पनियों, निगमों तथा पृथक्-पृथक् व्यक्तियों से सार्वजनिक रूप से की जा रही है। ऐसा शीघ्र ही किए जाने की आशा है। यह निगम प्रस्तावों के मूल्यांकन, आर्थिक सहायता के वितरण तथा ऋण की वसूली के लिए प्रक्रियाएं तैयार करेगा। इसी प्रकार के संगठनों में लागू प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद ही यह प्रणाली तैयार की जाएगी। इस निगम ने कार्य करना अभी आरम्भ नहीं किया है।

(घ) यह निगम देश के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों की देखभाल के लिए आरम्भ में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा।

मिजोरम को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई

1005. **डा० आर० रोथुआम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को थिंगटम अकाल (बांस की एक बड़ी किस्म में फूल आना) के कारण आने वाली भावी खाद्य संकट की जानकारी है, जो इस वर्ष उत्पन्न हो रहा है और जिसकी वजह से सम्पूर्ण मिजोरम में फसल पूरी तरह से चौपट हो रही है, क्योंकि चूहे फसल नष्ट कर देते हैं जो रातों रात कई गुना बढ़ जाते हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस विशिष्ट स्थिति की जानकारी है जो मिजोरम में एक चक्रीय गति से हो रही है और 1960 से (मौटम अकाल सामान्य किस्म के बांस में फूल आना) जिस पर गलत ढंग से कार्यवाही करने के कारण वर्तमान भूमिगत आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो मिजोरम में होने वाले खाद्य तथा अन्य वस्तुओं के संकट से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। मिज़ोरम के कुछ भागों में बांस में फूल आने की दृष्टि से और पिछले अनुभव के आधार पर यह मालूम होता है कि चूहों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

(ख) 1959 में असम राज्य के तत्कालीन मिज़ो पहाड़ी जिलों को अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ा था और अन्य संगठनों, जोकि उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बनाए गये थे, में मिज़ो राष्ट्रीय अकाल मोर्चा नामक एक संगठन बनाया गया था जिसने बाद में स्वयं अपना नाम बदल कर "मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चा" रख लिया और मिज़ोरम की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आन्दोलन किया।

(ग) समूचे मिज़ोरम में चूहे के उत्पात को रोकने के लिए सभी सम्भव उपाया किए जा रहे हैं। इस में कई प्रकार के पिंजड़ों और चूहे मारने वाली दवाईयों का प्रयोग शामिल है। आशा है कि केन्द्र से प्राप्त तकनीकी सलाह और वित्तीय सहायता से राज्य सरकार चूहों के सम्भावी प्रकोप को टालने और फसल की प्रत्याशित क्षति को रोकने में समर्थ हो सकेगी। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सशक्त किया जा रहा है और स्टाक स्थिति सुगम होने की दृष्टि में राज्य सरकार ने खाद्यान्नों के आबंटन के लिये जो अपनी आवश्यकताएं बताई हैं उन्हें पूरी तरह पूरा किया जा रहा है।

भगत सिंह मार्केट, नई दिल्ली में बरामदों को दुकानों में बदला जाना

1006. **श्री डी० जी० गवई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मार्केटों के बरामदों पर दुकानदारों के अवैध कब्जे को समाप्त कर दिया गया था और उन्हें सार्वजनिक रास्ते घोषित कर दिया गया था;

(ख) क्या हाल में हुए संसदीय चुनावों के बाद नई दिल्ली में भगत सिंह मार्केट और अन्य क्षेत्रों में अधिकांश दुकानदारों ने सार्वजनिक बरामदों पर निर्माण करके उन्हें दुकानों का रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सार्वजनिक हित में बरामदों पर अनधिकृत कब्जा और उस पर निर्माण को हटाने के लिए कार्यवाही की जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भगत सिंह मार्कीट तथा खान मार्कीट के काफी दुकानदारों ने बरामदों को अनधिकृत रूप से घेरा हुआ है तथा उनमें दुकानें बना ली हैं। नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा संबंधित दुकानदारों को कानून के अधीन अपेक्षित उपयुक्त नोटिस जारी किए गए थे। इन दोषी दुकानदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कर दीं जिससे कमेटी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके और रोकादेश के लिए यह मामला न्यायाधीन है।

छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित्त किए गए स्मारकों का संरक्षण

1007. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित किये गये बहुत से किले प्राचीन हैं और ऐतिहासिक स्मारक हैं तथा इनमें बहुत-से किले जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्मारकों के संरक्षण के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित या परिवर्द्धित बहुत से राष्ट्रीय महत्व के किलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इन किलों का संरक्षण एक सततगामी प्रक्रिया है और इनकी मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में रायगढ़, शिवनेरी, पन्हाला, विजयदुर्ग जैसे अधिक महत्वपूर्ण किलों में व्यापक रूप से इमारती मरम्मत का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेन्टर, त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही

1008. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री ट्यूबर क्राप्स रिसर्च सेन्टर, त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 25 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 608 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम के निदेशक के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस मामले में सरकार का विचार आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सी०बी० आई० की रिपोर्ट में केन्द्रीय कंद वर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम के निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच अब विभागीय जांचों के आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली द्वारा की जा रही है।

Publication of Manuals, Codes etc., in Hindi by the Ministry of Works and Housing

1009. **Shri Mohan Lal Pipil** : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the names of manuals, codes, books containing rules, etc., prepared in his Ministry and when were they published last;

(b) whether these manuals, codes, etc., are required to be published in Hindi also in accordance with the policy of official languages; and

(c) if so, the number of books published in Hindi and the reasons for not publishing the remaining books in Hindi ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid down on the Table of the Sabha.

गृह निर्माण, अग्रिम राशि देने के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

1010. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :**

श्री रामानन्द तिवारी :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-10-1977 को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों द्वारा भेजे गए गृह निर्माण अग्रिम राशि की स्वीकृति के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र उनके मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं;

(ख) ये आवेदन-पत्र कब से निर्णय के लिए विचाराधीन हैं और इन सभी आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों को निपटाने में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) लगभग दो हजार।

(ख) तथा (ग) गृह निर्माण अग्रिम के लिए प्रथम बार आवेदन देने वालों में से केवल 257 आवेदन-पत्र 1-10-1977 से पहले की अवधि के हैं जिनमें से कुछ आवेदन मार्च-अप्रैल, 1977 के हैं।

अग्रिम में वृद्धि करने सम्बन्धी अनुरोधों के बारे कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती क्योंकि कई मामलों में ऐसे अनुरोध बारम्बार पुनः विचारार्थ वापस आते रहते हैं। इनमें से कुछ आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से निलम्बित हैं।

Reduction in the Prices of Fertilisers

1011. **Shri Chandradeo Prasad Verma :**

Shri Vayalar Ravi :

Shri Gananath Pradhan :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to reduce the price of fertilisers; and

(b) if so, from what date and to which extent it will be reduced ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) :(a) and (b) The retail price of Urea has been recently reduced by Rs. 100 per metric ton from Rs. 1650 per tonne to Rs. 1550 per metric ton with effect from 12th October 1977.

Sale of Pulses by F.C.I.

1013. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total stocks of pulses with the Food Corporation of India as on the 31st October, 1977;

(b) whether the Food Corporation of India sells these stocks at cheap prices; and

(c) if so, the sale price of the different pulses and the agency through which the same are distributed ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The total stocks of pulses held by Food Corporation of India as on 31-10-1977 were 452.5 tonnes.

(b) and (c) The Food Corporation of India do not normally sell pulses to private trade/State Governments or for public distribution. The transactions relating to pulses of the Food Corporation of India are confined to meet the requirements of defence services.

धमरा में मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण

1015. **श्री जेना बैरागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले में धमरा मत्स्य बन्दरगाह बैतरणी, बाह्मणी और सालन्दी नदियों के संगम में निर्मित की जा रही है;

(ख) क्या परियोजना स्थल को जोड़ती हुई सड़क निर्मित की जायेगी ताकि एक छोर बासुदेबौर (बरास्ता कैथ खोल। जो बासुदेवपुर पी०एस० के अन्तर्गत है) और दूसरा छोर चांदवाली पत्तन के बीच परिवहन संबंधी सुविधा दी जा सके;

(ग) क्या चांदवाली पत्तन के साथ धमरा मत्स्य बन्दरगाह को जोड़ने के लिए कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए केन्द्रीय सहायता की ऐसी कोई योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बसुदेबपुर से धमरा तक सड़क के विकास का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

दिल्ली में पेय जल की सप्लाई व्यवस्था की तोड़-फोड़

1016. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की जल सप्लाई व्यवस्था की तोड़-फोड़ करने का प्रयास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है अथवा नहीं; और

(ग) क्या सरकार ने तोड़-फोड़ के उद्देश्य का पता लगाने के लिए कोई जांच की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) पानी की पाइप लाइनों में गड़बड़ी करने की सभी घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्टें पुलिस थानों में दर्ज की गईं और उनकी पुलिस जांच कर रही है। जांच पूरी होने पर ही जलपूर्ति में गड़बड़ी के उद्देश्य का पता चल सकेगा।

चीनी के नये कारखानों की स्थापना करना

1017. **श्री निहार लास्कर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी के कितने नये कारखानों की स्थापना की जायेगी; और

(ख) इन कारखानों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) देश में चीनी वर्ष 1977-78 (पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर) के दौरान 18 नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की संभावना है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इन चीनी फैक्ट्रियों के स्थानों जहां ये स्थापित की जानी है, का ब्यौरा दिया गया है।

चीनी वर्ष 1977-78 (अक्तूबर 1 से सितम्बर 30, 1978) के दौरान जिन स्थानों पर नई चीनी फैक्ट्रियों के स्थापित किये जाने संभावना की है उनके बारे में विवरण।

विवरण

क्रम संख्या	लाइसेंस के अनुसार फैक्ट्री का स्थान
1	2
महाराष्ट्र :	
1.	तालुक चांदगढ़ जिला कोल्हापुर।
2.	रनवाड, तालुक निपाड़, जिला नासिक।
3.	पालसे, जिला नासिक।

1	2

4. गयोरई, जिला भीर।

5. स्रेदगांव तालुक दिनदोरी, जिला नासिक।

गुजरात :

6. तलाला, जिला जूनागढ़।

कर्नाटक :

7. बुदीहल, तालुक रायबाग, जिला बेलगांव।

8. डोडाबाती, तालुक देवनगेरे, जिला चित्रदुर्ग।

आन्ध्र प्रदेश :

9. रेनीगुंटा, जिला चित्तूर।

उत्तर प्रदेश :

10. छत्ता, जिला मथुरा।

11. नन्दगंज, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर।

12. चांदेपुर, जिला बिजनौर।

13. बदायूं।

14. बिसालपुर, जिला पीलीभीत।

15. अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर।

16. बिलासपुर, जिला रामपुर।

17. गांव बुधपुर, रामला, जिला मेरठ।

तमिलनाडु :

18. पेरम्बलूर, जिला तिरुचिरापल्ली।

नशाबन्दी के कारण बेरोजगारी

1018. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूर्ण नशाबन्दी को लागू करने के परिणाम स्वरूप अनुमानत : कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे, और

(ख) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकारों द्वारा कितनी गति और किस ढंग से मद्य निषेध की नीति को लागू किया जाएगा। इसलिए पूर्ण मद्य निषेध को लागू करने के परिणामस्वरूप बेरोज़गार होने वाले व्यक्तियों की ठीक संख्या का अंदाजा इस समय नहीं लगाया जा सकता है।

(ख) मद्य निषेध का विषय राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होने के कारण इस सम्बन्ध में कदम उन्हीं के द्वारा उठाए जाएंगे।

Scheme for Purifying River Water for Human Consumption

1019. **Shri Hukamdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the health of the people is adversely affected due to the discharge of urban sewers in the rivers; and

(b) if so, the scheme under consideration of Government for purifying the river water for human consumption ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India, have already enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 for prevention and control of Water pollution and maintenance of the wholesomeness of the river waters. The Central and State Water Pollution Control Boards established under this Act are taking necessary action to control and abate water pollution.

Under the National Water Supply and Sanitation Programme, the Government is taking steps to ensure that all the urban areas have protected water supply. In the rural areas an Accelarated Rural Water Supply Programme has been launched this year in addi tion to State Government's efforts to achieve this objective.

चीनी

1020. **श्री के० एन० दास गुप्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार चीनी के कुल उत्पादन में से लेवी चीनी के रूप में कारखानों से कितने प्रतिशत चीनी वसूल करती है ;

(ख) लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है ; और क्या लेवी चीनी का मूल्य वास्तविक औसत उत्पादन लागत से कम है;

(ग) गत वर्ष लेवी तथा खुली दोनों श्रेणियों की कुल चीनी की प्रति क्विन्टल औसत उत्पादन-लागत कितनी थी;

(घ) (एक) खुली चीनी तथा (दो) लेवी चीनी पर उत्पाद-शुल्क की यथा मूल्य, वर्तमान दरें क्या हैं; और

(ङ) पिछले मौसम में कुल कितने टन चीनी का उत्पादन हुआ और कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी के कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत ।

(ख) टैरिफ आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों और उनके द्वारा बताए गये रूपान्तरण प्रभारों की अनुसूची के अनुसार चीनी की उत्पादन लागत निश्चित की जाती है। इस समय लागू लेवी चीनी के मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित रूपांतरण प्रभारों की अनुसूची तथा ब्यूरो द्वारा की गई अद्यतन वृद्धि के आधार पर औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर निश्चित किया गया है। इस सम्बन्ध में जो पद्धति अपनाई गई थी वह यह है कि दिए जाने वाले सम्भावी गन्ने के वास्तविक मूल्यों पर आधारित उत्पादन लागत का पहले जोनवार अन्दाजा लगाया गया था, और बाद में, प्रत्येक जोन में चीनी फैक्ट्रियों के हिस्से में आने वाली 35 प्रतिशत लेवी चीनी से प्रत्याशि

प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए 65 प्रतिशत के लेवी चीनी के मूल्य का हिसाब लगाया गया था। लेवी मूल्य अपने स्वरूप के अनुसार वास्तविक औसत उत्पादन लागत से कम होते हैं और उन्हें इससे कम होना चाहिए।

(ग) 1975-76 मौसम के लिए समस्त चीनी, लेवी और लेवी मुक्त दोनों का अखिल भारत औसत उत्पादन लागत का औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अभिस्तावित जोनवार मूल्य के आधार पर जो हिसाब लगाया गया था वह डी-29 ग्रेड के लिए उत्पादन शुल्क को छोड़कर, 215 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास बैठता है।

(घ) मुक्त बिकी की चीनी पर मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क की वर्तमान दर, जोकि 16-11-77 से लागू होती है, टैरिफ मूल्य का 27.5 प्रतिशत है और लेवी चीनी के बारे में निकासी मूल्य का 12.5 प्रतिशत है, जिसमें बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क शामिल है।

(ङ) पिछले मौसम अर्थात् 1976-77 के दौरान 48.43 लाख मीटरी टन चीनी का कुल उत्पादन हुआ था और चीनी उद्योग की चीनी की कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 51.65 लाख मीटरी टन थी।

चीनी पर नियंत्रण समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का सुझाव

1021. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चीनी पर नियंत्रण समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा है और क्या ऐसा सुझाव अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों से तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से चीनी पर से नियंत्रण हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) प्रस्तावों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद और सभी पहलुओं तथा जनता के विभिन्न वर्गों की सम्भावी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति जारी रखने का हाल ही में निर्णय लिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लेवी चीनी के वितरण करने पर समान बल दिया गया है।

Unauthorised Construction by Shopkeepers in Delhi

1922. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether after the revocation of Emergency, Jhuggies are being put up again in the colonies such as Kingsway Camp and Ramakrishna Puram in Delhi and the vacant space in front of the shops in the Government Colony markets are being rented out or being used by installing ovens or putting tables and chairs for the customers resulting in insanitation there; and

(b) if so, the reasons why no action is being taken by Government and the sanitation staff against them ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Jhuggies have come up in some parts of the city. Shopkeepers also are

found some-times to place their chairs, benches, etc. on land in front of their shops. No case of shopkeepers having rented out municipal land in front of their shops has, however, come to notice.

(b) Necessary corrective measures are being taken by the Local Bodies in this regard.

Disposal of Damaged Wheat

1023. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total stock of wheat, in tonnes, with Food Corporation of India at present and total capital investment of the country therein;

(b) quantity of wheat out of it damaged and rendered unfit for human consumption due to rains this year;

(c) whether Central Government propose to supply this stock of wheat to the poor people with a monthly income of less than Rs. 300 at Rs. 115 per quintal;

(d) whether the Central Government issued orders to State Governments in September, 1977 directing not to sell this wheat at more than Rs. 133 per quintal; but many of the State Governments are selling the wheat at the rate of Rs. 140 and Rs. 135 per quintal; and

(e) the names of States where this wheat is being supplied to the consumers at the rate of more than Rs. 133 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The stock of wheat with the Food Corporation of India as on 1-10-1977 was about 10.9 million tonnes valued at about Rs. 1470 crores.

(b) A quantity of about 1.50 lakh tonnes of wheat was affected by rains, floods, cyclones etc. in godowns and CAP (Cover and Plinth) storage of the Food Corporation of India during the current year. Out of 75,250 tonnes of wheat salvaged till October, 1977, a quantity of 8,167 tonnes has been segregated as damaged and unfit for human consumption.

(c) No, Sir.

(d) It had been proposed by the Minister for Agriculture and Irrigation on 24th August, 1977 to the Chief Ministers of States/Union Territories (except Punjab, Haryana, U.P., Gujarat and Delhi) that, to make the public distribution system really effective, the retail issue price of wheat supplied to the consumers by the fair price shops should be maintained at a level not exceeding Rs. 133 per quintal, all over the country and the State Governments, therefore, might consider this matter with a view to bringing about an appropriate reduction in the retail price of wheat supplied through public distribution system in their States, by reducing the unduly heavy incidental charges/expenses at present levied by many of the States for distribution, over the Central issue price of Rs. 125 per quintal ex-FCI depots.

(e) The latest position about the retail issue price of wheat supplied to the consumers through the public distribution system in the different States, is being ascertained and the information will be laid on the Table of the Sabha.

State Farms Corporation and Seed Production

1024. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the State Farms Corporation of India is running at loss and if so, since when and the amount of the loss;

(b) whether the number of officers has increased in the said Corporation during the last two-three years;

(c) whether production of improved seeds in farms has gone down and on the other hand expenditure on the establishment has increased; and

(d) if so, the action proposed to be taken to check the loss and to increase production ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The State Farms Corporation of India, incorporated in 1969-70, has been showing losses from 1974-75 as under :—

1974-75	Rs. 17.81 lakhs
1975-76 . .	Rs. 116.30 lakhs
1976-77 . .	Accounts under compilation and Audit.

(b) Some increase in staff has taken place from 1975 mainly in the sections of land development, civil construction and plant protection.

(c) No, Sir. The production of improved seed alongwith overall production has steadily gone up since 1973-74. Expenditure on establishment has increased mainly due to revision in pay scales in the light of the Third Pay Commission's Report, instalments of D.A. and increased wage rates.

(d) The steps being taken to check the loss and increase production are:—

(i) major land development plans are being re-examined from the techno-economic feasibility point of view;

(ii) a ban on the creation of new posts;

(iii) vacant posts, not operationally indispensable are being kept in abeyance;

(iv) restrictions have been imposed on items of administrative and contingent expenditure; and

(v) a constant review of the inventory of engineering spares and agricultural inputs is being made in order to bring down costs by timely and appropriate transfer of such items from farm to farm.

It is proposed to increase production by undertaking intensive cultivation on potentially fertile land, adoption of a package of agronomic practices most suitable for various crops, minimising the cost of production per unit area and organising technical/refresher training for field staff.

मिलों तथा सरकार के पास चीनी का भंडार

1025. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1977 के अन्त में चीनी मिलों तथा सरकारी गोदामों में चीनी का संचित भंडार कितना था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : चीनी फैक्ट्रियों के पास 30-9-77 को चीनी का स्टाक लगभग 15.75 लाख मीटरी टन था। भारतीय खाद्य निगम के पास अपने गोदामों में उस तारीख को लगभग 1.61 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था जोकि मुख्यतया सम्बन्धित राज्यों में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को सप्लाई करने के लिए है।

Estimates on Kosi and Gandak Projects

†1026. **Shri Vinayak Prasad Yadav :**

Dr. Ramji Singh :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the original estimate of Kosi and Gandak Projects in Bihar State and the total expenditure incurred on these projects and amount of grants given by the Central Government for the purpose so far;

(b) the total acreage of land proposed to be irrigated under Kosi and Gandak Projects respectively and the acreage of land actually irrigated so far; and

(c) the target fixed for power generation (in kilowatt) under both these projects. the total original estimates therefor, the quantity of power in kilowatt generated so far and the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The Kosi Project which was originally conceived as irrigation-cum-flood control project was sanctioned in 1958 for Rs. 44.76 crores. Power benefits from this project were envisaged latter on at an estimated cost of Rs. 2.79 crores. The revised estimate of the Project as submitted by Bihar in 1976 is Rs. 191.68 crores. The expenditure incurred on this project so far is about Rs. 119 crores. Grant-in-aid amounting to Rs. 13.39 crores has been given so far to Bihar for Nepal benefit works under the Western Kosi Canal.

Gandak Project is a joint venture of Bihar and Uttar Pradesh. The cost of works to be executed by Bihar was originally estimated to be Rs. 36.56 crores. The revised estimate as approved by Planning Commission in 1977 is Rs. 353.58 crores. The expenditure incurred by Bihar on Gandak Project so far is Rs. 186.00 crores. Grant-in-aid amounting to Rs. 19.87 crores has been granted to Bihar upto 31-3-77 for Nepal benefit portion of this project.

(b) The ultimate irrigation potential of Kosi Project is 4.34 lakh ha., the potential created is 3.18 lakh ha. and the present irrigation is 1.74 lakh ha.

The ultimate irrigation potential of Gandak Project is 11.51 lakh ha.; the potential created is 5.05 lakh ha. and the present irrigation is about 3.00 lakhha.

(c) The installed capacity of the Kosi Power House is 20 MW. Upto October, 1977 40.50 million KWH of power have been generated. Gandak Power Station would have an installed capacity of 15 MW. The generating units at this Power Station have not yet been commissioned. The original estimated cost of Kosi Power House was Rs. 27.87 crores and that of Gandak Power Station Rs. 2.00 crores. The actual expenditure on Kosi Power Station upto 1976-77 is Rs. 6.09 crores. The expenditure incurred so far on civil works on Gandak Power Station is Rs. 6.49 crores.

दिल्ली में सरकारी स्वामित्व की सम्पत्तियों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना

1027. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में सरकारी स्वामित्व के अथवा दिल्ली नगर निगम के मकानों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई है अथवा उनका रख-रखाव ठीक नहीं है;

(ख) दिल्ली में उक्त प्रकार की सम्पत्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने इन सम्पत्तियों में और अन्य निजी कटरों में सरकारी खर्च पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्षों से दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण ने इनके रख-रखाव का कार्य नहीं किया;

(ङ) इस समय क्या समस्या है और उन सभी मकानों में सभी मूलभूत सुविधाएं देने और उनके रख-रखाव के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(च) क्या सरकार का विचार उन मकानों को उन लोगों को बेचने का है जिनके वे कब्जे में हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Construction of Multipurpose Dam and Power House at the site of confluence of Jamuna, Chambal, Kaveri, Sindh and other Rivers

†1028. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a multipurpose dam and power house at the site of confluence Panchnada, of Jamuna, Chambal, Kaveri, Sindh and other rivers;

(b) if so, the details thereof and the estimated cost thereof, the acreage of the area to be irrigated, the quantum of power in megawatt to be generated and the time by which the said project would be completed; and

(c) if there is no such proposal, the reasons for not taking up such an important project for the development of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) & (b) The Government of Uttar Pradesh have stated that a proposal to construct a dam across river Jamuna downstream of Confluence with the rivers Chambal, Sindh, Kunwari and Pahuj on the boundary of Jalaun and Etawah Districts is being investigated for irrigation both to U.P. and M.P. As the proposal is yet in a preliminary stage of investigations, it is not possible to indicate at this stage the cost of the project, the area to be irrigated and the period of completion of the project.

(c) Does not arise.

रोजगार के अवसर जुटाने के लिए खाद्य के रक्षित भंडार का उपयोग

1029. **श्री चित्त बसु :**

श्री सी० आर० महाटा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में रोजगार के अवसर जुटाने के लिए खाद्य के रक्षित भंडार का उपयोग करने की व्यापक योजना इस बीच तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिए, जिस पर पहले ही काफी मात्रा में पूंजी लगाई जा चुकी थी, राज्य सरकारों की नान-प्लान धनराशि में वृद्धि करने के लिए खाद्यान्न भण्डारों का इस्तेमाल करने हेतु अप्रैल, 1977 से 2 वर्ष की अवधि के लिए एक केन्द्रीय योजना आरम्भ की गई थी। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाव पर राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों के व्यय के वर्तमान स्तर के 30 प्रतिशत के मूल्य के बराबर गेहूं तथा मिलों की अतिरिक्त मात्रा राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों को बिना लागत के उपलब्ध कराई जाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाव में लगे मजदूरों की सारी या आंशिक मजदूरी की अदायगी के लिए उसका उपयोग किया जा सके। योजना का कार्यक्षेत्र अब विस्तृत कर दिया गया है ताकि चल रही प्लान तथा नान-प्लान योजनाओं, पूंजीगत कार्यों की नई मदों, बाढ़ से सम्बन्धित कार्यों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके तथा कार्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन को 4 महीने की छोटी अवधि तक सीमित रखने के बजाए वर्ष भर जारी रखा जा सके। राज्य सरकारों को खाद्यान्नों उनकी जरूरतों के अनुसार किस्तों में दिया जाना है। खाद्यान्न लोक निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को उनकी पूर्ण या आंशिक मजदूरी के रूप में दिया जा सकता है बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को बांटे जाने वाले खाद्यान्नों का ठेकेदार दुरुपयोग नहीं करते हैं।

दिल्ली में वक्फ भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा

1030. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको यह पता है कि हाल में बहुत से लोगों ने दरगाह हजरत शेख कलीमुल्ला वली की वक्फ की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या इस अनधिकृत कब्जे से उन सैंकड़ों भक्तों को बहुत दिक्कत हो रही है जो प्रतिदिन वहां पर दर्शनों के लिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को वक्फ की भूमि से हटाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) अक्तूबर, 1977 में, दरगाह के मुतवल्ली और सज्जदानशीन हजरत शेख कलीमुल्ला वली द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड और सरकार के ध्यान में यह लाया गया था कि नवम्बर, 1976 में पुराने ऊनी वस्त्रों के व्यापारियों को जिन्हें जामा मस्जिद क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के फलस्वरूप वहां से उठा दिया गया था, केवल मानवीय आधार पर 2-1½ महीनों के लिए दरगाह के समीपवर्ती कब्रिस्तान के भाग को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई थी और इन व्यक्तियों ने कब्रिस्तान पर कब्जा जमाए रखा और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी।

(ख) दिल्ली वक्फ बोर्ड के सचिव ने व्यक्तिगत रूप से वहां का दौरा किया और देखा कि दरगाह के पूर्व की ओर बाड़े के साथ-साथ बहुत से अस्थायी ढांचे खड़े किए गए और दरगाह के दक्षिणी भाग में अर्द्धस्थायी तथा अस्थायी ढांचे भी बने थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सचिव के अनुसार, पूर्व की ओर से दरगाह को जाने वाले रास्ते में स्पष्ट रूप से दीखने वाली कोई बाधा नजर नहीं आई।

(ग) दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दरगाह की भूमि को खाली कराने के लिए दिल्ली प्रशासन से कहा है जो इस मामले पर विचार कर रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को किराया-खरीद पद्धति के आधार पर मकान देना

1031. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को किराये के आधार पर क्वार्टर देने की बजाए किराया-खरीद पद्धति के आधार पर मकान उपलब्ध कराने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अब्राह्मणों को संस्कृत सीखने के प्रति प्रोत्साहित करना

1032. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अधीन देश में स्थित 5 संस्कृत विद्यापीठों को भारत में अब्राह्मणों को संस्कृत सीखने के प्रति प्रोत्साहित करने में अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) क्या अब्राह्मणों तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों को देश में संस्कृत सीखने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन देने का कोई उपलबन्ध है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) संस्कृत विद्यापीठों में प्रवेश ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता है अतः इस बात का रिकार्ड नहीं रखा जाता कि कौन गैर ब्राह्मण है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

1033. **श्री शिब्बन लाल सक्सेना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1977-78, 1976-77, 1975-76 में विश्व-विद्यालयों को कुल कितना विकास अनुदान दिया;

(ख) 100 के अधिक विश्वविद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या क्या है;

(ग) विश्वविद्यालयों को प्रति छात्र कितना विकास अनुदान दिया गया; और

(घ) यदि इसमें कोई असंगति है तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं सहित) को दिए गए अनुदान क्रमशः 2,483.35 लाख रुपये तथा 3,363.66 लाख रुपये के थे। वर्ष 1977-78 के दौरान दिए गए अनुदानों की कुल राशि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

(ख) 1975-76 में विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों तथा विश्वविद्यालय कालेजों में छात्रों की कुल संख्या 3.68 लाख थी।

(ग) विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रति छात्र के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के समग्र विकास कार्यक्रमों के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नैरोबी में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने संबंधी सम्मेलन

1034. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विश्व भर में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के प्रश्न पर हाल ही में नैरोबी में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकारी/गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त सम्मेलन की कार्यवाही में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का योगदान क्या था;

(घ) क्या सरकार ने उक्त सम्मेलन में दिए गए निर्णयों के बारे में कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) रेगिस्तान के फैलाव पर राष्ट्र संघ का सम्मेलन (यू०एन०सी०ओ०डी०) 29 अगस्त से 9 सितम्बर, 1977 तक नैरोबी, कीनिया में सम्पन्न हुआ था। एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल भेजा गया था। इस प्रतिनिधि मण्डल की प्रतिनियुक्ति इस राष्ट्र संघ सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा की गयी थी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष :

डा० एम० एस० स्वामीनाथन, महा-निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली।

प्रतिनिधि मण्डल के उपाध्यक्ष :

श्री ए०एन०डी० हक्सर,
भारत के उच्चायुक्त तथा यू०एन०डी०पी० के स्थायी प्रतिनिधि,
नैरोबी।

प्रतिनिधिगण :

श्री एम० दुबे,
संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली।

डा० एच० एस० मान,
निदेशक, केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर।

डा० एन० एल० रामानाथन,
निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग,

नई दिल्ली।

श्री एल० कीवोम, प्रथम सचिव,

भारतीय उच्चायोग,

नैरोबी।

श्री डी० के० विस्वास, वरिष्ठ विशेषज्ञ,

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, विभाग,
नई दिल्ली।

इस सम्मेलन को शुरूआत में ही, 1968 से 1973 तक के लम्बे सूखे के कारण अफ्रीका के सहेलियन देशों द्वारा अनुभव की गयी अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ा। अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 के संकल्प 3337(29) में राष्ट्र संघ की आम सभा ने रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने के लिये इस सम्मेलन को बुलाने का निश्चय किया था। आम सभा के इस संकल्प द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने के लिये कहा गया था:—

(क) रेगिस्तान के फैलाव की प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों तथा प्रभाव में आने की संभावना वाले क्षेत्रों का एक विश्व मानचित्र तैयार करना;

(ख) रेगिस्तान के फैलाव के तथा प्रभावित देशों की विकास प्रक्रिया पर होने वाले परिणामों के सभी उपलब्ध आंकड़ों का निर्धारण करना;

(ग) देशी तथा स्वतंत्र विज्ञान व प्रौद्योगिकी निर्माण करने के साथ साथ रेगिस्तान के फैलाव के खिलाफ एक प्रभावी, व्यापक एवं समन्वित कार्यक्रम तैयार करना।

18 सत्रों में हुए विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात्, जिनमें से प्रत्येक 3 घंटे से अधिक में समाप्त होता था, इस सम्मेलन में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिये कार्यवाही की एक योजना बनायी।

कार्यवाही की योजना से संबंधित चार सूत्रीय रणनीति :

(i) प्रत्येक देश में इस समस्या के गुणात्मक व परिणात्मक आयामों तथा 'मौनीटरिंग' की एक क्रिया विधि निर्धारित करना।

(ii) रेगिस्तान के फैलाव को बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया एवं प्रभावित क्षेत्रों के भूमि सुधार की प्रक्रिया पर एक समाकलित अनुसंधान तथा विकास नीति विकसित करते समय उन लोगों के विचारों पर भी गौर करना जो इस समस्या से प्रभावित हैं तथा उन तकनीकों पर भी गौर करना जिनके द्वारा वे युगों पर्यन्त इन कड़ी और कठिन परिस्थितियों में जीवन जिये। वे तकनीक महत्वपूर्ण हैं जिनका झुकाव विकसित तथा पारम्परिक प्रणालियों की ओर है।

(iii) राष्ट्रीय सरकारों द्वारा ऐसी उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करना जो रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिये बनाये गये कार्यक्रमों में जनमत को जागृत किया जा सके और जनता को उसमें भागीदार बनाया जा सके तथा इस कार्य के लिये आवश्यक प्राथमिकताएं एवं संसाधन जुटाना। जो सम्भव है तथा जिसे उपलब्ध कर लिया गया है, इनके बीच के अन्तर को "रिसोर्सेज़-कम-एक्सटेंशन-कम-मैनेजमेंट गैप" का नाम दिया जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं को इसमें भागीदार बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

(iv) क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही को तेज करना और अन्तर्राष्ट्रीय तथा संस्थानीय तथा घन सम्बन्धी स्तर पर अनुवर्ती कार्य के लिए नीति तैयार करना।

(ग) रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के राष्ट्र संघ के इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रमुख योगदान निम्न प्रकार हैं :--

1. सम्मेलन के लिये कागजात (डोकुमेंट्स) तैयार करना :

(क) राजस्थान के लूनी ब्लाक की रेगिस्तान की समस्या का अध्ययन।

(ख) भारत में रेगिस्तान की समस्या तथा सरकार द्वारा रेगिस्तान के फैलाव को रोकने तथा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिये की जा रही कार्यवाही की समूचे देश की रिपोर्ट।

(ग) "डैज़र्टीफिकेशन एण्ड इट्स कंट्रोल" नाम की पुस्तक जिसमें पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में किये गए अनुसंधानों के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तक की प्रतिनिधियों द्वारा बहुत सराहना की गई।

2. क्षेत्रीय प्रारंभिक सम्मेलन का आयोजन :

नयी दिल्ली में अप्रैल 1977 में मरुक्षेत्रों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्रों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में रेगिस्तान की ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों, मुख्यतः ऐसे लोगों जिन्हें खानाबदोशी का जीवन बिताना पड़ता है, की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने सम्बन्धित कार्य परियोजना के मसौदे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए।

3. रेगिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भूमिका :

(क) सम्मेलन में मुख्य कार्यालयों का भार संभाल कर सम्मेलन कार्य में योगदान :

सम्मेलन का समूचा तकनीकी कार्य सम्मेलन की एक समिति को सौंप दिया गया। इस समिति को "कमेटी आफ़ दी होल" की संज्ञा दी गई। भारतीय दल के नेता को सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष चुना गया। रेगिस्तान के फैलाव से निपटने के लिए कार्य संबंधी अन्तिम योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व इसी समिति को सौंपा गया। समिति में प्रयोजन की गंभीरता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि कई दिन, रात्रि में होने वाली बैठकें पूरे सदस्यों की उपस्थिति में मध्य रात्रि तक चलीं। इसके अलावा इन बैठकों में अनेक विषयों से सम्बद्ध विचारों में भारी विविधता होते हुए भी सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए तथा मतदान तथा संघर्ष को पूर्णतः त्याग दिया गया। हालांकि इन विषयों में कुछ अत्यन्त नाजुक राजनीति से सम्बद्ध मुद्दे थे। उदाहरण के लिए, वातावरण को दूषित करने वाले हथियारों से सम्बद्ध केप वर्डे प्रस्ताव और बंगला देश का जल के बटवारे से सम्बन्धित प्रस्ताव ऐसे ही विषय थे।

नैरोबी में भारत के उच्चायुक्त श्री ए० एन० डी० हक्सर ने, जो कि भारत के शिष्टमण्डल के उप नेता थे, सम्मेलन में एशियाई क्षेत्रीय दल की अध्यक्षता की। इस हैसियत से, उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित एशियाई राष्ट्रों द्वारा सम्मिलित कार्यवाही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। श्री एन० दूबे, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने अनुवर्ती कार्यवाही पर कार्यकारी दल के सदस्य के रूप में काम किया और व्यावहारिक अनुवर्ती प्रबन्धों को सुझाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

(ख) वैज्ञानिक धारणाएं :

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने लवणीय एवं क्षारीय भूमियों के सुधार, बारानी खेती तथा शुष्क क्षेत्रों में भूमि उपयोग नियोजन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। लोगों को योजना और उनके

कार्यान्वयन में भाग लेने के महत्व पर भी जोर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान निरन्तर रोजगार देने के उद्देश्य से "मरुस्थल कृषि औद्योगिक कम्पलेक्स" की स्थापना से संबंधित था।

(घ) और (ङ) रेगिस्तान के फैलाव की प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए समाकलित उपायों में प्रगति की जा रही है।

रूस से खाद्यान्नों का आयात

1035. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**

श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में रूस से कोई खाद्यान्न आयात किया गया था, और यदि हां, तो कितना;

(ख) क्या सरकार ने उसे रूस को वापस देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कब; और

(ग) वह अनाज किन शर्तों पर आयात किया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ग) जी हां। रूसी सरकार ने उधार के आधार पर 20.05 लाख मी० टन गेहूं दिया था। भारत को अन्तिम सुपुर्दगी पूरी करने के दो वर्ष बाद उधार गेहूं की वापसी शुरू की जानी थी और उसके बाद समान वार्षिक किश्तों में पांच वर्षों में वापस करना था।

(ख) उधार गेहूं का कुछ भाग नकदी रूप में दिया जा चुका है और शेष को गेहूं के रूप में लौटाया जा रहा है। आशा है कि अक्तूबर, 1978 के अन्त तक लदान कार्य पूरा हो जाएगा।

दिल्ली के इलाकों में भूमिगत नालियों की व्यवस्था

1036. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी एवं किन-किन अनधिकृत कालोनियों का इस वर्ष तथा अगले वर्ष विकास किया जाना है;

(ख) उस पर कितने व्यय का अनुमान है; और

(ग) क्या सरकार पूर्वी और पश्चिमी मोती बाग, सराए रोहिल्ला, बाग कड़े खां, पदम नगर, दया बस्ती तथा त्रिनगर के निकट भविष्य में भूमिगत नालियों की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) सरकार ने ऐसी अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण तथा विकास की प्रगति को देखने के लिए एक कार्यान्वयन निकाय की नियुक्ति की है जिनका नियमितिकरण निर्धारित नीति के अनुसार किया जाना है। इस वर्ष तथा अगले वर्ष के दौरान जिन अनधिकृत कालोनियों का विकास किया जाना है की संख्या तथा नामों के बारे में अभी निर्णय करना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

वन पशुपालन तथा सिंचाई के लिये विश्व बैंक से ऋण

1037. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में वन विकास, पशुपालन और सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण मांगा था;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, इस मंत्रालय के अनुरोध पर कई राज्य सरकारों ने वन विकास, पशु पालन और सिंचाई से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये भेजा जा सकेगा।

(ग) इन प्रस्तावों पर इस समय मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और अभी यह कहना कठिन है कि इन प्रस्तावों में से अन्ततोगत्वा किनको विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये लिया जायेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गये जिले

1038. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए देश में कुछ जिलों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे जिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूची संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए जिलों की सूची

1. महबूबनगर	आन्ध्र प्रदेश
2. कामरूप	असम
3. रोहतास	बिहार
4. कच्छ	गुजरात
5. हिसार	हरियाणा
6. कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
7. अनन्तनाग	जम्मू तथा काश्मीर
8. कन्नानौर	केरल
9. तुमकुर	कर्नाटक

10. बस्तर	मध्य प्रदेश
11. चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
12. वर्धा	महाराष्ट्र
13. गारो हिल्स	मेघालय
14. पुरी	उड़ीसा
15. होशियारपुर	पंजाब
16. बंसवाड़ा	राजस्थान
17. धर्मपुरी	तमिलनाडु
18. मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
19. टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
20. बांकुरा	पश्चिम बंगाल

चावल (धान) की नई किस्म

1039. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान के विभिन्न केन्द्रों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु, जमीन और फसल प्रबन्ध के लिये उपयुक्त तैयार की गई चावल (धान) की नई अधिक उपज देने वाली किस्मों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या चावल का अनुसंधान और खेती उपयोग के चरण में पहुंच गई है; और

(ग) क्षार भूमि में उपयुक्त किस्मों के उत्पादन हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है या की गई है और यदि कोई परिणाम निकला है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) देश की अलग-अलग कृषि जलवायु दशाओं के लिये, पकने (मैच्योरिटी) तथा गुणों की दृष्टि से पृथक श्रेणियों की चावल की अधिक उपज देने वाली विभिन्न किस्में विकसित की जा चुकी हैं।

कुछ किस्में हैं :--

(i) कम अवधि (90 से 120 दिनों में पकने वाली) कृष्णा, साबरमती, जमुना, रत्ना, सी० आर०-44-35, बाला, पद्मा, पूसा 2-21, कावेरी, आर०पी० 79-14, आई०ई०टी० 1444 (रबी) और आई०ई०टी० 2914 (आकाशी);

(ii) मध्यम अवधि (120 से 150 दिन) आई०ई०टी० 1039, आई०ई०टी० 1136, आई० ई०टी० 1991, आई०ई०टी० 722, विजय, न्यू, साबरमती, आई०आर० 22, सी०आर० 10-507; और

(iii) अधिक अवधि (150 से 170 दिन) मधु, जगन्नाथ, पंकज और आर०पी० 193-1

(ख) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उत्तरी चावल पट्टी सहित चावल पैदा करने की सिंचित तथा पानी को अच्छी प्रकार से सोखने की क्षमता रखने वाली मिट्टियों में और रबी के मौसम के दौरान उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के चावल पैदा करने

के पारम्परिक क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी उपयोग के चरण में पहुंच चुके हैं। तथापि, देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, जो चावल का अधिकांश पैदा करते हैं उनके ऊंचे शुष्क क्षेत्रों—जिनमें नमी का दबाव क्षति पहुंचाता है तथा पानी ठहरने वाले क्षेत्रों व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित वर्षा आप्लावित खरीफ फसल के क्षेत्रों में उपज के कम स्तर को ऊंचा उठाने के लिये अभी तकनीक को उपयोग के चरण तक पहुंचाना है। ऊंची जमीन वाले क्षेत्रों के लिये कुछ उपयुक्त किस्में—यथा आई०ई०टी० 1444, आई०ई०टी० 2914 आ०टी०आई० 826, सी०आर०एम० 30–3241 और अन्नपूर्णा विकसित की जा चुकी है और उत्पादन की उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया जा चुका है जिसे शीघ्रता से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से, उथली और मध्य दर्जे की गहराई (पानी की गहराई 0 से 30 सें०मी०) के लिये उपयुक्त जलाधी I, जलाधी II तथा जलाप्लावन जैसी किस्में विकसित की जा चुकी हैं। ठहरे हुये पानी, गहरे पानी तथा तटीय क्षारीय क्षेत्रों के लिये प्रौद्योगिकी का अभी परीक्षण किया जा रहा है। रोग एवं कीट रोधी किस्मों के विकास के प्रयास प्रगति पर हैं।

(ग) क्षार/लवण को सह सकने के लिये उपयुक्त किस्मों की शिनाख्त से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। गीतू, दस्सल और दामोदर तथा गीतू मुट्ट जैसी कुछ लवणता को सहने वाली किस्मों की शिनाख्त की जा चुकी है। क्षारीय भूमि हेतु—जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि में कम अवधि की किस्म पूसा 2–21 सर्वोत्तम पायी गई है।

विशाखापत्तनम में मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह

1040. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापटनम में मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह के दूसरे चरण के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ग) क्या विश्व बैंक सहायता देने पर सहमत हो गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 633 लाख रुपए।

(ग) विश्व बैंक मूल्यांकन मिशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

Short Supply of Water in Gole Market Multi-storeyed Flats, New Delhi

1041. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nos. 3846 and 3847 on 18th July, 1977 and state :

(a) whether it is a fact that there is still short supply of water in multi-storeyed flats in Gole Market and the office bearers of the Association of this area have also made complaints several times in this regard;

(b) if so, whether Government propose to solve this problem by installing tubewell there;

(c) the time by which an assurance given to fix iron grills on doors is likely to be fulfilled; and

(d) the reasons for delay in this regard and the action being taken to fulfil this assurance soon ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) There is no short supply of water in Multi-storeyed flats in Gole Market Area, New Delhi, except when there is general shortage of water supply in New Delhi area.

(b) As there is no shortage of water, it is not considered necessary to provide tube-wells.

(c) & (d) About 80% of the work has been completed. The balance work is likely to be completed by 23rd November, 1977.

तिरुतनी गांव में पाये गये ताम्र लेख

1042. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुतनी गांव में पल्लव और चोल सम्राटों के लगभग 900 ईसवी के दो ताम्र लेख बरामद हुए है जिनसे तमिलनाडु के महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक इतिहास का बोध होता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) (i) वह ताम्रलेख, जो कि पल्लव काल से संबंधित है, 900 ईसवी के आस-पास अपराजित वर्मन द्वारा जारी किया गया था और उसमें उस दान का उल्लेख है, जो तिरुतनी में पहाड़ी की चोटी पर बने सुब्रमण्य मन्दिर को दिया गया था । इस प्रकार यह ताम्रलेख मंदिर की प्राचीनता को लगभग 900 ईसवी तक पीछे ले जाता है। इससे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचना भी मिलती है, जिसमें कम्प वर्मन का उल्लेख अपराजित वर्मन के पिता के रूप में किया गया है, जिससे अपराजित वर्मन और कम्प वर्मन दोनों के परिचय से संबंधित सभी संदेह दूर हो जाते हैं।

(ii) 25वें वर्ष में चोल शासक परन्तुक प्रथम द्वारा जारी किये गये चोल ताम्रलेख में लिखा है कि तिरुतनी के आस पास के कुछ और गांव भी उन गांवों की सूची में जोड़ दिये गये, जिनके घर पहाड़ी की चोटी पर बने सुब्रमण्य मन्दिर को दान में दे दिये थे।

रोजगार प्रधान योजनाओं के माध्यम से कृषि का विकास

1043. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी दो वर्षों में रोजगार प्रधान योजनाओं के माध्यम से कृषि का विकास करने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को किन राज्यों में क्रियान्वित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समन्वित ग्राम विकास का एक कार्यक्रम गत वर्ष शुरू किया गया था और इसके लिए 20 जिले चुने गए थे। यह महसूस किया गया कि कार्यक्रम अधिक प्रगति नहीं कर रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित संसाधन सूचियों तथा कार्यवाही योजनाओं की तैयारी में समय लग रहा था। अतः यह निर्णय किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार तथा उत्पादन सृजित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ समन्वित ग्राम विकास का एक नया कार्यक्रम तैयार किया जाए। नये कार्यक्रम के अन्तर्गत

कृषि विकास कार्यक्रम के अलावा निम्न स्तर के क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों तथा स्वःनियोजन कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव है। लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के मुख्य घटकों को कार्यक्रम की उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए इन कार्यक्रमों में से किसी एक द्वारा अपने अन्तर्गत लाये गये प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया जायगा। नई संकल्पना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों का क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर पता लगाने का प्रस्ताव है। सरकार ने यह आशा व्यक्त की है कि अगले वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के आधे से भी अधिक भाग को लाया जायगा तथा 10 वर्षों में इसके कार्यक्षेत्र में पूरा क्षेत्र ले लिया जायगा।

यह भी प्रस्ताव है कि खंड स्तर की योजनाएं तैयार करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल किया जाए। ये स्वैच्छिक एजेंसियां उनकी क्षमता के आधार पर चुनी जाएंगी और ये खंड में योजना की अनुवर्ती कार्यवाहीं के कम से कम भाग के लिए भी उपयोग में लाई जायगी।

(ग) योजना सभी राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी।

Indo-Nepal Team on Projects in Uttar Pradesh

†1044. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether an Indo-Nepal joint team has been appointed to carry out survey work in respect of Karnali, Bhalugaon and Pancheshwar projects in Uttar Pradesh; and

(b) if so, when the joint survey team will commence its work ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) & (b) HMG Nepal have constituted an Executive Board for the Karnali Project and have invited four representatives from India to be on the Board. The Government of India have suggested certain modifications regarding the terms of reference for the Executive Board and have also suggested setting up of a Working-group comprising representatives of both the Governments for preparatory work. The decision of HMG Nepal in the matter is still awaited.

It has been decided by Government of India and HMG Nepal to constitute a Joint Expert Group for investigation of Pancheshwar Dam Project. Names of Indian representatives in the joint Expert Group have been intimated to the Government of Nepal. They have, however, desired to have further discussions in the matter. The visit of the Team from Nepal is awaited.

As regards Rapti (Balubhang) Project, it was agreed that a group of experts from both the countries would meet for deciding the scope of the Project and terms of reference for full scale feasibility study and for making arrangements for joint investigations. The visit of the Nepalese Team is awaited.

राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुख्यालय का खाली किया जाना

1045. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को 5, राजेन्द्र प्रसाद रोड स्थित मुख्यालय शीघ्र खाली करने का नोटिस जारी किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त नोटिस का कांग्रेस से क्या उत्तर मिला है;

(ग) वह कब तक खाली कर दिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार उक्त भवन के लिये कोई किराया लेती है, यदि हां, तो कितना;

(ङ) इस समय किराये की कितनी धनराशि बकाया है; और

(च) इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। यह आवास इजाजत तथा लाइसेंस के आधार पर दिया गया था और लाइसेंस विलेख के प्रावधानों के अनुसार 12-5-77 को जारी किए गए एक महीने के नोटिस के पश्चात् लाइसेंस विलेख को रद्द कर दिया गया है।

(ख) आबंटन रद्द करने संबंधी पत्र का उत्तर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से प्राप्त हुआ था तथा बंगले को रखे रखने के उनके अनुरोध को मंजूर नहीं किया गया।

(ग) इस बंगले को खाली करवाने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है इसलिए निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

(घ) 9769.20 रुपये प्रतिमास की दर से मार्किट दर पर हर्जाना लिया जा रहा है। 1-1-77 से पहले मार्किट किराया 7598.20 रुपये प्रति मास था।

(ङ) 31-10-1977 तक कोई बकाया राशि नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृष्णा नदी के जल को मद्रास तक ले जाने की पद्धति

1046 **श्री ओ० वी० अलगेसन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी के जल को खुले मार्ग अथवा बन्द पासों के माध्यम से मद्रास ले जाने के मामले में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने कोई सलाह की थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारें अप्रैल, 1976 में इस बात पर सहमत हो गई है कि तमिलनाडु सरकार कृष्णा नदी के जल में उनमें से प्रत्येक के हिस्से में से पांच-पांच टी०एम०सी० जल का प्रयोग मद्रास शहर में जल की सप्लाई करने के लिए कर सकती है। इस समझौते के अनुसरण में विभिन्न वैकल्पिक स्कीमें और उन पर आने वाली लागत के अनुमान संबंधित राज्यों के अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये थे। जिन पर अधिकारियों के स्तर की दो बैठकों में विचार किया गया।

इन अध्ययनों पर, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा 27 अक्तूबर, 1977 को बुलाई गई बैठक में विचार किया गया, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश के मध्यम सिंचाई परियोजना विभाग के मंत्री, कर्नाटक के बृहद सिंचाई विभाग के मंत्री और तमिलनाडु के निर्माण मंत्री शामिल हुए थे। इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप, 28 अक्तूबर, 1977 को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के प्रतिनिधियों और सिंचाई विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सचिव द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिसका अनुसमर्थन सम्बन्धित राज्यों द्वारा किया जाना है। इस समझौते के अनुसार तमिलनाडु सरकार को 1500 क्यूसेक तक के डिस्चार्ज को ले

जाने के लिए श्रीशैलम से पेन्नार तक बनाई गई एक खुली लाइन्ड चैनल द्वारा एक जल-वर्ष में एक जुलाई से 31 अक्तूबर, तक की अवधि में श्रीशैलम जलाशय से अधिक से अधिक 15 टी०एम० सी० जल लेने की अनुमति दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम के कापा गोदामों में अनाज का सड़ना

1047. **श्री शंकर सिंह जी बावेला :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कापा गोदामों में खुले में रखा गया लगभग 10,000 क्विंटल गेहूं सड़ गया है और इसमें से 50 प्रतिशत से अधिक गेहूं मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ख) सड़ गये उक्त गेहूं की कीमत कितनी थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं ।

इस वर्ष मानसून के दौरान पंजाब और हरियाणा से खुले वैगनों में प्राप्त 29,999 बोरे मार्ग में वर्षा से प्रभावित हुए थे जिनमें से रायपुर के निकट "कैप" गोदाम कापा में पड़ा 13.5 लाख रुपये मूल्य का लगभग 1,000 मीटरी टन गेहूं क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था ।

सिंचाई क्षमता का अध्ययन

1048. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की कुल लक्षित क्षमता कितनी है और उनमें वास्तव में सिंचाई की कितनी क्षमता अभी तक बन पाई है;

(ख) क्या सिंचाई की लक्षित क्षमता और वास्तविक सिंचित क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस पहलू का अखिल भारतीय स्तर पर गहन अध्ययन किया गया है और ऐसे अध्ययन के निष्कर्ष क्या है; और

(घ) सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा केन्द्र में प्रभावी मानिटरिंग पद्धति के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अनुमान लगाया गया है कि इस समय बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित कुल सिंचाई क्षमता लगभग 57 मिलियन हेक्टेयर है । आयोजन-अवधि से पहले को 9.7 मिलियन हेक्टेयर की क्षमता के अलावा, 1975-76 के अन्त तक योजनागत स्कीमों से 12.8 मिलियन हेक्टेयर को क्षमता का सृजन किया गया था ।

(ख) किसी वर्ष के दौरान बृहद् और मध्यम परियोजनाओं द्वारा सृजित शक्यता का उपयोग उससे अगले वर्ष ही किया जा सकता है । 1976-77 के अन्त तक, बृहद् और मध्यम योजनागत परियोजनाओं द्वारा सृजित क्षमता में से 11.1 मिलियन हेक्टेयर की क्षमता का उपयोग किया जाने लगा था । इस प्रकार, सृजित क्षमता में से 1.7 मिलियन हेक्टेयर की क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था ।

(ग) मंत्रियों की एक समिति ने सृजित सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग न होने के कारणों की जांच की थी और जून, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । भारत सरकार द्वारा स्थापित सिंचाई आयोग और राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा भी इस मामले पर विचार किया गया था । उक्त समिति और आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि नहर प्रणालियों के अन्तिम सिरे तक सिंचाई-वितरण का आधुनिकी-

करण करके, कमान क्षेत्र में जल-निकास व्यवस्था में सुधार करके, भूमि विकास करके तथा कमान क्षेत्र की जमीन और कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुसार फसल पद्धति अपना कर सिंचाई प्रणालियों के सर्वोत्तम उपयोग की व्यवस्था करने के लिए बहुत अधिक समन्वित रूप से कार्य करने की जरूरत है।

(घ) 12 राज्यों में छत्तीस कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है, जिनके अन्तर्गत 47 सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इन प्राधिकरणों के लिए जरूरी है कि वे आन फार्म विकास कार्य करें, उपयुक्त फसल-पद्धति लागू करें। पूरक साधन के रूप में भूगत जल का विकास करें, मेन और मध्यवर्ती जल-निकास प्रणाली का रखरखाव करें और सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सुचारु प्रचालन की व्यवस्था करें। आशा है कि सृजित क्षमता के उपयोग में होने वाली देर को इन उपायों से कम करने में सहायता मिलेगी।

सभी नई परियोजनाओं को मंजूरी यह तसल्ली करने के बाद दी जाती है कि कमान क्षेत्र में मृदा-सर्वेक्षण कर लिया गया है, फसल आयोजन स्थानीय मिट्टी और उपलब्ध जल-मात्रा पर आधारित है और जल-निकास के लिए फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए उपयुक्त अपेक्षित व्यवस्था कर ली गई है।

कृषि विभाग के जल प्रबन्ध विभाग को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

केन्द्रीय सिंचाई विभाग ने भी 1975 में एक बहु-विषयक केन्द्रीय जल उपयोग दल की स्थापना की है, इस दल का काम देश की सिंचाई प्रणालियों का दौरा करना और राज्यों के विशेषज्ञों के साथ सलाह करते हुए इन प्रणालियों के प्रचालन में सुधार के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना है ताकि उपलब्ध जल का इष्टतक उपयोग किया जा सके। इस दल ने अब तक 16 परियोजनाओं का दौरा किया है और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए इंजीनियरी, कृषि विज्ञान सम्बन्धी और प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में कई उपयोगी सिफारिशें की है।

मगरमच्छ के बच्चे

1049. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त-सितम्बर, 1977 में जिला ढेंकानाल (उड़ीसा) में टिक्करापारा में अण्डों से बच्चे निकालने के स्थान पर मगरमच्छ के 100 से अधिक बच्चे मर गये;

(ख) यदि हां, तो क्या मगरमच्छ के लगभग 200 बच्चे कुछ समय पूर्व नेपाल से वापस टिक्करापारा लाये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मृत्यु होने के क्या कारण थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कुछ संक्रमण के कारण मौतें हुई थीं, जिसका पता नहीं लगाया जा सका।

खरीफ की फसल आने के बाद भण्डारण की समस्या

1050. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किस्म नियंत्रण विशेषज्ञों ने सरकार को सी०ए०पी० में पड़े अनाज के भण्डार को खराब हो जाने के बारे में चेतावनी दी थी;

(ख) यदि हां, तो यह सच नहीं है कि जब खरीफ की फसल पहुंचनी शुरू हो जायेगी, जब भण्डारण की समस्या अधिक गम्भीर हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस समय सरकार के पास खाद्यान्न का कुल भण्डार कितना है और इसमें से कितना सी०ए०पी० भण्डार में है और खरीफ की फसल पहुंचने पर इसमें कितना अनाज और आ जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जब कप में भण्डार करने की आवश्यकता पैदा हुई, तब गुण नियंत्रण विशेषज्ञों से पूर्ण परामर्श किया गया था और कैप में रखे गए स्टाक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं, क्योंकि यह सम्भावना है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की अधिक निकासी होने से कुल मिलाकर खरीफ के अनाजों की आमद के लिए रास्ता साफ होगा।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास उनके गोदामों में 15-10-1977 को 142 लाख मीटरी टन खाद्यान्न थे, जिनमें से 53 लाख मीटरी टन खाद्यान्न कैप स्टोरेज में रखे हुए थे। खरीफ के उत्पादन से वसूली के ठीक-ठीक अनुमान बताना अभी संभव नहीं है।

Funds Sanctioned for Irrigation Schemes under Completion

1051. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government of India have recently laid down any policy in regard to the completion of small and big irrigation schemes by allocating some amount therefor; and

(b) State-wise names of the Schemes, especially the schemes in Bihar for which funds have been sanctioned by Government in the current financial year indicating the amount sanctioned for each scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) & (b) Irrigation is a State subject and necessary outlay for irrigation projects are provided by the State Governments under their development programmes. The Central assistance is given in the form of block loans and grants which is not related to any sector of development or any specific project.

An outlay of Rs. 863 crores has been envisaged for major and medium irrigation schemes during the current year in the State Plans. It has been proposed to increase the outlay during the current year for major and medium irrigation schemes by Rs. 125.75 crores comprising Rs. 100 crores as advance plan assistance by the Centre and Rs. 25.75 crores as additional outlay to be provided by certain States from their own resources, to accelerate the progress on certain selected on-going schemes and for new starts to maintain the tempo of irrigation development.

State-wise break-up of the additional outlays is given in the statement attached, which also gives necessary information in respect of schemes in Bihar. [Placed in the Library *See* No. LT-1135/77].

Some of the States have suggested some additions/alterations in the proposal and these are being examined.

गुजरात में अकाल

1052. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को इस वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा है;

(ख) क्या इसका मुख्य कारण इस वर्ष वर्षा कम होना है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की सहायता करने हेतु केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) अगस्त 1977 से नवम्बर, 1977 तक राज्य को कितना अनाज सप्लाई किया गया और चालू वर्ष के अन्त तक राज्य को कितना अनाज भेजे जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने अकाल की स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। उन्होंने सूखाग्रस्त स्थिति के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी है। इसके विपरीत, उन्होंने जून के अन्तिम सप्ताह तथा अगस्त, 1977 के प्रथम सप्ताह के दौरान बाढ़ और भारी वर्षा के बारे में सूचना दी है।

(ग) भारत सरकार ने 1977-78 के दौरान बाढ़ से उत्पन्न आवश्यक खर्च को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार को 10.43 करोड़ रु० की अग्रिम प्लान सहायता का आबंटन किया है।

(घ) अगस्त-अक्तूबर, 1977 के दौरान केन्द्रीय पूल से गुजरात सरकार को की गई खाद्यान्नों की आपूर्ति नीचे दी गई है :—

(हजार मीटरी टनों में)

गेहूं		माइलों
सार्वजनिक वितरण के लिए	रोलर फ्लोर मिल के लिए	सार्वजनिक वितरण के लिए
30.5	20.3	44.8

सरकार ने नवम्बर, 1977 के दौरान 15,000 मीटरी टन गेंहूं सार्वजनिक वितरण के लिए और 16,500 मीटरी टन गेहूं रोलर फ्लोर मिल को आबंटित किया है। चालू वर्ष के अन्त तक की जाने वाली खाद्यान्नों की सप्लाई राज्य सरकार की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी, जिनका अनुमान राज्य सरकार द्वारा बाजार उपलब्धि तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर लगाया जाता है। अतः चालू वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार को सप्लाई की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है।

Schemes Introduced in Drought Hit Adivasi/Backward Areas

1053. **Shri Ram Lal Rahi** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount allocated by Government for irrigation schemes for the current year;

(b) whether these schemes will be introduced in drought hit adviasi and backward areas;

(c) if so, whether survey of such areas has been conducted; and

(d) if so, the names of districts in Uttar Pradesh which have been included under this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (d) A statement giving the needed information, as available, is laid on the table of the House. Further information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as it is received.

STATEMENT I

(a) Tribal Development Area Scheme	I. Department of Rural Development	All Figures in lakhs
(a) the amount allocated by Government for irrigation schemes for the current year;	1. District Srikakulam (Andhra Pradesh).	7.25
	2. District Singhbhum (Bihar)	1.60
	3. District Ganjam (Orissa) (Parlakhemundi).	8.00
	4. District Koraput (Orissa) (Rayagada).	10.60
	5. District Keonjhar (Orissa)	6.00
	6. District Phulbani (Orissa) Balliguda.	9.00
	7. District Bastar, Dantewada (Madhya Pradesh)	4.97
	8. District Bastar, Konta (Madhya Pradesh).	0.60
	Total :	48.02
--		
(b) whether those schemes will be introduced in drought hit, adivasi and backward areas;	Yes, they have already been introduced in these Adivasi Areas.	
(c) if so, whether survey of such areas has been conducted; and	Yes.	
(d) if so the names of districts in Uttar Pradesh which have been included under this scheme ?	There is no programme for Tribal Development Area Projects in Uttar Pradesh.	

STATEMENT II

Statement referred to in parts (a), (b), (c) & (d) of the Lok Sabha Unstd. Question No. 1053 in respect of D.P.A.P.

Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state:

(a) the amount allocated by Government for irrigation schemes for the current year;

(b) whether these schemes will be introduced in drought hit, adivasi and backward areas;

(c) if so, whether survey of such areas has been conducted; and

(b) Drought Prone Area Programme Scheme

(a) to (c) The amount allocated by Government for irrigation schemes under Drought Prone Area programme during the current year in Drought Prone Area Programme States namely, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal is indicated below :—

	(Rs. in lakhs)
Minor Irrigation Schemes	2731.08
Medium Irrigation	1100.00

The Minor Irrigation works would be financed on matching basis by Government

of India and the State Governments. Medium Irrigation works under Drought Prone Area Programme would be financed on 100% grant basis upto the approved ceilings. The Schemes have been approved after proper evaluation of the cost benefit ratio of the projects and other benefits.

(d) if so, the names of districts in Uttar Pradesh which have been included under this scheme ?

(d) In Uttar Pradesh the districts covered under Drought Prone Area Programme in which the Minor Irrigation schemes have been sanctioned are Allahabad, Varanasi, Banda, Hamirpur, Jalaun and Mirzapur.

Following Medium Irrigation Schemes have also been sanctioned in Uttar Pradesh

	(Rs. in lakhs)
Mirzapur	
1. Bakhar Marihan	Rs. 94.72
2. Dhoka Pump Canal	Rs. 75.00
Banda	
1. Barodoha Pump Canal	Rs. 126.50

An amount of Rs. 100 lakhs has been allocated by the Government of India for the above schemes during the current year.

STATEMENT III

Statement referred to in parts (a), (b) (c) & (d) of the Lok Sabha Unstd. Question No. 1053 in respect of Minor Irrigation

II. Department of Agriculture (M.I. Division)

(a) the amount allocated by Government for irrigation schemes for the current year;

(b) whether these schemes will be introduced in drought hit, adivasi and backward areas;

(c) if so, whether survey of such areas has been conducted; and

(d) if so, the names of districts in Uttar Pradesh which have been included under this scheme ?

(a) to (d) Central assistance for State Plan schemes is given in the form of block loans and grants for the Annual Plan as a whole and is not related to any Head of development or particular scheme. The discretion for allocation of funds for various schemes and for various areas rests primarily with the State Governments. The approved outlay for minor irrigation schemes during the current year is Rs. 197.18 crores.

दिल्ली विकास प्राधिकरण को पूर्ण विकसित प्लाटों के लिये भुगतान

1054. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित योजना के अन्तर्गत 70-70 वर्ग गज के पूर्ण विकसित प्लाटों के आवंटन के लिये 4,000 रुपये प्रति प्लाट जमा कराए गये थे और क्या इन प्लाटों का अभी तक विकास नहीं किया गया है; और

(ख) क्या 2000 रुपये (4000 रुपये का 50 प्रतिशत) जिसका बाद में भुगतान करना था, के स्थान पर 2200 रुपये वसूल किये गये थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की मूल योजना में जैसे कि विज्ञापन में दिया गया था 70 वर्ग मीटर के प्लाट के लिए 2000 रुपये की दो किस्तों में 4000 रुपये की कुल राशि देने की व्यवस्था है लेकिन बाद में यह कुल राशि बढ़ाकर 4200 रुपये कर दी गई थी। घोण्डा तथा लोनी रोड योजनाओं के अन्तर्गत 70 वर्ग मीटर के 4186 प्लाट विकसित तथा आवंटित किए गये थे। घोण्डा योजना में कार्य प्रगति पर है लेकिन लोनी रोड योजना पर यह कार्य उच्च न्यायालय से रोकादेश के कारण बन्द कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

आन्ध्र प्रदेश में बड़ी सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति

1055. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितनी बड़ी सिंचाई योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार से अभी भी स्वीकृति लेनी है; और

(ख) स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश को चार बृहद सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग के पास मंजूरी के लिए पड़ी हैं। इनमें से दो परियोजनाएं अर्थात् तालीपेरू परियोजना और येलेरू परियोजना नई स्कीमें है और इनसे 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। दो अन्य परियोजनाएं कृष्णा डेल्टा प्रणाली (4.90 लाख हैक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र) और कुरनूल कुडुप्पा प्रणाली (1.12 लाख हैक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र) के आधुनिकीकरण के लिए हैं जिनसे इन प्रणालियों के जल का उपयोग अधिक दक्षता से होगा और इसके अलावा कुरनूल कुडप्पा नहर के अन्तर्गत वार्षिक सिंचाई में 14,160 हैक्टेयर की वृद्धि होगी। पोचमपाद चरण-दो परियोजना में, जो राज्य सरकार से पहले प्राप्त हुई थी, राज्य सरकार द्वारा गोदावरी नदी के जल के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1975 में हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार संशोधन किया जाना है।

(ख) येलेरू परियोजना और कृष्णा डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपनी टिप्पाणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। कुरनूल कुडप्पा नहर के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और राज्य सरकार का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

तालीपेरू परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार फसल-पद्धति में संशोधन करें। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

ग्रामीण विकास में भाग लेना

1056. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सात महीनों में वर्तमान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए क्या ठोस उपाय सोचे हैं और लागू किये हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस और व्यावहारिक कदम उठाये हैं जिनसे उद्योग ग्रामीण विकास में सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ भाग ले सकें; और

(ग) युवक और छात्र संगठनों की शक्ति के माध्यम से इस प्रमाण को बढ़ाने की संभावना क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गत सात महीनों में वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए उठाये गए ठोस कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने और उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अगले पांच वर्षों की अवधि में सिंचाई के अन्तर्गत 17 मिलियन हैक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र लाया जाना चाहिए। इसमें से, 9 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई के अन्तर्गत होगा। यह कार्यक्रम सिंचित इलाकों में उत्तम कृषि पद्धतियों तथा बहु-शस्योत्पादन के फलस्वरूप रोजगार के अच्छे अवसर भी पैदा करेगा।

(2) अगले तीन वर्षों में किसानों को उपलब्ध ग्रामीण ऋण की मात्रा को दुगना करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(3) ग्रामीण आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि वंटित की गई है। इसमें से, 9.25 करोड़ रुपये राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जिन्होंने ऐसी सड़कों के नमूने तथा अनुमान तैयार भी कर लिए हैं, को पहले ही दिये जा चुके हैं।

(4) 40 करोड़ रुपये की दूसरी धनराशि ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए आबंटित की गई है। इसमें से, 36 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को पहले ही दी जा चुकी है। शेष 4 करोड़ रुपये की धनराशि कठोर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्मों के लिए साज-सामान खरीदने हेतु उपयोग में लाई जानी है।

(5) ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुटीर तथा लघु उद्योगों आदि के क्षेत्रों में उत्पादी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना है।

(6) चालू वर्ष के लिए 6.10 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक मरूभूमि विकास कार्यक्रम इस वर्ष शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले का स्पीति क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर में लद्दाख के ठंडे शुष्क इलाके और राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के गर्म-शुष्क इलाकों के 16 जिले आते हैं।

(7) वर्ष 1977-78 के लिए 200 लाख रुपये के परिव्यय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों जैसे पिछड़े इलाकों में प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण बाजारों के विकास हेतु एक नई योजना शुरू की गई है।

(ख) उद्योगों को ग्राम विकास के कार्यक्रमों में अपना सहयोग जुटाने के लिए दिया गया सक्रिय प्रोत्साहन यह है कि ग्राम विकास के कार्यक्रमों पर उनके द्वारा किए गए व्यय, जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों, पर आयकर से छूट होगी। इसके फलस्वरूप औद्योगिक/व्यापारिक गृहों से ग्राम विकास के लिए 15 परियोजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं।

(ग) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों, जिनमें युवक क्लब, महिला मण्डल आदि शामिल हैं, को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने का प्रस्ताव है।

उपभोक्ताओं को लेवी चीनी

1057. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को लेवी चीनी की मात्रा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्यवार मासिक कोटे जनसंख्या और पिछले खपत पैटर्न के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। क्योंकि खपत पैटर्न प्रत्येक राज्य में उनकी स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की भोजन संबंधी आदतों की दृष्टि में भिन्न भिन्न होता है इसलिए राज्य सरकारों से कहा गया था कि व इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेवी चीनी के वितरण की मात्रा निर्धारित करें और इन सामान्य निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखें कि किसी व्यक्ति को प्रत्येक मास 300 ग्राम से कम या एक किलो से अधिक चीनी नहीं मिलनी चाहिए। तथापि, सरकार के हाल ही के निर्णय के अनुसार दिसम्बर, 1977 से लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों के आवंटन के तरीके में संशोधन किया जा रहा है और जनसंख्या के आधार पर पुनः निर्धारित किए जाएंगे जिससे विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति मास प्रति व्यक्ति कम से कम 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी।

राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि चीनी के वितरण के मामले में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को बराबर समझें।

Repairs to D.D.A. Flats in Jhilmil Colony

1058. **Shri Dayaram Shakya :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the damaged walls and roofs of the quarters allotted in Jhilmil Colony and Vivek Vihar by DDA have not been repaired so far;

(b) whether residents of the quarters faced great difficulties due to the leaking roofs of the quarters in the rainy seasons and the DDA carried out repairs only of some of the quarters and left the rest unrepaired; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative the action taken by Government in this regard?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Micro-Filming of Valuables in India Office Library

1059. **Shri Sushil Kumar Dhara :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the collection of books, valuable letters and other material of "India Office Library" in London have been micro-filmed or are being micro-filmed; and

(b) if so, the time by which it would be completed?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) Yes Sir. They are being micro-filmed.

(b) It is not possible to give any precise idea of the time, but it is likely to take a long time.

दिल्ली में भूमि के प्रयोग के बारे में बृहत योजना में परिवर्तन

1060. श्री एस० सी० मुरुगय्यन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री कृपा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली निगम की स्थायी समिति ने सरकार से भूमि के प्रयोग के बारे में बृहत योजना में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है जिससे निगम अनधिकृत और अस्वीकृत कालोनियों और इस वर्ष 30 जून तक उनमें निर्मित ढांचों को नियमित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) स्थायी समिति द्वारा पास किए गये संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है। दिनांक 16-2-1977 के पत्र में दी गई शर्तों के आधार पर सरकार ने विभिन्न अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय पहले ही ले रखा है। पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 1136/77]

हिदायतों के आधार पर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए एक कार्यान्वयन निकाय का गठन किया गया है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान, जहां अपेक्षित होगा, भूमि उपयोग में परिवर्तन करने का सुझाव देगा

केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों पर खर्च की गई धनराशि

1061. श्री हितेन्द्र देसाई : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के प्रत्येक बंगले पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) उसमें से 'फर्नीचर' पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) रख-रखाव मरम्मत और नवीकरण एवं साज-सज्जा पर किए गए खर्च का एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1137/77]

New Master Plan for Delhi

1062. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be plased to state :

(a) the time by which new Master Plan will be formulated; and

(b) whether Government would conduct a survey of Delhi before formulating the new Master Plan ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Preliminary work on the formulation of a new Master Plan for Delhi has been taken in hand but it is not possible to indicate at this state the time by which the plan will be ready.

(b) Yes, Sir, Studies and Surveys of Physical and socio-economic aspect will be conducted.

धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सम्पदा का मूल्यांकन

1063. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को दी गई वास्तविक सम्पदा का बाजार मूल्य क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : निर्माण और आवास मंत्रालय ने श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को उनके नाम से कोई भूमि अथवा भवन आबंटित नहीं किया था। तथापि, नई दिल्ली में गोल डाकखाने के समीप विश्वायतन योगाश्रम जिसके वे प्रबन्ध न्यासी थे को भूमि आबंटित की गई थी। जिस पर कतिपय संरचनाएं थीं जिन्हें गिराना अपेक्षित था, सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपये है;

सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

1064. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अधिक भूमि में सिंचाई करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनसे प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई होगी;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है तथा अब तक वास्तव में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इनसे कितना अतिरिक्त कृषि उत्पादन तथा रोजगार मिलने की सम्भावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान 1.31 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बृहत/मध्यम स्कीमों से और 1.79 मिलियन हेक्टेयर क्षमता लघु सिंचाई कार्यों द्वारा सृजित करने की परिकल्पना है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष के लिए बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 988.83 करोड़ रुपये और लघु सिंचाई कार्यों के लिए 197.18 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

इस कार्यक्रम में शामिल बहुत सी परियोजनाओं का कार्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है और सृजित की गई अतिरिक्त शक्यता का अनुमान काम के मौसम के अन्त में ही किया जा सकेगा।

(ग) बृहत और मध्यम स्कीमों के द्वारा 1.31 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के पूर्ण विकास पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कृषि उत्पादन होगा। पिछले वर्ष के मुकाबले में चालू वर्ष के दौरान बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर 288 करोड़ रुपये अधिक परि-व्यय करने से मोटे तौर पर लगभग 150 मिलियन जन दिवस के रोजगार का सृजन होगा। लघु सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में भूमि के प्रयोग के बारे में बृहत योजना में परिवर्तन

1060. **श्री एस० सी० मुरुगय्यन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली निगम की स्थायी समिति ने सरकार से भूमि के प्रयोग के बारे में बृहत योजना में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है जिससे निगम अनधिकृत और अस्वीकृत कालोनियों और इस वर्ष 30 जून तक उनमें निर्मित ढांचों को नियमित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) स्थायी समिति द्वारा पास किए गये संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है। दिनांक 16-2-1977 के पत्र में दी गई शर्तों के आधार पर सरकार ने विभिन्न अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय पहले ही ले रखा है। पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 1136/77]

हिदायतों के आधार पर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए एक कार्यान्वयन निकाय का गठन किया गया है और कार्यान्वियन की प्रक्रिया के दौरान, जहां अपेक्षित होगा, भूमि उपयोग में परिवर्तन करने का सुझाव देगा

केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों पर खर्च की गई धनराशि

1061. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के प्रत्येक बंगले पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) उसमें से 'फर्नीचर' पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) रख-रखाव मरम्मत और नवीकरण एवं साज-सज्जा पर किए गए खर्च का एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1137/77]

New Master Plan for Delhi

1062. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be plased to state :

(a) the time by which new Master Plan will be formulated; and

(b) whether Government would conduct a survey of Delhi before formulating the new Master Plan ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Preliminary work on the formulation of a new Master Plan for Delhi has been taken in hand but it is not possible to indicate at this state the time by which the plan will be ready.

(b) Yes, Sir, Studies and Surveys of Physical and socio-economic aspect will be conducted.

धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सम्पदा का मूल्यांकन

1063. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को दी गई वास्तविक सम्पदा का बाजार मूल्य क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : निर्माण और आवास मंत्रालय ने श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को उनके नाम से कोई भूमि अथवा भवन आबंटित नहीं किया था। तथापि, नई दिल्ली में गोल डाकखाने के समीप विश्वायतन योगाश्रम जिसके वे प्रबन्ध न्यासी थे को भूमि आबंटित की गई थी। जिस पर कतिपय संरचनाएं थीं जिन्हें गिराना अपेक्षित था, सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपये है;

सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

1064. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अधिक भूमि में सिंचाई करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनसे प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई होगी;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है तथा अब तक वास्तव में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इनसे कितना अतिरिक्त कृषि उत्पादन तथा रोजगार मिलने की सम्भावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान 1.31 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बृहत/मध्यम स्कीमों से और 1.79 मिलियन हेक्टेयर क्षमता लघु सिंचाई कार्यों द्वारा सृजित करने की परिकल्पना है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष के लिए बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 988.83 करोड़ रुपये और लघु सिंचाई कार्यों के लिए 197.18 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

इस कार्यक्रम में शामिल बहुत सी परियोजनाओं का कार्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है और सृजित की गई अतिरिक्त शक्यता का अनुमान काम के मौसम के अन्त में ही किया जा सकेगा।

(ग) वृहत और मध्यम स्कीमों के द्वारा 1.31 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के पूर्ण विकास पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कृषि उत्पादन होगा। पिछले वर्ष के मुकाबले में चालू वर्ष के दौरान बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर 288 करोड़ रुपये अधिक परि-व्यय करने से मोटे तौर पर लगभग 150 मिलियन जन दिवस के रोजगार का सृजन होगा। लघु सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

1977-78 के दौरान अतिरिक्त शक्यता लक्ष्य

('000 हैक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	शक्यता	
		बृहत/मध्यम	लघु
1.	आन्ध्र प्रदेश	58	47
2.	असम	30	35
3.	बिहार	132	214
4.	गुजरात	108	47
5.	हरियाणा	39	56
6.	हिमाचल प्रदेश	—	2
7.	जम्मू और कश्मीर	4	12
8.	कर्नाटक	35	77
9.	केरल	42	9
10.	मध्य प्रदेश	140	128
11.	महाराष्ट्र	135	73
12.	मणिपुर	—	16
13.	मेघालय	—	4
14.	नागालैण्ड	—	3
15.	उड़ीसा	51	72
16.	पंजाब	35	60
17.	राजस्थान	55	31
18.	सिक्किम	—	1
19.	तमिलनाडु	15	26
20.	त्रिपुरा	—	5
21.	उत्तर प्रदेश	376	734
22.	पश्चिम बंगाल	58	127
	कुल राज्य	1313	1779
	कुल संघ शासित प्रदेश	—	14
	अखिल भारतीय योग	1313	1793

विवरण-II

1977-78 के दौरान वित्तीय कार्यक्रम

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1977-78 (बृहत/मध्यम परियोजनाएं)			1977-78
		पहले से ही अनुमोदित परिव्यय	राज्यों में चुनी हुई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त परिव्यय	कुल परिव्यय	लघु परियोजनाएं योजना सेक्टर परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	103.32	6.00	109.32	7.63
2.	असम	7.40	—	7.40	6.65
3.	बिहार	71.61	10.25	81.86	23.25
4.	गुजरात	70.13	12.00	82.13	11.95
5.	हरियाणा	48.64	7.00	50.64	0.92
6.	हिमाचल प्रदेश	1.40	—	1.40	1.85
7.	जम्मू और कश्मीर	11.95	—	11.95	4.70
8.	कर्नाटक	46.88	12.00	58.88	9.50
9.	केरल	27.00	3.50	30.50	3.50
10.	मध्य प्रदेश	62.40	13.00	75.40	22.00
11.	महाराष्ट्र	114.39 + 19.10	17.00 (ई०जी०एस०)	131.39 + 19.10	20.04 (ई०जी०एस०)
12.	मणिपुर	5.70	—	5.70	0.60
13.	मेघालय	0.02	—	0.02	0.60
14.	नागालैण्ड	—	—	—	0.50
15.	उड़ीसा	24.60	6.00	30.60	10.58
16.	पंजाब	18.35	10.00	28.35	5.80
17.	राजस्थान	53.30	7.50	60.80	3.40
18.	सिक्किम	0.35	—	0.35	0.26
19.	तमिलनाडु	25.58	4.50	30.08	7.07
20.	त्रिपुरा	0.06	—	0.06	0.93
21.	उत्तर प्रदेश	126.54	11.00	137.54	35.82
22.	पश्चिम बंगाल	18.16	6.00	24.16	16.84
	कुल राज्य	837.78 + 19.10	125.75 (ई०जी०एस०)	963.53 + 19.10	194.49 (ई०जी०एस०)
	कुल संघ शासित प्रदेश	6.20	—	6.20	2.69
	अखिल भारतीय योग	843.98	125.75	969.73	197.18*
		19.10 (ई०जी०एस०)		19.10 (ई०जी०एस०)	

*इसमें संस्थागत वित्त और निजी साधनों द्वारा किया जाने वाला परिव्यय नहीं है।

चीनी की समान मूल्य नीति के लिए उपभोक्ताओं की मांग

1065. **डा० बापू कालदाते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1977-78 के लिए चीनी की समान मूल्य नीति के लिए उपभोक्ताओं की मांग पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो दोहरी चीनी मूल्य नीति जारी रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) चीनी की आंशिक नियंत्रण नीति और उसके फलस्वरूप दोहरी मूल्य तथा समान मूल्य लागू करने की नीति को जारी रखने और चीनी से नियंत्रण उठाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनको ध्यान में रखकर और अन्य सभी तत्वों तथा किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योग के हितों पर विचार करने के बाद चीनी की आंशिक नियन्त्रण की नीति और फलतः दोहरी मूल्य नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है। दोहरी मूल्य नीति को जारी रखने का यह कारण है कि केवल इस नीति के अधीन उपभोक्ता को 2.15 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी देना सम्भव है ।

Stock and Damage of Foodgrains

1066. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total quantity of wheat, gram, rice, millet, jowar, maize, milo and pulses procured by the Food Corporation of India and other Government and semi-Government agencies in various states during the last two years quantity-wise and State-wise;

(b) the total stock of the said foodgrains Government have at present including the foodgrains which various types of agencies have ;

(c) whether lakhs of tonnes of foodgrains so stored have been damaged due to various reasons and have become unfit for human consumption quantity-wise and State-wise; and

(d) whether any responsibility has been fixed for damage of these foodgrains and action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Statements giving the required information are attached. (Appendix I to IV). [Placed in the Library. *See*. No. L.T. 1138/77].

(b) As on 1st October, 1977 about 18.2 million tonnes of foodgrains were held on Central as well as State Governments account.

(c) Out of the stocks of foodgrains held by the Food Corporation of India, in covered godowns as well as under CAP (Cover and Plinth), about 1.58 lakh tonnes of foodgrains got affected due to floods, cyclones and rains. Salvaging opertions of these affected stocks are in progress and till 31st October, 1977 about 80 thousand tonnes had been salvaged. A statement indicating quantity-wise and state-wise break up of 8345 tonnes of foodgrains declared unfit for human consumption is attached. (Appendix-V.)

(d) The damage has occurred mainly due to natural causes such as heavy incessant rains, floods and cyclones etc. However, enquiries, wherever considered necessary, are made by the Food Corporation of India in accordance with the prescribed procedure.

Problem of Drinking Water in the Villages

1067. **Shri Chhabiram Argal :**

Shri N.K. Shejwalkar :

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of villages in the country as on 31st October, 1977, state-wise, where arrangement for drinking water does not exist;

(b) the number of villages, state-wise, whose problem of drinking water was solved during the past three years; and

(c) whether Government have formulated schemes for solving the problems of these villages; and if so, the details thereof ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) & (b) Information regarding the number of villages in the country as on 31st October, 1977, state-wise where arrangement for drinking water does not exist and the number of villages whose problem of drinking water was solved during the past three years is not available with the Central Government. Drinking water supply schemes for urban and rural areas form a part of the State Sector of the Fifth Five Year Plan, and these are formulated and executed by the State Governments.

(c) During the current financial year a new Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme has been launched for providing drinking water to problem villages i.e. villages which do not have a source of drinking water within a distance of 1.6 km, or where water sources are infested with guinea-worms or cholera germs, or where the sources of water have excessive toxic chemicals like chlorides, fluorides etc. Under this programme 100% Central assistance is given to States during 1977-78 for execution of water supply shemes approved by Central Government.

A provision of Rs. 40 crores has been made in the Central budget for 1977-78 for this programme. The Programme envisages the supply of drinking water to all the problem villages in the country within next 6-7 years.

Central assistance under this Programme is in addition to the provision of funds made for water supply schemes in the State Sector of the Plan.

Non-Availability of Books prescribed for 10+2 Courses in Delhi

1068. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether books prescribed for 10+2 courses in Delhi Schools are not still available ;

(b) whether these books have been published by N.C.E.R.T.;

(c) whether there were thousands of mistakes in the books of mathematics published by this institution and the book was withdrawn ; and if so, the time by which these books are likely to be published; and

(d) who is responsible for the loss caused to students due to non-availability of books ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) All the textbooks prescribed for 10+2 courses in Delhi schools are available except the revised edition of the textbook on Mathematics for Class XI.

(b) Only eight books were published directly by National Council of Educational Research & Training, the remaining titles were published by private publishers.

(c) Some mistakes were detected in the textbook of Mathematics for Class XI which were rectified immediately. The revised edition of the book is now on print and will be available very shortly. The first edition of the book was never withdrawn.

(d) In view of the position stated against (a) to (c) above, the question does not arise.

Supply of Drinking Water in the Country under World Bank Programme

1069. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Works & Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of parts of the country where schemes for supply of drinking water are being implemented under the World Bank Programme ;

(b) the total outlay involved in these schemes and the amount provided therefor by Government of India and under the World Programme separately; and

(c) the time by which these schemes are likely to be completed ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikhander Bakht): (a), (b) and (c) The undermentioned three schemes are being implemented in the States of U.P., Maharashtra and West Bengal :—

Location	Amount provided (Rs. in lakhs)	
	Total Outlay	I.D.A. assistance
1. U.P. Kaval Towns (Kanpur, Allahabad, Varanasi, Agra and Lucknow) and certain selected rural areas	59	32
2. Maharashtra—Bombay City . .	202	44
3. West Bengal — Calcutta City	170	28

I.D.A. assistance is part of the Government of India assistance for a particular project. The total outlay of the individual project is included within the State Plan ceiling (assisted by the Central Government with block loans and block grants in the ratio of 70 : 30).

The three schemes mentioned above are in progress and are likely to be completed by 1980.

दिल्ली में सब्जियां उगाने के लिये क्षेत्र

1070. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से 30 वर्गमील का क्षेत्र सब्जियां उगाने के लिये आरक्षित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित योजना से राजधानी में सब्जियों की कमी किस हद तक दूर होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषक सेवकों का प्रशिक्षण

1071. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठ हजार कृषक सेवकों को प्रशिक्षण देने संबंधी योजना कब लागू होगी और इन्हें किन-किन विषयों में प्रशिक्षण दिया जायेगा और प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी; और

(ख) ये प्रशिक्षित 'कृषक सेवक' गांवों में किसानों तथा अन्य व्यक्तियों को किस प्रकार शिक्षित करेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) कृषक सेवकों को प्रशिक्षण देने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्कूल-भवनों के निर्माण तथा अपेक्षित अध्यापकों की भर्ती के लिए धन की कमी

1072. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

](क) क्या धन की कमी के कारण संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्कूल-भवनों के निर्माण और अपेक्षित संख्या में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा सकी;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कितने छात्र-आन्दोलन और हड़तालें हुईं तथा उनकी क्या मांगे हैं; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी वरकटकी) : (क) से (ग) अन्दमान और निकोबार प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पोर्ट ब्लेयर में मकानों की कमी

1073. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर (अंडमान तथा निकोबार) में मकानों की अत्यधिक कमी और किराये के मकानों के उपलब्ध न होने के कारण किराये की ऊंची दर के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो पोर्ट ब्लेयर में निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों के लिये मकान उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कैंपवेल वे सरकिट, निकोबार में बसने वाले भूतपूर्व सैनिकों से ज्ञापन

1074. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कैंपवेल वे सरकिट, निकोबार के भूतपूर्व सैनिकों, जो वहां बस गये थे, द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के बारे में जानकारी है; और

(ख) सरकार का उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां। ग्रेट निकोबार में प्रारम्भिक परियोजनाओं में बसाए गए (1969 में बसाए गए) व्यक्तियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) ज्ञापन में की गई मांगों पर सरकार द्वारा पहले भी कई बार विचार किया जा चुका है परन्तु वे मांगे मानने योग्य नहीं हैं।

खाद्यान्न तथा अन्य फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन

1075. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे की कृषि तंत्र संस्था से दिनांक 2 सितम्बर, 1977 को एक लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जीवाणु उर्वरकों का बहुत ही सस्ते तरीके से प्रयोग करके खाद्यान्न तथा अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अभ्यावेदन के बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो यह कब की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन की जांच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सलाह से की गई थी और संस्था को सूचित किया गया था कि फलीदार फसलों के लिए 'रिझोबियम कल्चर' के सिवाय, इसके निमित्त किये गये प्रयोगों के परिणाम परिवर्तनीय रहे हैं। दलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी फसलों में 'रिझोबियम कल्चर' के उपयोग की हिमायत इस मंत्रालय द्वारा पहले ही की जा रही है। जीवाणु उर्वरकों का खाद्यान्नों पर लाभकारी प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है। संस्था के अभ्यावेदन के साथ संलग्न आंकड़ों से भी यह दर्शित होता है कि पुनरावृत्त प्रयोगों में जिनका साख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है, महत्वपूर्ण अन्तर परिलक्षित नहीं होते है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Central Government Assistance to Bihar for providing Free Education

1076. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have taken any initiative to provide free education upto matric standard;

(b) whether the Central Government propose to provide special financial assistance to Bihar State for the purpose;

(c) if so, the amount thereof; and

(d) whether the Central Government would issue directives to the other State Governments for introducing such schemes in their respective States.?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki): (a) to (c) In Bihar education is already free for boys in classes I—VII and for girls upto class VIII. We have no information officially on whether

free educational facilities upto Matric standard are proposed by Bihar Government, though it has been reported in the press.

(d) Constitutional directive enjoins upon the State Governments to provide free education upto class VIII for all children. However a few State Governments have themselves taken the initiative to extend the facility of free edudcation upto the 10th standard. The enclosed Statement indicates the position obtaining in the various states. [Placed in the Library. *See* No. L.T.—1139/77]

रत्नागिरि जिले में ग्राम डभोल में प्राचीन मस्जिद की जीर्ण शीर्ष अवस्था

1077. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के डपोली तालुका में ग्राम डभोल में तीन सौ वर्ष पुरानी मस्जिद है और वह एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक है;

(ख) क्या उक्त मस्जिद अत्याधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उसका संरक्षण किये जाने की आवश्यकता है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले के डपोली तालुका में अनेक पुरातत्वीय महत्व के स्थल और अवशेष हैं ; और

(घ) इन प्राचीन स्मारकों और पुरावशेषों की सुरक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :

(क) जी हां ।

(ख) 1975 में मस्जिद का निरीक्षण किया गया था और इस इमारत की संरक्षण संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित की गई थीं । तदनुसार मस्जिद की विशेष मरम्मत की जा रही है।

(ग) और (घ) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले से ही डपोली तालुका के एक स्मारक को अपने संरक्षण में ले लिया है और पन्हाले काजी के गुफा-समूह को भी सुरक्षित स्मारक घोषित करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

अन्य देशों के लिए भर्ती किये गये अध्यापक

1078. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1971 से 1976 तक की अवधि के दौरान अन्य देशों के लिए कितने अध्यापक भर्ती किए गए ;

(ख) उनकी राज्यवार सूची क्या है ; और

(ग) ऐसी भरती करने के मापदंड क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी वरकटकी) :

(क) देश के बाहर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति का कार्य गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्र० सु० विभाग) द्वारा किया जाता है । उस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार 1971-76 की अवधि के दौरान इन देशों में 1042 अध्यापन विशेषज्ञों को नियुक्ति के लिए चुना गया था।

(ख) विशेषज्ञों की राज्य वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्र० सु० विभाग) द्वारा रखी गई नामिकाओं में पंजीकरण के लिए विदेशों में सेवा करने के इच्छुक शिक्षण सहित विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। विभिन्न देशों की विशिष्ट मांगों के संबंध में उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित किए जाते हैं । अंतिन चयन संबंधित विदेशी सरकार द्वारा स्वंय किया जाता है ।

विशिंजम मत्स्य पत्तन के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

1079. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री विशिंजम नींदकार मत्स्य पत्तन, केरल के बारे में 27 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1937 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को विशिंजम मत्स्य पत्तन परियोजना के बारे में केरल सरकार से अन्तिम प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य बातें ये हैं :—

(1) 280 लाख रूपए की लागत पर दूसरे चरण के मतस्यन बंदरगाह का निर्माण करना जिसमें बांध, भूमि अधिग्रहण, और अन्य सहायक सुविधाएं भी शामिल हैं ।

(2) प्रतिवर्ष लगभग 59,000 मीटरी टन मछलियां बाहर निकालने के लिए 3490 लाख रुपए की कुल लागत पर मछली पकड़ने वाली 260 अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था करना ।

(3) 219 लाख रूपए की कुल लागत पर विकास-पूर्व प्रशिक्षण तथा तकनीकी विशेषता की व्यवस्था करना।

कीटनाशक औषधियों के मूल्य

1080. श्री वयालार रवि : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार कृषि के लिये खाद, बीज आदि आसानी से उपलब्ध कराने हेतु कीटनाशक औषधियों के मूल्य कम करने की आवश्यकता से अवगत है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कृमिनाशी औषधियों को उचित मूल्यों पर उपवब्ध कराने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जो कदम उठाये हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सरकार ने देश में निर्माण की जाने वाली कृमिनाशी औषधियों की प्रमुख मदों के लागत के ढांचे की जांच करने का कार्य औद्योगिक लागत और मूल्य संबंधी ब्यूरो को सौंपा था, ताकि उचित स्तर पर मूल्य निर्धारण के अंतिम उद्देश्य से लाभ का मार्जिन सुनिश्चित किया जा सके। औद्योगिक लागत और मूल्य संबंधी ब्यूरो की तकनीकी ग्रेड की कृमिनाशी औषधियों की 10 मदों की रिर्पोटों से यह बात स्पष्ट होती है कि इन मदों तथा इनके फारमुलेशनों के मूल्यों में कमी करने की गुंजाइश थी। अतः सरकार ने इस उद्योग से अपने मूल्यों को कम करने के लिये उन्हें समझाने की दृष्टि से उनसे बातचीत की। इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप उद्योग ने कई कृमिनाशी औषधियों के मूल्यों को 2 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक कम करना स्वीकार किया। विनिर्माताओं ने अब इनमें से अधिकांश मूल्यों को कम कर दिया है।

(2) सरकार ने कृमिनाशी औषधियों का आवश्यक जिंस के रुप में घोषित करके इन्हें आवश्यक जिस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया है।

(3) सरकार, राष्ट्रीय दृष्टि से 5 महत्वपूर्ण कृमियों/रोगों के नियंत्रण के लिये कृमिनाशी औषधियों की लागत की 50 प्रतिशत की दर से राज-सहायता दे रही है।

(4) छोटे तथा सीमांत कृषकों को कपास, सरसों तथा मूंगफली पर हवाई छिड़काव करने के कार्य के व्यय के लिये प्रति एकड़ 10 रुपये की राज सहायता और अन्य कृषकों के लिये प्रति एकड़ केवल 7 रुपये की राज-सहायता दी जाती है।

(5) स्थानीक मारी की कृमीयों के नियंत्रण के लिए कृषकों को हवाई छिड़काव के कार्य के व्यय के लिए प्रति एकड़ 7 रूपये की दर से और जमीन के छिड़काव के कार्य के व्यय के लिए प्रति एकड़ 3 रुपय की दर से राज सहायता दी जाती है।

(6) सरकार ने वर्ष 1974 से तकनीकी ग्रेड की कृमिनाशी औषधियों के 50 प्रतिशत के वितरण की एक योजना प्रारम्भ की है, ताकि राज्य के भीतर उनके फारमुलेशन के माध्यम से कृमिनाशी औषधियों की सुगम उपलब्धि हो सके और उनके मूल्य स्थिर हो सकें।

(7) एकाधिकार को समाप्त करने और मंडी में तीव्र प्रतियोगिता शुरू करने के उद्देश्य से सरकार अधिक कृमिनाशी औषधियों का उत्पादन करने के लिए स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है।

(8) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्यों में कृमिनाशी औषधियों का बफर स्टाक बनाएं, ताकि आपात स्थिति के दौरान सप्लाई सुनिश्चित की जासके और कृमिनाशी औषधियों के मूल्य स्थिर हो सके।

(9) कुछ राज्य सरकारें अपनी राज्य योजना के अंतर्गत छोटे तथा सीमान्त कृषिकों को कृमिनाशी औषधियों पर 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की राजसहायता भी दे रही है।

(10) फोसलोन-तकनीकी ग्रेड की सामग्री पर कुल सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है। जहां तक सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा सीमा शुल्क के रियायत के लिये सिफारिश की गई अन्य कृमिनाशी औषधियों का संबंध है, उस पर विचार किया जा रहा है।

वक्फ अधिनियम में संशोधन

1081. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खामियों को दूर करने और इसके प्रबंध को कारगर बनाने के लिए पहले से सरकार को प्रस्तुत किए गए वक्फ जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर वक्फ अधिनियम में संशोधनों पर सक्रियता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सदन में संशोधन विधेयक कब तक पेश किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : वक्फ जांच कमेटी की रिपोर्ट, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी, को राज्य सरकारों, राज्य बक्फ बोर्डों तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद को टिप्पणी के लिए भेजा गया था । अधिकांश राज्य सरकारों तथा राज्य वक्फ बोर्डों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं । केन्द्रीय वक्फ परिषद से टिप्पणी अभी आनी शेष है । इसी दौरान कमेटी की सिफारिशों की जांच करने का कार्य शुरू कर दिया गया है । राज्य सरकारों, राज्य वक्फ बोर्डों तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद की टिप्पणी तथा कमेटी की सिफारिशों का कानूनी तथा संवैधानिक दोनों ही दृष्टि से जांच हो जाने के बाद संसद में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा ।

Action against District Manager and Assistant Manager of F.C.I., Agra

1082. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any action has been taken against the District Manager and Assistant Manager in regard to bungling and excesses committed in Agra District office of Food Corporation of India; and

(b) is so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigatoin (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Charges against the District Manager and the Assistant Manager were enquired into but could not be proved.

(b) Question does not arise.

Utilisation of Sale Proceeds of Tickets Sold at Historical Places in Agra

†1083. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the purpose for which the sale proceeds of the tickets sold at the rate of Rs. 2 to the visitors to historical places of Agra during the Emergency have been spent; and

(b) the action being taken to reduce it in consultation with the State Government ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) and (b) : This is done under the Rules framed under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. The Archaeological Survey of India charges an entrance fee of fifty paise only per visitor at the four centrally protected monuments at Agra. The amount thus recovered is credited as revenue to Government. There is a separate budget provision for maintenance of the monuments.

An additional amount of Rs. 1.50 per visitor is being collected by the Uttar Pradesh Government at these four monuments. The Government of India has not approved this arrangement, and the latter has been taken up with the State Government. The stand taken by the State Government is that the proceeds of this additional fee being collected by them would be used for maintenance and improvement of facilities for visitors to Agra in general and these monuments in particular.

Central Grants to Bihar for Animal Husbandry

1085. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in order to remove economic backwardness of the State of Bihar, Government propose to grant loans for animal husbandry and to provide special employment opportunities to the weaker sections of Bihar; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) & (b) : For the benefit of the weaker sections special animal husbandry programmes are being implemented in all states and Union Territories including Bihar. These programmes envisage rearing of cross-bred calves, poultry units of 50 to 100 birds each, piggery units of 3 sows and sheep units of 20 sheep and one ram.

In case of poultry, piggery and sheep units, the indentified small farmers are given subsidy at the rate of 25% of the capital investment required for setting up of the production units, while marginal farmers and agricultural labourers are given subsidy at the rate of 33-1/3%. The remaining investment is to be arranged by the beneficiaries through institutional sources as loan. For feeding cross-bred calves from 4—28 months of age, the identified beneficiaries in small and marginal farmers category are given subsidy at the rate of 50% and agricultural labourers at the rate of 66-2/3% of the total cost of feeding.

The scheme of raising cross.bred calves is a centrally sponsored scheme while poultry, piggery and sheep projects are entirely funded by the Central Government.

In Bihar, 9 districts have been covered by this Special programme and a total of 15 projects have been approved for these districts. Four of these are for rearing of cross-bred calves, six for poultry, four for piggery and one for sheep production.

Central Aid to U. P. for Floods and Drought

1086. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Uttar Pradesh Government has sought Central economic assistance to deal with floods and dourghts; and

(b) if so, the amount of assistance Centre has agreed to provide in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government of India have agreed to provide Rs. 10 crores as advance Plan assistance to the State Government. In addition, the Government have accepted the recommendations of the Central Team to allocate 10,000 tonnes of wheat for free distribution as gratuitous relief.

ग्रामीण व्यक्तियों की ऋणग्रस्तता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्ययन

1087. श्री एस० एन० गोविन्दन नायर :

श्री राजकेशर सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण व्यक्तियों की ऋणग्रस्तता और संस्थागत वित्त की उपलब्धता के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गए एक अध्ययन के निष्कर्षों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) साहूकारों के शिकंजे से कृषि श्रमिकों को बचाने के लिए क्या नये उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1971-72 में किए गए तथा 1975 में प्रकाशित हुए अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण ने 30-6-1971 को सभी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण देयता 3921 करोड़ रुपये तथा निवेश 87,131.6 करोड़ रुपये आंके हैं । इसमें से 1910 करोड़ रुपये, जो कुल देयता का 48.72 प्रतिशत है, 2 हैक्टेयर की सीमा से कम वाले तथा भूमिहीन ग्रामीण परिवारों से सम्बन्धित हैं । सामान्यतः सर्वेक्षण छोटे निवेश वाले वर्गों के बीच ऋण का उच्चतर अनुपात दर्शाता है । ये परिवार कुल ग्रामीण परिवारों का 78.01 प्रतिशत हैं ।

(ग) अधिकांश राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों ने णग्रस्ताता से राहत देने तथा साहूकारों पर नियंत्रण रखने के लिए पहले ही कानून बनाना आरम्भ कर दिया है । भारतीय रिजर्व बैंक से इसके लाभों तथा वैकल्पिक संस्थागत ऋण प्रबन्धों का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राथमिक कृषिऋण सोसायटियों को कमजोर वर्गों को अपेक्षित ऋण तथा सेवाएं सुलभ करने योग्य सक्षम इकाइयां बनाने हेतु एक पुनर्गठन कार्यक्रम शुरु किया गया है । आशय यह है कि धीरे-धीरे गरीब ग्रामीण के लिए संस्थागत ऋण में वृद्धि की जाए तथा साहूकारों पर उनकी निर्भरता को कम किया जाए । कृषि श्रमिकों के आय स्तर को उठाने के लिए लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा पशुपालन की केन्द्रीय योजनायें जैसी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादी कार्यक्रम भी कार्यन्वित किए जाते हैं ।

कोलाचल, कन्याकुमारी में मछली पकड़ने वाले पत्तन

1088. श्री के० टी० कोसलराम : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में कोलाचल के समीप एक मछली पकड़ने वाले पत्तन की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला स्थगित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई योजना

1089. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई की, जिला-वार, कौन-कौन सी योजनायें प्रायोजित कीं और उनके लिए वित्त उपलब्ध किया तथा उपरोक्त अवधि में उनके लिए कितनी धनराशि मन्जूर की और व्यय की ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) लघु सिंचाई के लिए हिमाचल प्रदेश को भावी वर्ष के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई के लिए वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक की अवधि के दौरान मंजूर की गई तथा व्यय की गई धन राशि नीचे दी गई है :—

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	जिले का नाम	मंजूर की गई धनराशि	व्यय की गई धनराशि
1.	सिरमूर	35.05	19.72
2.	सोलन	9.50	12.53*
3.	शिमला	3.50	0.45
		48.05	32.70

*व्यय के विभिन्न शीर्षों के लिए समूचे प्रशासकीय अनुमोदन के अन्दर पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त धनराशि ।

जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत किन्नौर, लाहोल और स्पीती जिलों में तथा चम्बा जिले की पांगी तथा भारमौर तहसीलों में एकमुश्त अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी । केन्द्रीय सहायता समान रूप से कि उप-योजना के लिए प्रदान की जाती है और इसका विशेष योजना से संबंध नहीं है । पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि निम्नलिखित है :—

(रुपए लाखों में)

1974-75	1975-76	1976-77
शून्य	31.00	68.00

इसमें लघु सिंचाई योजना के लिए निर्मुक्त की गई धनराशि भी शामिल है । विशेष रूप से लघु सिंचाई के लिए निर्मुक्त की गई धनराशि तथा जिलावार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) 55,670 वर्ग कि० मी० के कुल क्षेत्र में से 6,500 वर्ग कि० मी० क्षेत्र को भूमिगत जल सर्वेक्षण के अन्तर्गत लाने का विचार है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने मार्च, 1977 के अन्त तक 3520 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में क्रमबद्ध सर्वेक्षण और 1370 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण तथा 525 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में भूमिगत जल अन्वेषण तथा प्रथम स्रोत मूल्यांकन अध्ययन किए । भूमिगत जल विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है ।

(घ) वर्ष 1978-79 के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में वन रोपण के लिये विदेशी सहयोग

1090. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वनरोपण के लिए विदेशी सहयोगी के साथ कोई बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन देशों के साथ सहयोग किया गया है;

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे तथा उनके वनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना में कुल कितना पूंजी निवेश किया जाएगा और परियोजना को कब तक आरम्भ और पूरा किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तकनीकों को अच्छे स्तर पर लाने के विचार से नर्सरी में और अच्छे स्तर के त्रिशंकुओं की बागानी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक अनुसंधान केन्द्र को सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में इस परियोजना में विचार किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक वैज्ञानिक उपस्करों का आयात करना और विशेषज्ञ सेवाओं तथा विदेश में प्रशिक्षित भारतीय तकनीशियनों को उपयोग में लाना है । प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है । अब तक किसी भी देश को सहयोग के लिए नहीं कहा गया है ।

(ग) यह प्रस्ताव उच्च स्तरीय त्रिशन्कु पर शिमला में पहले से चल रहे अनुसंधान केन्द्र को सहयोग देने के बारे में है ।

(घ) परियोजना की लागत 25 लाख रु० है । परन्तु यह अभी तैयार की जा रही है । विभिन्न सम्बद्ध विभाग इस पर कार्यवाही कर रहे हैं । अतः इस अवस्था में इसे शुरू करने तथा पूरा करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती ।

1964 के दंगों तथा 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के बाद आने वाले शरणार्थी

1091. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में 1964 में हुए साम्प्रदायिक दंगों तथा 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत आये शरणार्थियों में से भूतपूर्व 'पूर्वी पाकिस्तान' के कितने शरणार्थी अब विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं;

(ख) 1971 के भारत-पाक युद्ध के तुरन्त पूर्व तथा पश्चात् भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के कितने शरणार्थी भारत आये; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या नीति और कार्यक्रम बनाया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1-11-64 से 25-3-71 की अवधि के दौरान भारत आए तथा इस समय शिविरों/कार्यस्थल शिविरों में रह रहे पुनर्वास योग्य परिवारों की संख्या 4,555 है ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार राहत तथा पुनर्वास सहायता भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए केवल उन परिवारों को ही दी जाती है जो 25-3-1971 से पूर्व भारत आए थे । ऐसे सभी व्यक्ति जो अप्रैल 1971 से नवम्बर, 1971 की अवधि के बीच भारत आए थे उन सब को बंगलादेश वापिस भेज दिया गया था । उनकी संख्या 98.99 लाख थी ।

(ग) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 21,300 प्रवासी परिवारों को पांचवी योजना अवधि के दौरान बसाया जाना है । शेष 2,200 परिवारों को छठी योजना अवधि के दौरान अर्थात् 1982-83 तक बसाया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नगरों के विकास पर किया गया खर्च

1092. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1974—77 के दौरान दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, लखनऊ, पटना और कलकत्ता नगरों के विकास पर केन्द्रीय सरकार ने कितना धन खर्च किया;

(ख) उक्त नगरों के विकास के लिए खर्च के नियतन के सम्बन्ध में क्या-क्या मूल सिद्धांत अपनाये जाते हैं ;

(ग) उपरोक्त नगरों में से प्रत्येक नगर के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके विकास के सम्बन्ध में नीति की रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ग) : संभवतः इस प्रश्न का संबंध निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रशासित महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को एकीकृत नगर विकास की योजना से दी गई केन्द्रीय सहायता से है । यदि ऐसा है तो अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । इस योजना से दिल्ली और पटना के लिए अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है ।

(ख) तथा (घ) यद्यपि नगर विकास अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है, फिर भी पांचवी योजना अवधि के दौरान आरम्भ की गई महानगरों की तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की एकीकृत नगर विकास की योजना के अन्तर्गत शहरों तथा कस्बों के विकास के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों के वे सभी शहर और कस्बे जिनकी आबादी 3 लाख और इससे अधिक है, बढ़ने वाली जनसंख्या के कस्बे और बड़े-बड़े कस्बे केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं । केन्द्रीय सहायता के लिए परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जानी है और जब परियोजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार स्वीकार की जाती है तो हुई प्रगति के अनुसार सहायता मंजूर की जाती है ।

विवरण

महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की एकीकृत नगर विकास की योजना से प्रश्नाधीन शहरों के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

शहर का नाम	जिन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि			
	1974-75	1975-76	1976-77	योग (2+3+4)
1	2	3	4	5
दिल्ली	—	—	—	—
बम्बई	387	315	1100	1802
बंगलौर	—	—	30	30
मद्रास	200	265	112	577
लखनऊ	—	—	20	20
पटना	—	—	—	—
कलकत्ता	750	600	750	2100
कुल योग				4529

मत्स्य नौकाओं के लिए लायसेंस

1093. **श्री समर गुह :**

श्री सुखदेवा प्रसाद वर्मा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के लिये मत्स्य नौकाएं खरीदने हेतु विभिन्न कम्पनियों को लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं और क्या सभी लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं ने मत्स्य नौकाओं की खरीद के लिये निर्धारित शर्तें पूरी कर ली थीं; और

(ग) मत्स्य नौकाओं के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु किन अन्तर्निहित सिद्धांतों का पालन किया गया और इसी उद्देश्य के लिये लाइसेंसों की अगली किस्त कब जारी की जाएगी और इन मत्स्य नौकाओं के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उन आवेदकों, जिन्हें ट्रालरों के आयात का आवंटन किया गया है, के नामों की सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-1140/77] ये सभी पार्टियां ट्रालरों के आयात के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करती थीं।

(ग) ट्रालरों के आयात की इजाजत देते समय अपनाए गए प्रमुख सिद्धान्त निम्नवत् हैं :—

1. मात्स्यकी के क्षेत्र में अनुभव जिसमें परिसंस्करण और विपणन शामिल है।
2. आवेदक की प्रबन्धकीय योग्यता; और
3. आर्थिक सुदृढ़ता और निर्भरता तथा बाजार में प्रतिष्ठा।

आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताएं दी गईं :—

1. सार्वजनिक क्षेत्र के निगम;

2. सहकारी समितियों को;

3. छोटे एवं मध्यम आकार के मछुवा संगठन तथा अलग-अलग वैयक्तियों को; और

4. बड़े आकार के औद्योगिक एककों को, जिनमें बड़े हाऊस शामिल हैं।

परियोजना की आर्थिक क्षमता पर विचार करते समय इस बात पर उपयुक्त विचार किया गया कि क्या कहीं परिसंस्करण क्षमता बेकार पड़ी थी , जिसे ट्रालरों का आबंटन करके प्रयोग में लाया जाना चाहिये और क्या मत्स्यन नौकाओं की संख्या अपर्याप्त थी, जिसे बेड़े को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ाने की जरूरत होगी ताकि वह एक यूनिट बन सके।

अधिक ट्रालर आयात करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। ट्रालरों के आयात के लिए पहले से ही स्वीकृत अपेक्षित विदेशी मुद्रा लगभग 40 करोड़ रु० है।

Rehabilitation of the Residents of Katra Karim Khan Paharganj, by D.D.A.

1094. **Shri Yadvendra Dutt:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of residents of 7523, Katra Karim Khan, Paharganj, Delhi rehabilitated by Slum Department of Delhi Development Authority after evicting them from there in 1976;

(b) the number of families out of them belonging to scheduled Castes and minority community;

(c) whether all those families have been rehabilitated in some part of Delhi and the number of families which have not so far been rehabilitated;

(d) the number of applications of the evicted families for allotment of houses pending in the office of the Commissioner (Slums) and whether these applications would be disposed of and the grounds on which the applications have so far been rejected indicating their number; and

(e) the details of rules regarding allotment of houses to the evicted families ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) 48 families

(b) No survey was conducted to ascertain the number of families belonging to Scheduled Castes and minority community.

(c) All the families have been rehabilitated.

(d) Three families applied for allotment of additional tenements in 1977 on the grounds of having large families. Their request could not be acceded to due to shortage of tenements.

(e) A copy of the rules is annexed.

Statement

Rules for the Allotment of Tenements under the Slum Clearance Scheme

1. Only such persons shall be eligible for allotment of slum tenement who are legal allottees of a municipal property or have been in occupation of private property which has been acquired for slum clearance and improvement or Redevelopment purposes and is located in an area declared as Slum Area.

2. An occupant (who is not a legal tenant) of a municipal property falling in Slum Area which is either declared dangerous or is affected by a Slum Clearance or a Redevelopment scheme will be eligible for allotment of slum tenement subject to the fulfilment of the following conditions :—

(a) If he has been in continuous occupation of the affected building from a date prior to Jan., 1961, he will have to pay monthly rent at 25% of the assessed rent on the basis of record received from the previous owner from the date of his occupation in building. He will also have to pay all arrears of rent from the date of transfer of the building to the Corporation, less the amount already paid.

(b) If he has been in continuous occupation of the affected building prior to 31-12-66, he will have to pay licence fee at double the original/assessed rent from the date of his occupation in building as well as arrears of rent from the date of transfer of the building to the Corporation, less the amount already paid.

(c) If he has been in continuous occupation of the affected building prior to 27-8-71, he will have to pay licence fee at triple the original/assessed rent from the date of his occupation in building as well as arrears of rent from the date of transfer of the building to the Corporation, less the amount already paid.

3. Occupants of mosques/religious buildings being used for residential purposes which fall in a slum area will also be eligible for allotment of Slum tenements provided they submit documentary proof to establish their continuous occupation of a particular mosque/ religious building from a date prior to 27-8-1971.

4. Such surplus occupants of private properties covered under Redevelopment Scheme who cannot be rehabilitated back at the site due to less number of dwelling units provided in the Lay-out of the Redevelopment Scheme.

5. In families consisting of more than five members, each natural family unit will be eligible for allotment of a separate tenement subject to the following conditions:—

(a) Fulfilment of all the conditions prescribed in para 2(a), (b) and (c).

(b) Each family unit must have a minimum of one bread-winner with independent means of livelihood.

Note: A unit consisting of a married couple (or individuals or 21 years of age or more in case of unmarried and widowed persons), dependent sons/daughters, step-sons or step-daughters and/or any other blood relations or relations by marriage except those separated by Court Decree, old parent with no independent means of livelihood will be deemed to be constituting a natural family unit.

6. (a) If the applicant or any member of his family, owns any residential building or plot within the limits of the Union Territory of Delhi, he shall not be eligible for the allotment of a slum tenements, even though he may be fulfilling all other conditions.

(b) Each applicant shall be required to fill in the prescribed application form and to file an affidavit on a stamp paper of the value of Rs. 2, duly attested by a First Class Migistrate, to the effect that the applicant does not own any residential house or plot within the limit of the Union Territory of Delhi either in his/her own name or in the name of the husband or wife or minor children or other dependent members of the family.

7. Persons found eligible for allotment of slum tenements shall be required to pay subsidised rent if their monthly income from all sources is below Rs. 350 per month at the time of allotment. Persons having a monthly income of Rs. 350/- or above per month, at the time of allotment, shall be required to pay the economic rent.

8. The allottees shall be required to (i) fill up identity card with photographs and all family members; (ii) pay two months rent step charges, security money etc. in advance; (iii) pay in advance monthly water and conservancy charges at the rate determined by the Corporation from time to time, in addition to the rent; (iv) pay increased or revised rent,

if any addition or alteration is made by the Corporation in any slum tenement.

9. The rent shall be payable by the allottees every month in advance on or before the 10th of each calendar month. The rent charged at the time of allotment is provisional and is subject to enhancement after compilation of the final accounts or subsequent increase in the cost of compensation of lands etc.

10 The allottee will render himself liable to cancellation of allotment and eviction if he:—

(a) fails to pay the rent and other dues within the stipulated date ;

(b) sublets the tenements or any portion thereof ;

(c) parts with the possession of the tenement or any part thereof ;

(d) uses it for any purposes other than his residence or the residence of his family as defined in Rule 4 ;

(e) makes or permits any unauthorised construction, encroachment upon the land appurtenant ; and

(f) violates any of the above rules or any rules on the subject made from time to time.

Milk Powder of Delhi Milk Scheme

1095. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the quantity of Milk Powder of Delhi Milk Scheme declared unfit for human consumption during the last six months and the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : DMS receives raw milk from long distances some of which on arrival is considered unsuitable for use as fluid milk for human consumption and is converted into milk powder.

61.31 tonnes of such milk powder was declared as trade waste, unfit for human consumption from 15th May, 1977 to 15th November 1977. The reasons for declaring the powder unfit for human consumption were presence of hard flakes, heavy burnt particles, decolourised powder and development of off smell and taste.

भारतीय बच्चों के लिए विदेशों द्वारा सहायता

1096. **श्री के० लकप्पा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बच्चों के कल्याण में सहयोग देने के लिए अनेक देशों ने भारत से पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने सहायता की पेशकश की है ;

(ग) इस सहायता को उपयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) 1978 के दौरान कल्याण विभाग द्वारा आरम्भ की जाने वाली योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) भारत के बच्चों के कल्याण हेतु किसी भी देश ने भारत सरकार को पेशकश नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हड़तालें

1097. श्री के० लकप्पा :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हड़तालें और प्रोफेसरों तथा अध्यापकों के अपमान की घटनाएं फिर चालू हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत छह महीनों में शिक्षा पर काफी कम भाव पड़ा है और कई बार इन दंगों के कारण विश्वविद्यालयों को बन्द करना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन विश्वविद्यालयो में वातावरण सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बहुधा आपातकाल से उत्पन्न कुण्ठा के कारण विद्यार्थियों द्वारा कुछ हड़तालें की गई थीं लेकिन अध्यापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही विश्वविद्यालय बन्द किया गया। परिसर में शान्ति बनाये रखने में सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की कुछ जांच समितियां और शान्ति समितियों का भी गठन किया। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य बताई जाती है।

आपातकाल के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा की गई तथाकथित ज्यादतियों की कुलाध्यक्ष (विजीटर) द्वारा जांच हेतु अपनी मांगों पर जोर देने के लिए विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कुछ समय से आन्दोलन कर रहे हैं। छात्रों ने कुलपति, समकुलपति, कालेजों के संकायाध्यक्ष (डीन) तथा विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण के डीन, के कार्यालयों की 12 नवम्बर, 1977 को तालाबन्दी कर दी थी। तथापि ये ताले 14 नवम्बर, 1977 को छात्रों के अन्य समूह द्वारा हटा दिए गए। छात्रों का एक समूह कुलपति के कार्यालय के बाहर धरना भी दे रहा है। विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद् ने इसी बीच छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा आम जनता से अपील की है कि वे विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सामान्य रूप से जारी रखने तथा विश्वविद्यालय के कार्य में और अधिक रचनात्मक सहयोग हेतु मैत्री भाव को और सुदृढ़ बनाने के लिए पूरा सहयोग दें।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र भी आपातकाल के दौरान विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा की गई तथाकथित ज्यादतियों की कुल अध्यक्ष (विजीटर) द्वारा जांच करने के लिए अपनी मांग पर जोर देने हेतु आन्दोलन कर रहे हैं। 2 नवम्बर, 1977 को विश्वविद्यालय के कुलपति तथा दो अन्य अधिकारियों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने से छात्रों द्वारा रोका गया था। विश्वविद्यालय के कर्मचारी संगठन के सदस्य इस घटना से उत्तेजित हुए तथा बिजली और पानी जैसी अनिवार्य सेवाओं को बन्द कर देने के साथ-साथ सम्पूर्ण हड़ताल करने के आह्वान का निर्णय किया। स्थिति और अधिक खराब होने से बचाने के लिए कुलपति ने 3 नवम्बर, 1977 से विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने का निर्णय किया। विश्वविद्यालय अब भी बन्द है। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर हैं जबकि दूसरे कुलपति के आवास के बाहर 'धरना' दे रहे हैं।

विश्वविद्यालय को बन्द करने का आदेश देते समय, कुलपति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विश्वविद्यालय तभी खुल सकता है जब छात्रों के नेता तथा कर्मचारी संगठन के नेता, दोनों से ही यह

आश्वासन मिल जाएगा, कि दोनों पक्ष विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के सामान्य तथा वैध कार्यकलापों, कार्यकरण और उनकी गतिविधियों के संबंध में समान रूप से गारंटी देते हैं।

अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस समय अशान्ति की कोई रिपोर्ट नहीं है।

डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली में जोनल विकास योजना

1098. **श्री डी० जी० गवई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली की जोनल विकास योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों को इस बीच तैयार कर लिया गया है और उन पर सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ;

(ग) सरकार ने पुनरीक्षित जोनल विकास योजना को अन्तिम रूप कब दिया था; और

(घ) क्या पुनरीक्षित जोनल विकास योजना को क्रियान्वित करने का कार्य इस बीच आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस परियोजना पर कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी नहीं

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् परिशोधित क्षेत्रीय विकास प्लान का कार्यान्वयन किया जाएगा।

डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी आवास को किराये पर देना

1099. **श्री डी० जी० गवई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में बहुमंजिले सैक्टरों में उन सरकारी आवास अलाटियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने फ्लैट पूर्णतः किराये पर दे रखे हैं और अपने किरायेदारों से अवैध रूप से बहुत अधिक किराया ले रहे हैं।

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सर्वेक्षण कराने और दोषी एलाटियों को दण्डित करने का है और यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) चालू वर्ष के दौरान अनधिकृत उप-किरायेदारी का केवल एक प्रमाणित मामला ध्यान में आया। आवंटी को 3 वर्ष के लिए आवंटन से वंचित कर दिया गया था।

(ख) सामान्य पूल रिहायशों के अनधिकृत उप किरायेदारी के मामलों का पता लगाने की दृष्टि से समय-समय पर कोई से भी क्वार्टरों को चुनकर उनका अकस्मात निरीक्षण करने की पद्धति पहले से ही है।

Central Government Scheme to provide houses in the Northern districts of Bihar

1100. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Works and Housin g and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are formulating any scheme to provide housing facility to villagers affected from erosion in north Bhagalpur and north Monghyr districts in Bihar State ;

(b) if so, the time by which these homeless persons are likely to be provided houses;

(c) whether the State Government have submitted any scheme in this regard to the Central Government; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) No, Sir. This concerns the State Government.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा केरल राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए सहायता

1101. **श्री के० ए० गजन :**

श्री एम० एन० गोविन्द नायर :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के आवास बोर्ड ने आवास और नगरीय विकास निगम (हुडको) से समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों और राज्य के कुडिकिडाप्पकारों के लिए मकान बनाने की अपनी योजना के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) क्या यह सच है कि आवास और नगरीय विकास निगम केवल नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं के लिए ही वित्तीय सहायता देता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह योजना राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए शुरू की है, क्या आवास और नगरीय विकास निगम को अपनी शर्तों में ऐसे संशोधन करने के आदेश दिए जाएंगे, जिससे इस निगम की ऋण सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उपलब्ध होने लगें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम किसी भी योजना के लिए चाहे वह नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों की हो, धन देता है बशर्ते कि योजना इसके मार्गदर्शनों के अनुरूप हो।

(ग) हुडको ने ग्रामीण आवास के लिए पहले ही एक योजना की घोषणा की है और सभी राज्य सरकारों/अभिकरणों को इस योजना से अवगत करा दिया गया है। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत निर्माण अभिकरणों को ग्रामीण आवास के लिए 5% की शुद्ध ब्याज की दर से ऋण दिये जायेंगें जिसे 10 वर्ष के अन्दर लौटाना होगा। बशर्ते कि मकान की लागत 4000 रुपये से अधिक न हो, जिसमें हुडको की ऋण सहायता 50% तक सीमित होगी। शेष राशि नकद या सामग्री के रूप में आवंटी के अपने योगदान से तथा/या राज्य सरकार से सहायता/ऋण के रूप में जुटाना होगा।

सहकारी क्षेत्र के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं की व्यवस्था

1102. **श्री के० ए० राजन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों की सहकारी समितियों के माध्यम से देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास करने के लिए अगले वर्ष के अंत तक कम से कम 200 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) देश में गहन समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास करने के लिए 1978–79 के अंत तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 200 जलयानों को प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। लेकिन सहकारी नीति यह है कि सार्वजनिक तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से कार्यकलापों का विस्तार किया जाए।

गैर सरकारी निर्माताओं द्वारा आवास समस्याओं का समाधान

1103. **श्री के० ए० राजन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी की आवास समस्या को हल करने हेतु गैर सरकारी निर्माताओं का सहयोग लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहयोग कैसा और किस प्रकार का होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह अभी प्रस्ताव मात्र ही है।

(ख) तथा (ग) इस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता।

Acquisition of Land for Jawahar Bhawan, U.P.

1104. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the amount of the compensation worked out for the land acquired in Uttar Pradesh for Jawahar Bhawan.

(b) whether the compensation has been paid; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Works & Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) to (c) The Ministry of Works & Housing have not acquired land in Uttar Pradesh for Jawahar Bhawan.

Dairy Farm (Goshala) for Cow Progeny

1105. **Shri O.P. Tyagi:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Government and semi-government dairy farms (goshalas) in various States for protection and promotion of cow progeny and for production of milk;

(b) the number of new dairy farms proposed to be opened in various States during the coming year ; and

(c) the total expenditure to be incurred on the new dairy farm?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (c) There are no government and semi-government goshalas nor is there a proposal under consideration for starting any. However, Cattle Breeding Farms are being run both by the Central government and the State Governments for producing quality bulls to improve the cattle population.

Reinstatement of Employees of Jawaharlal Nehru University

1106. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the employees of Jawaharlal Nehru University, who were removed from service during Emergency, have not been reinstated in accordance with the declared policy of Government as a result of which there is great discontentment among the staff of the University; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

अधिकारी जिनको हकदार से ऊंची श्रेणी के आवास आबंटित किए गए

1107. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों के निजी कर्मचारियों सहित उन सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में उनकी अपनी हकदार श्रेणी से ऊंची श्रेणी के रिहायशी मकान आबंटित किए गए तथा उन्हें ऊंची श्रेणी के मकान आबंटित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त आवास को खाली कराने और उन्हें ऐसा आवास आबंटित करने जिसके कि वे हकदार हैं अथवा उससे नीची श्रेणी का आवास देने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पीतमपुरा, रिहायशी कालोनी, दिल्ली में सुविधाओं की व्यवस्था

1108. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित पीतमपुरा रिहायशी कालोनी में मल निस्सारण व्यवस्था, जल, सड़कों पर प्रकाश आदि सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इन आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने में असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली में पीतमपुरा रिहायशी कालोनी में सभी ब्लाकों का जहां भूमि 1975-76 में बेची गई थी, पूर्णतः विकसित कर दिया गया है ताकि वहां मकान बनाये जा सकें ;

(घ) यदि नहीं, तो विकसित किये गये ब्लाकों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक विकसित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) लेआउट में परिवर्तन करने से कुछ ग्रुप हाउसिंग के भूभाग के प्लाटों में बदलने, इमारती सामान की समय-समय पर कमी होने तथा पट्टेदारी सोसायटियों से उनके बिजली प्रभारों के अंश के भुगतान के लिए सन्तोषजनक उत्तर न मिलने आदि के कारण विलम्ब हुआ।

(ग) सेवा संस्थापनाओं का निर्माण पूरा किए जाने के बाद ही आवंटित प्लाटों पर भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

(घ) प्रत्येक ब्लाक/पाकेट के सामने उल्लिखित निम्नलिखित सेवाएं अभी भी पूरी नहीं हैं :

1. **सड़कें**—के (पूर्वी), टी एण्ड एम उत्तरी
2. **जल पूर्ति**—डी०एच०के० (पूर्वी)

   टी०यू०एम० (उत्तरी) तथा सी एण्ड जी (दक्षिणी)
3. **नालियां**—डी (पूर्वी), टी०यू०एम० (उत्तरी) तथा सी एण्ड जी (दक्षिणी)

(ङ) लगभग एक वर्ष में।

सप्रू हाउस में स्थित पुस्तकालय की वित्तीय जरूरत के बारे में विशेषज्ञ समिति

1109. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, सप्रू हाउस, नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय का विकास करने हेतु वित्तीय जरूरतों का पता लगाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 5.20 लाख रुपये के पूर्वानुमानित व्यय के आधार पर जिसमें से 1.20 लाख रुपये विश्व मामलों की भारतीय परिषद् द्वारा ही वहन किये जाने थे, विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि 4.00 लाख रुपये का घाटा भारत सरकार और अन्य एजेंसियों के बीच बांट लिया जाये।

(ख) यह मामला विश्व मामलों की भारतीय परिषद् के परामर्श से भारत सरकार के विचाराधीन है। तथापि, रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने तक भारत सरकार विश्व मामलों की भारतीय परिषद् को 1.00 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दे रही है।

तीनमूर्ति भवन से नेहरु स्मारक को हटाना

1110. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीनमूर्ति भवन से नेहरु स्मारक को स्थानान्तरित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य स्मारक हाल को भी स्थानान्तरित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार नेहरु स्मारक को तीनमूर्ति भवन में ही रखने का आश्वासन देगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) फिलहाल नेहरु स्मारक को तीन मूर्ति भवन से स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिये अन्य प्रश्न ही नहीं उठते ?

अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने सम्बन्धी स्वैच्छिक संगठन

1111. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षक का प्रसार करने के लिए वर्ष 1976-77 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जिन 50 स्वैच्छिक संगठनों की वित्तीय रूप से सहायता की गई, उनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक संगठन को कितनी सहायता दी गई; और

(ग) यह देखने के लिए क्या निगरानी रखी गई है कि उन संगठनों द्वारा यह धनराशि किस प्रकार खर्च की जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी०-1141/77]।

(ग) प्रत्येक स्वैच्छिक एजेन्सी को एक प्रगति रिपोर्ट तथा लेखों का परीक्षित विवरण भेजना होता है। कुछ मामलों में, मौके पर निरीक्षण भी किये जाते हैं। संस्वीकृति की एक प्रतिलिपि राज्य सरकारों को भी पृष्ठांकित की जाती है, जिनसे यह पर्यवेक्षण करने की आशा की जाती है कि धनराशि का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है।

राजगढ़, गुना, विदिशा मुरेना और ग्वालियर जिलों के लिए सिंचाई योजनाएं

1112. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री एन० के० शेजवालकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजगढ़, गुना, विदिशा मुरैना और ग्वालियर (मध्य प्रदेश) जिलों के पिछड़े क्षेत्रों को सिंचाई के लिए (एक) बड़ी परियोजनाओं (दो) मध्यम परियोजनाओं तथा (तीन) लघु परियोजनाओं के संबंध में सरकार के विचाराधीन कौनसी योजनायें है; और

(ख) उपरोक्त जिलों में तीन मुख्य नदियों पारवती, काली सिन्दी तथा नीवच पर लघु उठाऊ सिंचाई, छोटे बांधों तथा टैंकों के सम्बन्ध में क्या योजनायें बनाई जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा जिले के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हलाली, सागर और बाह परियोजनाओं के बारे में राजगढ़ जिले के क्षेत्रों के लाभ के लिए दूधी परियोजना के बारे में और राज्य के राजगढ़, गुना, सिहोर और भोपाल जिलों के लाभ के लिए पारवती परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। राजगढ़ जिले के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली शमशेरपुरा टैंक परियोजना नामक एक मध्यम स्कीम का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1977 में किया गया था।

लघु सिंचाई कार्यों के बारे में सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खंडसारी बनाने वाले एककों पर वित्तीय संकट

1113. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खंडसारी बनाने वाले कारखाने उन पर लगाये गये भारी उत्पादन-शुल्क के कारण वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी उत्पादक कारखानों की तुलना में सरकार खंडसारी उद्योग के कृषि-अधार और जन-शक्ति क्षमता को ध्यान में रखने में असमर्थ रही है; और

(ग) देश में खंडसारी उत्पादक संगठनों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) खण्डसारी चीनी पर शुल्क की दर 17-1/2 प्रतिशत मूल्यानुसार है। यह दर मुक्त बिक्री की चीनी पर लगाए गए शुल्क, जोकि 15-11-77 तक 45 प्रतिशत था और 16-11-77 से 27-1/2 प्रतिशत है, की तुलना में बहुत ही कम है।

अधिकांश खण्डसारी उत्पादकों पर मिश्रित लेवी प्रणाली के अधीन शुल्क लगाया जाता है, जोकि उत्पादित खंडसारी की मात्रा से संबंधित नहीं होता है बल्कि वह खंडसारी तैयार करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए सेन्ट्रफ्युजल के आधार पर आधारित होता है। इस प्रणाली के अधीन शुल्क की दर मूल्यानुसार दर अथवा मुक्त बिक्री की चीनी की दर से बहुत ही कम होती है।

(ख) और (ग) निर्वात पात्र चीनी फैक्ट्रियों के विपरीत, केन्द्रीय सरकार ने खंडसारी उद्योग को किसी भी नियंत्रण के बिना कार्य करने के लिए छोड़ दिया है। निर्वात पात्र चीनी की भांति इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है और इस तरह यह उद्योग अपना सारा उत्पाद खुले बाज़ार में मांग और पूर्ति के आधार पर किसी भी दाम पर बेच सकता है। सरकार निर्वात पात्र चीनी उद्योग की तुलना में खंडसारी उद्योग के कृषि आधार और रोजगार संबंधी क्षमता के बारे में पूर्णतया अवगत है। मिश्रित लेवी प्रणाली के अधीन साप्ताहिक दरों में कमी करने से संबंधित अभ्यावेदनों की वित्त मंत्रालय में निर्णय लेने हेतु गहराई से जांच की जा रही है।

भवन निर्माण के ऋण की ब्याज दर बढ़ाये जाने के बारे में अभ्यावेदन

1114. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भवन-निर्माण की अग्रिम राशि की ब्याज दर बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन दिए गए हैं कि ब्याज में इस वृद्धि से सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और विशेषकर भवन निर्माण गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में सरकारी कर्मचारियों को राहत देने तथा पहले जैसी स्थिति लाने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम किंकर) : (क) केवल 25000 रूपये से अधिक धनराशि वाले ऋण के लिए ब्याज की दर स्लैब-रेट के आधार पर

बढ़ाई गई थी। यह इसलिए किया गया था ताकि उच्चतर आय वर्ग के कर्मचारियों को ऊंची लागत के मकान बनाने के लिए कम ब्याज दर का लाभ उठाने से निरुत्साहित किया जाए।

(ख) ऐसे कोई अभ्यावेदन इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों के एक जोन से दूसरे जोन में लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने पर जनता की प्रतिक्रिया

1115. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक जोन से दूसरे जोन में खाद्यान्नों और चावल के लाने-ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनता द्वारा उपरोक्त के बारे में दिये गये अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गेहूं, धान और चावल के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त करने का जनता ने आमतौर पर स्वागत किया है। तथापि, जनता, खासकर असम और पश्चिमी बंगाल से चावल के बारे में ऐसे प्रतिबन्धों को हटाने से संबंधित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि इससे इन राज्यों में मूल्य चढ़ जाएंगे और कमी पैदा हो जाएगी। ये आशंकाएं निराधर हैं। इसके विपरीत क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने से खासकर कमी वाले राज्यों में खुले बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ जाने और मूल्यों में गिरावट आने की सम्भावना है और इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

Booths of Mother Dairy and Delhi Milk Scheme

1116. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number and locations of booths of Delhi Milk Scheme and Mother Dairy, separately ;

(b) the quantity of milk on an average distributed by them every day; and

(c) the steps being taken or proposed to be taken to augment availability of milk and to open more booths ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh):(a) 1163 milk booths of Delhi Milk Scheme and 190 milk booths of Mother Diary are functioning in the various colonies of Delhi/New Delhi. In addition, 10 booths of Mother Dairy, located in various resettlement schemes have not yet been commissined. A statement showing the locations of booths set up by Delhi Milk Scheme and Mother Dairy is attached. **[Placed in the Library See No. L.T. 1142/77].**

(b): Delhi Milk Scheme	3,60,235 litres.
Mother Dairy	1,82,975 litres.

(c) Delhi Milk Scheme is already working to its full capacity. Mother Dairy however, proposes to increase the number and also the capacity of the existing booths, with a view to achieving sale capacity of 4,00,000 litres per day.

Shortage of Drinking Water in Trans-Jamuna Colony in Delhi

1117. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether there is acute shortage of drinking water in Delhi, particularly in several trans-Jamuna colonies ;

(b) if so, the steps being taken to increase the pressure and duration of supply of water in the colonies where the pressure is low and the supply duration is less; and

(c) the steps being taken to lay water pipelines in the areas where they have not been laid so far ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) It will not be correct to say that there is "acute shortage" of drinking water in Dehi, though shortages of sort do occur during the summer.

(b) Recently, the first phase of Haiderpur Water Treatment Plant with 50 Mgd. capacity has been commissioned. The second phase of the above plant with additional 50 mgd. capacity is expected to be commissined by June, 1978. Pressures will automatically increase with the added supply of water.

(c) Proposals for the laying of water pipelines will be taken up in a phased manner.

नई खाद्य मूल्य नीति का सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता पर प्रभाव

1118. **श्री चित्त बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू खरीफ मौसम के लिये वसूली के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या 1 अक्तूबर, 1977 से लागू नई खाद्य मूल्य नीति के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण के लिये खाद्यान्नों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चालू खरीफ मौसम के लिये वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल सरकार से विस्थापितों की शेष पुनर्वास समस्याओं के बारे में ज्ञापन

1119. **श्री चित्तो बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आये विस्थापितों के पुनर्वास की शेष समस्याओं के बारे में हाल में कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में कही गई मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में दी गई मुख्य बातें ये हैं:--

सरकार द्वारा संचालित और अनधिवासी कालोनियों में शरणार्थियों को आबंटित की गई भूमि के अधिकार तथा स्वामित्व प्रदान करना, पश्चिमी बंगाल में स्थायी दायित्व गृहों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास योग्य परिवारों का पुनर्वास शरणार्थियों का आर्थिक पुनर्वास, सरकार द्वारा संचालित कालोनियों में खाली प्लाटों का उपयोग, गैर-टाईप ऋणों की माफी, और विविध श्रेणियों के शरणार्थियों का पुनर्वास अपेक्षित स्पष्टीकरण के लिए मामले को पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ उठाया गया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अधिकारियों को हटाने की मांग

1120. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के उन अधिकारियों को हटाने तथा सजा देने की मांग की है जिन्होंने विचार अभिव्यक्ति एवं विरोधियों की आवाज़ों को दबाया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गए हैं और अथवा करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ से विश्वविद्यालय के कुलपति और दो अन्य अधिकारियों को हटाने से संबंधित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उस पर कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

संस्कृत की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने हेतु खर्च की गई धनराशि

1121. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्थापित किया गया है तब से संस्कृत की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने और शास्त्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डालने के लिए अनुसंधान करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत अध्ययन को प्रोत्साहन देने तथा शास्त्रों सहित संस्कृत साहित्य में अनुसंधान करने के लिए 1970 में स्थापित किया गया था। संस्थान ने मार्च, 1977 के अन्त तक 233.15 लाख रुपये खर्च किए हैं।

संस्कृत के प्रोत्साहन हेतु सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1971-72 से 1976-77 तक 19.69 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

मंत्रालय ने 1971-72 से 1976-77 की अवधि में 262.04 लाख रुपये खर्च करके संस्कृत क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों को ही प्रोत्साहन दिया है।

दिल्ली में आपात स्थिति के दौरान उजाड़े गए विस्थापितों का पुनर्वास

1122. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान बलपूर्वक उनके रहने के स्थानों से उठाया गया था और दूर-दूर के स्थानों पर बैठाया गया था दिल्ली में तथा दिल्ली के क्षेत्र

के चारों ओर उनको क्रमशः रिहायशी कालोनियों में पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से फिर से बसा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

पुनः बसाये गये परिवारों की संख्या

(क) टैनामैन्ट देकर बसाए गये :—

1	2
जी० टी० रोड शाहदरा में	36
रणजीत नगर	1134
मोती नगर	306
मातासुन्दरी रोड	4
इन्द्रलोक	948
बाग मड़ेखां	37
कुल :	2465

(ख) विकसित प्लाट देकर बसाए गए :—

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	प्लाटों की संख्या
	1	2
1.	जहांगीरपुरी	22300
2.	शकरपुर	8146
3.	मंगोलपुरी	26132
4.	सुल्तानपुरी	16000
5.	ज्वालापुरी (नांगलोई)	3816
6.	ख्याला	3239
7.	चौखण्डी	1499
8.	एन०जी० रोड सैक्टर-ई (चरण-4)	2168
9.	नन्द नगरी	10215
10.	गोकलपुरी	2400
11.	खिचड़ीपुर कल्याणपुरी	8096

1	2
12. त्रिलोकपुरी	16640
13. न्यू सीलमपुर	1642
14. न्यू सीमापुरी	2988
15. दक्षिणपुरी	12300
16. खानपुर	1053
17. सैय्यद उल-जेल	252
18. हैदरपुरी	5422

टिप्पणी :—इनमें से कुछ व्यक्तियों को जिन्हें विशेषकर तुर्कमान गेट क्षेत्र से बेदखल किया गया था, वापस लाया जा रहा है, तथा फिलहाल उन्हें सक्रान्ति कालीन वास दे दिए गए हैं ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष

1123. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष पूर्णकालिक हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका नाम, अर्हताएं आदि क्या हैं और वे कब से उस क्षमता में काम कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रारम्भ से अब तक कौन-कौन अध्यक्ष रहे हैं और उनकी अर्हताओं और प्रकाशित पुस्तकों का ब्यौरा क्या है तथा उनका कार्यकरण किस प्रकार का रहा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं। शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय का एक संयुक्त शिक्षा सलाहकार मंत्रालय में अपने कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सार्वजनिक क्षेत्र की विशाल प्रकाशन इकाइयों में से एक है तथा इस न्यास के अध्यक्ष पद पर इसके प्रारम्भ से ही विख्यात सार्वजनिक व्यक्ति रहे हैं। अतः अध्यक्ष का चयन करने के लिए उच्चतम स्तर पर सावधानी पूर्वक विचार करना आवश्यक था। न्यास के नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिये जाने की आशा है।

(घ) निम्नलिखित समय-समय पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष रहे हैं :—

1. डा० जोन मथाई।
2. डा० सी०डी० देशमुख।
3. डा० जी०सी० चटर्जी।
4. डा० बी०वी० केसकर।
5. डा० एस० गोपाल।

इन अध्यक्षों में से तीन अर्थात् डा० जोन मथाई, डा० सी०डी० देशमुख और डा० बी०वी० केसकर इससे पूर्व केन्द्रीय मंत्रि परिषद में मंत्री थे। एक अन्य अध्यक्ष अर्थात् डा० जी० सी० चटर्जी इससे पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। डा० एस० गोपाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समकालीन इतिहास के प्रोफेसर हैं।

दिसम्बर, 1976 में डा० एस० गोपाल द्वारा पदभार त्यागने के बाद से शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त शिक्षा सलाहकार/संयुक्त सचिव मंत्रालय में अपने कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के कार्य भी करते रहे हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना, अच्छे साहित्य के निर्माण, निर्माण में प्रोत्साहन देने एवं इसे लोगों को उचित कीमत पर उपलब्ध कराने और लोगों में पुस्तक अभिरुचि प्रोत्साहित करने के लिए, की गई थी। इस उद्देश्य के लिए सभी अध्यक्षों ने न्यास के क्रियाकलापों को विशिष्ट तथा गतिशील मार्गदर्शन प्रदान किया है। न्यास की 1970-71 के बाद की वार्षिक रिपोर्टें जो सभा पटल पर रख दी गई हैं, न्यास के कार्यकलापों को दर्शाती हैं ।

वयस्क शिक्षा बोर्ड

1124. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री दौलतराम सारण :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वयस्क शिक्षा बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम, अर्हता और अनुभव सहित तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) बोर्ड के निदेश पद क्या हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तत्काल क्रियान्विति के लिए कोई विशिष्ट परियोजनाएं/लक्ष्य बनाये गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि और क्या संसाधन उपलब्ध किए गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया है जिसके कार्य निम्नलिखित हैं :

(क) प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना,

(ख) सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों, विशेषकर स्वैच्छिक संगठनों और नवयुवकों के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय करना,

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, विभिन्न सरकारों और अर्द्ध-सरकारी एजेन्सियों तथा सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय प्राप्त करना,

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन करना।

शिक्षा मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं जिसमें 30 अन्य सदस्य भी हैं। बोर्ड के सदस्यों की एक सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1143/77]**

सूचना तथा प्रसारण, कृषि तथा सिंचाई, संसदीय कार्य तथा श्रम, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के केन्द्रीय मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव, लोक सभा के दो सदस्य और राज्य सभा का एक सदस्य बोर्ड के सदस्य हैं। असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त भी बोर्ड के सदस्य हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्यों को पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्ग से एक राज्य के शिक्षा मंत्री को वर्णानुक्रम से शामिल किया गया है। इसी तरह वर्णानुक्रम के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों में से अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्यायुक्त को शामिल किया गया है। राज्यों के शिक्षा मंत्री/मुख्य आयुक्त अथवा उप-राज्यपाल बारी-बारी से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से सीधे संबंधित 5 संगठनों के पदेन प्रमुख और 9 गैर-सरकारी व्यक्ति जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाने-माने हैं, भी इसके सदस्य हैं। शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) बोर्ड के सदस्य-सचिव हैं।

संसद सदस्यों और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 2 वर्षों तक होगा। ये सदस्य पुनः दूसरी बारी के लिए भी मनोनीत किए जाने के पात्र होंगे।

बोर्ड ने 2 नवम्बर, 1977 को हुई अपनी पहली बैठक में यह संकल्प किया कि 1978-79 से प्रौढ़ शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए ताकि जहां तक संभव हो सके इस कार्यक्रम के शुरू होने के पांच वर्षों के अन्दर-अन्दर 15—35 आयु वर्ग की अनपढ़ जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को शिक्षित किया जा सके। इसने इस प्रयोजन के लिए व्यापक तैयारी करने का भी संकल्प किया और ऐसी तैयारियों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक छोटी समिति गठित करने का भी संकल्प किया। चालू वर्ष का उपयोग मुख्यतः ऐसी तैयारियों के लिए ही किया जाएगा।

कार्रवाई का कार्यक्रम तथा वित्तीय अनुमान तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के सहयोग से एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

आवास के अलग पूल करने वाले सरकारी कर्मचारी

1126. **श्री मनीराम बागड़ी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कार्यालयों में जिनका आवास पूल सामान्य पूल से अलग है, 21 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों की वर्गवार तथा कार्यालयवार संख्या क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उन्हें एक श्रेणी नीचे का आवास देने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अन्य विभागों द्वारा नियंत्रित पूलों के बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय कोई सूचना नहीं रखता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में काजू बागान के लिये विश्व बैंक से ऋण

1127. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक केरल राज्य में काजू बागान लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये का ऋण देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पेशकश के प्रति राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। केरल में काजू के रोपण के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कोई पृथक परियोजना नहीं है। तथापि, विश्व बैंक के 300 लाख डालर (लगभग 27 करोड़ रु०) के ऋण से केरल में एक कृषि विकास परियोजना चल रही है। यह ऋण मुख्य रूप से नारियल के बागों को पुनः ठीक-ठाक करने के लिए है और इसमें कुछ धनराशि काजू के विकास के लिए भी है। 300 लाख डालर (लगभग 27 करोड़ रु०) में से 10 लाख डालर (लगभग 90 लाख रु०) लगभग 2280 हैक्टर क्षेत्र में काजू के राजकीय बागानों को ठीक-ठाक करने तथा केरल राज्य में लगभग 1470 हैक्टर क्षेत्र में नया रोपण करने के लिए निर्धारित किया गया है।

थीन बांध को मंजूरी न दिये जाने के कारण हुई हानि

1129. **श्री राज केशर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली केन्द्रीय सरकार द्वारा थीन बांध की अनुमति न दिए जाने के कारण देश को लगभग 1500 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने और इस संबंध में कार्यवाही करने का है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) थीन बांध के निर्माण की अनुमति में देरी अन्तर्राज्यीय मतभेदों के कारण हुई थी जो मुख्यतः पंजाब, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के राज्यों के बीच परियोजना के लाभों के बंटवारे के सम्बन्ध में थे। सिंचाई-लाभों की समस्या भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के आदेश के जारी होने से हल हो गयी, जिसमें रावी-व्यास नदियों के फालतू पानी में पंजाब और हरियाणा के भागों का निर्धारण किया गया है। जहां तक विद्युत्-लाभों के बंटवारे का प्रश्न है, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ की गई बहुत सी बैठकों तथा 3 अक्तूबर, 1977 को प्रधान मंत्री द्वारा ली गई अन्तिम बैठक के परिणामस्वरूप सभी पक्ष थीन बांध के निर्माण कार्य को शीघ्र हाथ में लेने के लिए सहमत हो गए यद्यपि कुछ मामलों को अभी तय किया जाना है। इसके अलावा अभी हाल ही तक सम्बद्ध राज्य विशाल अन्तर्राज्यीय व्यास परियोजना के लिए ही पर्याप्त संसाधनों को बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे, जो अब निर्माण के अन्तिम चरण में है।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान घोषित करना

1130. **श्री राज केशर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मांग की है कि विश्व विद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान घोषित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्वैत क्रान्ति

1131. श्री धर्मवीर वशिष्ट : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में, जैसा कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की प्रतिवेदन में उल्लिखित है, श्वेत क्रांति (डेयरी विकास) लाने के लिये ब्यौरेवार नीति क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में डेयरी योजनाओं की प्रगति से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में अपनी रिपोर्ट में देश में मौजूदा 217 लाख मीटरी टन दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर 1985 में 441.7 लाख मीटरी टन और 2000 ईसवीं में 664 लाख मीटरी टन करने की एक नीति प्रस्तुत की है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इन सिफारिशों पर जोर दिया है: (1) घटिया पशुओं को संकरजनित गायों और उन्नत देशी गायों तथा भैंसों से बदलना, (2) लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक तथा आप्रेशन फ्लड के अन्तर्गत के 113 जिलों में गहन विकास करना, जिसमें प्रत्येक जिले के अन्तर्गत 50,000 गायें और 25,000 भैंसें लाना, (3) गहन पशु विकास एवं दुग्ध विपणन परियोजनाओं द्वारा सेवित जिलों में तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास आदि के अन्तर्गत जिलों में पशु और भैंस विकास, (4) 1985 तक 150 और 2000 ईसवी तक 200 चुनींदा जिलों में पशु और भैंसों का गहन विकास करना जिसमें प्रत्येक जिले में 1985 तक 1 लाख और 2000 ईसवी तक 1.5 लाख पशुओं के प्रजनन की व्यवस्था हो, (5) आदर्श ग्राम योजनाओं का विकास करना जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ज़िले के 1985 तक 30,000 गायें और भैंसों और 2000 ईसवी तक 50,000 गायें और भैंसों को लाना, (6) 1985 तक 75 जिलों में निमित वीर्य केन्द्रों की स्थापना करना जिससे कि प्रत्येक ज़िले में 1 लाख प्रजनन योग्य गायों और भैंसों के लिये प्रजनन की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। इन केन्द्रों की संख्या 2000 ईसवी तक बढ़कर 200 कर दी जायेगी जिससे कि इसके अन्तर्गत 1.5 लाख गायों और भैंसों को लाया जा सके, (7) एक प्रभावी पशु स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करना और (8) चारा विकास कार्य को तेज करना।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सुझाए गये कदम नीचे दिये गये हैं:--

(क) पशुओं और भैंसों की पुनरुत्पादक और उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिये वृहत् कार्यक्रम शुरू करना। कम उत्पादक पशुओं का निरन्तर बहिष्कार किया जाना चाहिये जिससे कि अधिक उत्पादक पशुओं के उपयुक्त प्रजनन के लिये दाने और चारे के सीमित संसाधन उपलब्ध हो सकें।

(ख) भावी पशु और भैंस के सम्बन्ध में उनके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिये।

(ग) केन्द्रीय सरकार को अधिक फार्मों का पता लगाना चाहिये, जिनमें नियोजित सन्तति परीक्षण कार्यक्रम शुरू किये जा सकें और उनको वित्तीय सहायता भी देनी चाहिये।

(घ) उन दुग्धशाला क्षेत्रों को, जिन्हें मौजूदा और प्रस्तावित डेरी परियोजनाओं से आसानी से सम्बद्ध किया जा सकता है, दुग्ध उत्पादन के हेतु प्रजनन को संकेन्द्रित किया जाना चाहिये।

(ङ) जिन राज्यों में अधिक विदेशी पशु नहीं हैं और जहां संकर प्रजनन के अन्तर्गत निरन्तर अधिक से अधिक क्षेत्र लाये जाने हैं, उनमें 10–12 बड़े विदेशी पशु प्रजनन फार्म स्थापित किये जाने चाहियें।

(च) दुग्ध उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि करने के लिये बिना किसी विलम्ब के भैंस प्रजनन के कार्य को बढ़ाया जाना चाहिये।

(छ) उन्नत दुग्ध अभिलेखन और पशु पंजिका प्रणाली के अनुरक्षण का कार्य शुरू किया जाना चाहिये।

(ज) कई प्रजनक फार्मों की स्थापना की जानी चाहिये जिनमें प्रत्येक में कम से कम 150 प्रजनक भैंसें होनी चाहियें।

(ख) विभिन्न राज्यों की डेरी योजनाओं की प्रगति सरकार की सन्तुष्टि के अनुकूल नहीं हुई है; परन्तु इसके साथ ही उन अधिकांश दुग्ध योजनाओं जो अपनी 60 प्रतिशत संस्थापित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं; के दुग्ध उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) देश के सभी क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन की एक ही क्षमता नहीं है। इसके अलावा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में समय लगता है। जब तक दूध का उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक कुछ दुग्ध योजनाओं को स्किण्ड दुग्ध चूर्ण दिया जाता है जिससे वे इसका फिर से दूध बनाकर उसे अधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कर सकें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न कदम उठा रही हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिये जा रहे हैं :—

1. बेहतर प्रजनक सांडों का प्रयोग करना।
2. प्रोटीनयुक्त चारा उगाने पर बल देना।
3. पर्याप्त स्वास्थ्य की व्यवस्था करना।

इसके अतिरिक्त, 116 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक वृहत् आप्रेशन फ्लड 1 परियोजना चल रही है जो 1978 में समाप्त हो जाएगी। हाल ही में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 117 करोड़ रुपये के परिव्यय की तीन समेकित डेरी विकास परियोजनाएं भी कर्नाटक, राजस्थान और मध्यप्रदेश में शुरू की गई हैं। लगभग 480 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक नई प्रस्तावित डेरी विकास परियोजना आप्रेशन फ्लड II के बारे में सरकार विचार कर रही है।

राज्यों के समाज कल्याण विभागों के सचिवों की बैठक

1132. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के समाज कल्याण विभागों के सचिवों की बैठक 28 अक्तूबर, 1977 को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई, और

(ग) उसमें क्या निर्णय लिए गए?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिन विषयों पर चर्चा की गई थी, उनका उल्लेख अनुबन्ध 1 में किया गया है।

(ग) सम्मेलन में किए गए मुख्य निर्णय अनुबन्ध 2 में दिए गए हैं।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल0टी0-1144/77]

अहमदनगर जिले में अवशेष मिलना

1133. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरात्व विभाग को हाल ही में अहमदनगर जिले में हड़प्पा युग की वस्तुएं मिली हैं;

(ख) उन अवशेषों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भाषा के कोई चिह्न मिले हैं; और

(घ) क्या वे उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के हड़प्पा में हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) अहमदनगर जिले में प्रवरा (नदी) के किनारे पर स्थित दईमाबाद में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सामग्री वाले एक सांस्कृतिक चरण का पता चला है। यहां उपलब्ध वस्तुओं में लाल मृदभाण्ड के एक टुकड़े का उल्लेख किया जा सकता है जिस पर हड़प्पा कालीन तीन चित्रलिपियां उत्कीर्ण हैं। इस चरण से संबंधित एक मकान की मिट्टी की एक दीवार आंशिक रूप से प्राप्त हुई और विशेष रूप से पंक्तिबद्ध कच्ची ईंटों से निर्मित एक समाधि का अनावरण किया गया जिसमें लेटा हुआ कंकाल समाविष्ट पाया गया।

TO BE ANSWERED ON THE 21ST NOVEMBER, 1977

Increase in Monthly Quota of Sugar to Madhya Pradesh

1134. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the average per unit grams of sugar worked out on the basis of population in urban and rural areas of the sugar quota being given to Madhya Pradesh Government by Central Government;

(b) Whether Government propose to increase the quota of sugar allotted to Madhya Pradesh so that per unit quantity of sugar being given to the people there, which is too little at present, could be increased; and

(c) if so, the extent to which Government propose to increase the monthly quota of sugar of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Out of 2.05 lakh tonnes of levy sugar released per month from January, 1976 onwards, Madhya Pradesh monthly quota was 13,833 tonnes, which gave a *per capita* availability of 300 grams per month of the basis of projected population as on 1-7-1975.

(b) & (c) In accordance with the decision taken by the Union Cabinet on October 27, 1977 the monthly sugar quota of Madhya Pradesh has been increased from December 1977 to 20,825 tonnes to ensure an enlargement of the public distribution system and similarity of treatment between rural and urban areas.

Rice, Wheat and Sugar for Rajasthan for 1976-77

1135. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to State :

(a) the rice, wheat and sugar quota fixed by the Central Government for Rajasthan for the financial year 1976-77; and

(b) the quantity of foodgrains supplied to the State by the Government during the said period ?

The Minister of state in the ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) About 183.5 thousand tonnes of wheat and 102.7 thousand tonnes of sugar were allotted by the Central Government to the Government of Rajasthan for the financial year 1976-77. No rice was allotted except for 100 tonnes which was specifically allotted in connection with the URS FESTIVAL at the request of the Rajasthan Government.

(b) The total offtake of foodgrains (rice, wheat and coarsegrains) against the allocations was about 51.6 thousand tonnes.

5th Centenary Anniversary of Poet Surdas

1136. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are celebrating 5th Centenary Anniversary of the poet Surdas on Government level;

(b) whether Sur Panchashati Rashtriya Samaroh Samiti, Mathura has also submitted some proposals to Government in regard to celebrating this function; and

(c) if so, the programmes Government propose to have in this regard as also the grant and contribution proposed to be given to Sur Panchashati Rashtriya Samaroh Samiti Mathura?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) & (b) Yes, Sir.

(c) A Sur Panchashati Co-ordination Committee has been set up to finalise and co-ordinate programmes for the observance of the 500th birth anniversary of Mahakavi Surdas on a national level. The proposals submitted by the Sur Panchashati Rashtriya Samaroh Samiti, Mathura, and other voluntary organisations in the country, are under consideration of the Co-ordination Committee.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष वित्तीय संकट

1137. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री माधव राव सिन्धिया :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को काफी समय से वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण से उसकी मकान बनाने की परियोजनायें निलम्बित कर दी गई हैं; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण मकान बनाने की परियोजनाओं के लिए नियुक्त ठेकेदारों के बिल अदा करने में असमर्थ है; और यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की समस्याओं को हल करने और भविष्य में इसके कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रहा है और इसलिए इसकी आवासीय परियोजना धीमी पड़ गई है।

(ख) जी, नहीं; 30-9-77 को अदायगी के लिए तैयार बिलों का भुगतान किया जा चुका है। अक्तूबर, 1977 के कुछ बिलों का भी भुगतान किया जा चुका है। सामान्य बीमा निगम कुछ ऋण देने के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा आवश्यक निधियों को जुटाने के लिये ऋण पत्रों को जारी करने का भी दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव है। उनके वास्तविक तथा आर्थिक साधनों के अनुसार उसी प्रकार के आकार के कार्यक्रम भी बनाये जाएंगे।

Amount spent on the Decoration of Union Ministers' Residences

1138. **Shri Hukam Deo Narain Yadav** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the total expenditure incurred on the decoration of houses allotted to the Ministers of the present Government, Ministry-wise and the average expenditure incurred by the previous Government on this account ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : Other than provision of furniture and furnishings, no other expenditure is incurred on the decoration of Ministers bungalows. The furniture and furnishings are provided according to a scale. The Ministers are entitled to furniture and furnishings worth Rs. 38,500. The scale is in vogue since 1st May, 1964, and was applicable to the former Ministers as well as to the present ones. However expenditure incurred on repair and renewal is given in the statement enclosed. [Placed in the Library. *See*. No. L.T. 1145/77]. As number of Ministers has varied from time to time, Minister-wise statement has been given only for the present Ministry.

Development of Agriculture in Bihar

1139. **Shri Ramanand Tiwari** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the steps being taken by the Central Government for development of agriculture in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : The Centre is assisting Bihar, as also other States, in the development of agriculture through financial and technical support and provision of other suitable incentives considered necessary from time to time. Besides the financial assistance made available for the agricultural development programmes included in the State Plan, a number of Central and Centrally sponsored Schemes have been undertaken by the Centre for implementation in the State so as to accelerate the pace of agricultural development. Some of the important on-going Central and Centrally Sponsored Schemes in operation in Bihar are as under :'—

1. Intensive pulses development programme.
2. Intensive jute district programme.
3. Intensive sugarcane development programme.
4. Integrated dry land development programme.
5. Community nurseries programme.
6. Minikit programme of rice, wheat, barley, maize, jowar, bajra and ragi.
7. Programme of intensive training of extension workers and farmers in the recommended package of practices for production of rice, wheat and coarse grains.
8. Programme for demonstration and popularisation of improved agricultural implements for cultivation of paddy etc.
9. Soil and moisture conservation programme for controlling erosion, land degradation and siltation of water reservoirs.
10. Command area development programme in the irrigation projects of Kosi, Gandak, Sone, Kiul, Badua and Chandan.
11. Central Plant Protection Station at Bihar Shariff and Central Surveillance station in Samastipur for intensifying plant protection operations.
12. Small Farmers Development Agency.
13. Fish Farmers Development Agency.
14. Tribal Development Agency Project in Singhbhum.

Use of Tractors

1140. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of tractors in various States during the last ten years; and

(b) the extent to which their use affected the unemployment of labourers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) A statement giving the number of tractors State-wise as in 1966 and 1972 is annexed.

(b) Studies carried out so far reveal that tractorisation displaces only bullock power. Displacement of ploughmen is more than compensated by multiplicity of cropping made possible through rapid cultivation of lands and creation of new employment in operational repair and maintenance and related activities.

STATEMENT

(In Numbers)

State	1966	1972
1. Andhra Pradesh .	2911	6300
2. Assam	834	500
3. Bihar	2132	5600
4. Gujarat	3248	7900
5. Haryana . .	4850	18400
6. Himachal Pradesh	33	300
7. Jammu & Kashmir	104	500
8. Karnataka .	2595	5700
9. Kerala . .	418	1500
10. Madhya Pradesh	2513	5000
11. Maharashtra	3274	5600
12. Meghalaya	c	b
13. Manipur	6	Nil
14. Nagaland .	9	N.A
15. Orissa	667	1800
16. Punjab	10646	42400
17. Rajasthan .	4195	11700
18. Tamil Nadu	3278	5400
19. Tripura .	9	Nil
20. Uttar Pradesh	10139	27600
21. West Bengal .	1548	700
22. Union Territories .	605	1400
All India	54012	148300

Source — Livestock Census, 1966 and 1972.

N.A. : Not available.

b: Less than 50.

c : Included under Assam.

Expenditure on collection and storage of foodgrains

1141. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the present position of the foodgrains stocks and the name and the quantity of each commodity; and

(b) the cost of purchases made and the annual expenditure being incurred on the collection and storage of the foodgrains.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) As on 1-10-1977 out of the total foodgrains stocks of about 182 lakh tonnes, the Food Corporation of India was holding about 146.3 lakh tonnes of foodgrains, comprising of 108.5 lakh tonnes of wheat, 37.3 lakh tonnes of rice and 0.5 lakh tonnes of coarse grains.

(b) The cost of foodgrains purchased, stocks taken over and paid for by F.C.I. during 1976-77 was of the order of about Rs. 1970 crores. The expenditure incurred on the movement, storage and the distribution (including maintenance of buffer stocks) of foodgrains during 1976-77 was about Rs. 440 crores.

Employment Oriented Education System in Universities

1142. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce employment-oriented education system in all the Universities in the country; and

(b) whether with a view to provide employment to educated unemployed persons, Government propose to utilise them in the implementation of rural schemes before awarding Degrees to them ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) There is no proposal under consideration to introduce employment-oriented education in all the universities in the country. However, the University Grants Commission provides financial assistance to universities which offer short-term diploma courses for improving the employability of students. In addition, the Commission's scheme of restructuring courses aims at (1) making the first degree level courses more relevant to the rural environment and to the developmental needs of the community, and (2) linking education with work / practical experience at all levels.

(b) No, Sir.

संघ राज्य क्षेत्रों में अन्ध छात्रों को शिक्षा देने की योजनाएं

1143. **श्री उग्रसेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंधे छात्रों को शिक्षा देने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग संघ शासित क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाओं को वित्तीय सहायता देता है :—

(1) दिल्ली में दृष्टिहीन बच्चों को समेकित शिक्षा।

(2) विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें दृष्टिहीन व्यक्ति भी शामिल हैं; छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

Financial Assistance to Gujarat State for purposes of Construction

1144. **Shri Dharmasinghbhai Patel** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the housing problem in Gujarat State is very acute and the Central Government have not given substantial assistance for the purpose to the State so far;

(b) if so, whether the Gujarat Government have been urging the Central Government for assistance for the development of land and construction of houses thereon for the people belonging to the low income group; and

(c) the total amount of loans given to the State for the purpose so far ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) The Government of Gujarat have reported that the housing problem in that State is acute. All the social housing schemes implemented by the Government of Gujarat are in the State sector. Central financial assistance for all State Sector programmes, including housing, is released to the State Government in the shape of 'block loans' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme or Head of Development. The State Governments are free to earmark funds for various State Sector schemes, including housing, according to the requirements and priorities to be determined by them.

(b) Does not arise.

(c) Besides Central block assistance referred to in answer to part (a), Ministry of Works and Housing allocated LIC loans amounting to Rs. 999.10 lakhs upto 31st March, 1977 to the Government of Gujarat for implementation of the various social housing schemes. Further, Housing and Urban Development Corporation has sanctioned so far loans amounting to about Rs. 3031 lakhs to various agencies in the State.

"फोसवैल" नामक कीटनाशी औषध

1145. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1977 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "फोसवैल" नामक कीटनाशी औषध, जिसके कारण मिश्र में सैकड़ों "वाटरबकेले" को अधरंग हो गया था और टैक्सास स्थित इसके निर्माता संयंत्र में 12 श्रमिकों को तांत्रिका संबंधी गड़बड़ और अधरंग का रोग होने का संदेह है, बनाई जा रही है और "किसान-मित्र" के रूप में भारत में बेचने के लिए पेशकश की जा रही है जिससे उपज में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो दिनांक 16 अप्रैल, 1977 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था। जहां तक "फोसवैल" का संबंध है, इस रसायन का निर्माण भारत में नहीं किया जाता है, किन्तु इसके विक्रय के लिए प्रस्ताव किया गया था।

(ख) अब यह ज्ञात हुआ है कि अमरीका की विनिर्माण संबंधी फर्मों ने अपनी इच्छा से इसका उत्पादन रोक दिया है। कीटनाशी औषधि अधिनियम 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति ने इस रसायन को रजिस्टर न करने का निर्णय किया है और सरकार ने इस समिति से अनुरोध किया है कि वह इसके संबंध में उपयुक्त अधिसूचना जारी करें। अतः अब यह रसायन भारत में नहीं बेचा जा सकता है।

पंजाब में भूमि सुधार कार्य का निलम्बन

1146. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में भूमि सुधार कार्य की क्रियान्विति को अस्थाई रूप से निलम्बित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Shortage of Text Books

1147. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is shortage of text books in some states under the 10+2 system;

(b) if so, the names of those States; and

(c) the steps taken by Government to remove this shortage ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) to (c) Information is being collected from the State Governments/Union Territory Administrations and will be laid on the table of the Sabha as early as possible.

दालें और चना

1148. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों और चने का अधिक उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय अभियान में विस्तार एजेंसियों (एक्सटेंशन एजेंसीज) की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सहकारी समितियों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दालों की सुधरी हुई किस्म के बीजों के उत्पादन का कार्य केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। इसके बारे में विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा सात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गए हैं ;

(ख) जी हां।

(ग) जो मार्गदर्शी सिद्धात जारी किए गए हैं उनमें राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे :

1. किसानों के प्रशिक्षण का आयोजन करें;

2. फास्फेटिक उर्वरकों की खपत के लक्ष्य निर्धारित करें और बुवाई से पहले उनका भण्डारण करें;

3. स्थानिक मारी क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं और वनस्पति रक्षण उपस्करों का भण्डारण करें;

4. इस मौसम के दौरान किसानों को सुधरी किस्मों के प्रमाणित बीज सप्लाई करें और आने वाले वर्षों में सम्भरणों को सुनिश्चित करने के लिए बीजों के संवर्धन का कार्य हाथ में लें;

5. बुवाई का मौसम शुरू होने से काफी पहले बीजों के उपचार के लिए "रिज़ोबियल कल्चर" उपलब्ध करें; और

6. किसानों को शिक्षित करने के लिए उनके खेतों में सुधरी पद्धतियों के सही प्रदर्शनों का आयोजन करें।

(घ) जी हां।

रूई और पटसन का उत्पादन

1149. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में आगे सुधार करने के लिये, जिसमें रूई और पटसन का विकास भी सम्मिलित है, सरकार ने राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके देशभर में गहन उत्पादन प्रयत्नों के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या 3.40 लाख हैक्टार भूमि के केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार है ;

(ग) अब तक कितनी भूमि में उक्त योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं ;

(घ) उपर्युक्त प्रत्येक मद के अन्तर्गत ली गई भूमि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत आगामी वर्ष में उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जी हां। कपास और पटसन की पैदावार में सुधार करने के निमित्त राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिये क्रमश: सघन कपास जिला कार्यक्रम और सघन पटसन जिला कार्यक्रम के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 1976-77 और 1977-78 के दौरान इन दो योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों और अब तक सूचित की गई उपलब्धियों को नीचे दिखाया जाता है:--

सघन कपास जिला कार्यक्रम

(हजार हैक्टार)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि		
		उन्नत बीज	उर्वरक	वनस्पति-रक्षण
1976-77	1050	624	799	3841
1977-78	1660	795	554	474

घन पटसन जिला कार्यक्रम

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
	क्षेत्र (हजार हैक्टार)	प्रदर्शनों की संख्या	उन्नत बीज (क्विंटल)	क्षेत्र (हजार हैक्टार)	प्रदर्शनों की संख्या	उन्नत बीज (क्विंटल)
1976-77	361	9025	6848	368	8963	5738
1977-78	394	9850	4771	388	9468	5317

(ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत आगामी वर्ष में उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है, इसके बारे में इस समय कहना कठिन है ।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य करने के बारे में एशियाई क्षेत्रीय गोष्ठी

1150. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं की सामाजिक नीति और योजना संबन्धी कार्य की विस्तार से जांच करने के लिए अक्तूबर, 1977 में नई दिल्ली में छः दिन की एक एशियाई क्षेत्रीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) उक्त गोष्ठी में कितने देशों ने भाग लिया; और

(ग) गोष्ठी में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिए गए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) भारत को मिलाकर 16 देशों के प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया।

(ग) सेमिनार द्वारा की गई सिफारिशों के सार की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य पर विशेष बल देते हुए सामाजिक नीति बनाने और योजना तैयार करने के बारे में प्रक्रियाओं और उपागम से सम्बन्धित एशियन क्षेत्रीय सेमिनार की सिफारिशें

1. सामाजिक नीति को तैयार करने तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर उसे कार्यान्वित करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं को मूल भूमिका निभानी चाहिए। उपयुक्त पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिए ताकि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न ढंग अपना सकें जिनसे सभी स्तरों पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर वे प्रभाव डाल सकें।

2. सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी प्रशासन विशेषकर सामाजिक सेवाओं अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कल्याण इत्यादि के प्रशासन पर प्रभाव डाले जाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक देश में उसे सामाजिक यथार्थताओं के अधिक अनुकूल करने का जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके।

3. गरीबी, बेरोजगारी, विशेषकर युवकों में बेरोजगारी ऐसे क्षेत्र हैं जिनको राष्ट्रीय विकास की किसी भी योजना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने-अपने देश की सरकार के सहयोग से इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्न करें।

4. नीति निर्माण तथा सभी स्तरों पर उसके कार्यान्वयन में लोगों विशेषकर लक्षित वर्गों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

5. सरकारी और असरकारी क्षेत्रों में मूल पदों पर लगे व्यक्तियों को इस काम में लगाने के लिए सामाजिक नीति निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ओरिएन्टेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

6. सामाजिक कार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए सेवा के भीतर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वे सामाजिक नीति के निर्माण और उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अधिक कारगर और सक्रिय भमिका निभा सकें।

7. सामाजिक कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण को पुनः अनुकूलित करने पर जोर देना चाहिए। उनको अपने-अपने देश में सामाजिक यथार्थताओं को पूरा करने के लिए पश्चिमीकरण को दूर किए जाने पर भी बल देना चाहिए।

8. इस क्षेत्र के प्रत्येक देश में सामाजिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबन्ध में प्रवर्तन, समन्वय, यौक्तिकरण और कार्यक्रम विकास को एक स्वतंत्र कानूनी निकाय के अधीन रखा जाना चाहिए। यह निकाय समाज कल्याण आयोग के रूप में होना चाहिए जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, शैक्षिकों और नीति निर्माताओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रत्येक देश की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निकाय स्वतंत्र रूप से कार्य करे।

9. सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामाजिक नीति को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए :--

(1) सरकार (कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल) तथा देश के राजनीतिक वर्ग ;

(2) व्यावसायिक संगठन ;

(3) श्रमिक संघ ;

(4) संचार के जन साधनों की एजेंसियां ;

(5) चैम्बर्स आफ कामर्स ;

(6) अनुसंधान संगठन ; तथा

(7) धार्मिक और विद्यार्थी संघ इत्यादि जैसे अन्य दबाव डाल सकने वाले वर्ग ।

देश में सामाजिक नीति के निर्धारण तथा/या कार्यान्वयन से सम्बद्ध विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन सम्पर्कों का उपयोग किया जा सकता है।

10. विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के नियंत्रण निकायों में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस संबन्ध में सरकारी पदाधिकारी भी सलाहकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। इसी प्रकार सरकारी नीतियों के निर्माण में स्वयंसेवी संगठनों को भी परामर्शात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

11. क्षत्रीय सहयोग के सम्बन्ध में यह सिफारिश की गई थी कि जहां कहीं संभव हो सामाजिक नीतियों को प्रभावित करने तथा उन परिस्थितियों में जिनमें सीमित राजनीतिक संगठन काम करते हों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

12. सामाजिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशिक्षित जन शक्ति का उपयोग किया जाना आवश्यक है। व्यावसायिक संस्थाओं को इसलिए सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अधिक उपयोग किया जा सके।

13. इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का विकास किया जाना चाहिए जिनसे अधिक यथार्थत्मक ढंग से स्थानीय आवश्यकताओं को आंकने तथा बेहतर आयोजन और कार्यान्वयन के लिए सहायता दी जा सके।

14. अनुसंधान का सामाजिक टीका टिप्पणी के उपकरण के रूप में सहयोग द्वारा सामाजिक नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सामाजिक कार्यकर्ता कारगर भूमिका निभा सकते हैं।

15. सामाजिक नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबन्धित उपयुक्त केस अध्ययनों का निर्धारण करने और उन्हें पूरा करने के लिए सामाजिक कार्य शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं को लगाया जाना चाहिए। यह इसलिए किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक सेवाओं को प्रदान किए जाने में सुधार हो।

16. ऐसे केस अध्ययनों के निष्कर्ष सामाजिक कार्य के स्कूलों में उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ताकि शिक्षा की सामग्री के रूप में उनका उपयोग किया जा सके। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रहे अन्य सरकारी और असरकारी संगठनों को भी ये निष्कर्ष बताए जाने चाहिएं।

17. सामाजिक कार्य के स्कूलों ने अनुसंधान करवाने के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करने पर अधिक बल देना चाहिए ताकि वे सरकार और लोगों को उसके बारे में बता सकें जिससे तुरन्त ध्यान देने योग्य सामाजिक समस्याओं का प्रचार किया जा सके।

18. इस क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक नीति और सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम के सामाजिक कार्य विषयों के बारे में एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्य स्कूलों में मूल और प्रगत पाठ्यक्रमों, क्षेत्र कार्य और अनुसंधान सुविधाओं के लिए इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग किया जा सकता है।

19. सामाजिक योजनाओं के अत्यावश्यक पहलुओं के रूप में इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का आदर किए जाने की आवश्यकता पर भी सेमिनार ने जोर दिया।

डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली में पेशवा रोड पुनरीक्षित मार्ग रेखा निर्धारित करना

1151. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजाइन ग्रुप ने डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में पेशवा रोड की पुनरीक्षित मार्ग रेखा निर्धारित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली है ;

(ख) क्या सरकार ने इसे इस बीच स्वीकृति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जैन हैपी स्कूल, गोल मार्केट, नई दिल्ली के लिए वैकल्पिक स्थल

1152. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैन हैपी स्कूल को, जिसे पहले एडवर्ड स्कवेयर में भूमि आवंटित की गई थी, इस बीच वैकल्पिक स्थल अलाट कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली को समतल करना

1153. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली के डी० सैक्टर से जहां से 1975-76 में सैकड़ों झुग्गियां हटाई गई थीं, भूमि को साफ और समतल बना दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1975-76 वर्ष के दौरान क्वाटरों के विन्यास के अन्तर्गत आने वाली केवल 8 झुग्गियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाया गया था। जिस क्षेत्र से इन झुग्गियों को हटाया गया था उसे साफ और समतल कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी की भण्डारण क्षमता

1154. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चीनी के बकाया स्टाक और चालू मौसम में बनाई जा रही चीनी के भंडारण की पर्याप्त क्षमता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो भंडारण की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी का भंडारण उनके अपने गोदामों में किया जाता है और सरकार इस प्रयोजन के लिए भण्डारण स्थान सुलभ नहीं करती है। सभी चीनी फैक्ट्रियों से कहा गया है कि वे वर्ष 1976-77 की समाप्ति पर स्टाक और वर्ष 1977-78 के दौरान उत्पादित चीनी के स्टाक को रखने के लिए पर्याप्त भण्डारण स्थान की व्यवस्था करें।

Admission for Students of Backward Classes in Universities

1155. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have made arrangements for providing admissions in the Universities on the basis of prescribed quota to those students of backward classes who secure 55 per cent marks;

(b) if so, the names of the States in which this Scheme has been introduced; and

(c) whether Government have enquired into the matter that the students belonging to backward classes who secured First Division in Aligarh Muslim University have not been granted admissions in Pre-University classes (Mathematics) in the University inspite of the quota fixed for the backward classes and whether he has received a complaint in this regard in October, 1977, and if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander): (a) According to the guidelines indicated by the Central Government, 20% of seats in all institutions of higher education are required to be reserved for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates. The educational institutions are also advised to give a concession of 5% in the minimum percentage of marks required for admission to any course, and in case the 20% seats earmarked for SC/ST candidates remain unfilled, a further relaxation in marks may be given. The Central Government have not, however, indicated any guidelines for the reservation of seats for the backward classes as such in institutions of higher education.

(b) According to the information available with this Ministry, the following Universities have reserved seats for students belonging to backward classes:—

1. Bombay
2. Bhagalpur
3. Bangalore
4. Kurukshetra
5. Kashmir
6. Karnatak
7. Madras
8. Mysore
9. Madurai
10. Magadh
11. Marathwada
12. Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth
13. Marathwada Agricultural
14. Panjab
15. Punjabi
16. Patna
17. Poona
18. Sri Venkateswara
19. Sardar Patel
20. Shivaji
21. Cochin
22. Nagpur

(c) Information is being collected and will be laid on Table of the Sabha in due course.

Wheat Kept in Raipur District by F.C.I. Unfit for Human Consumption

1156. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether wheat worth Rs. 13 lakhs belonging to the Food Corporation of India which was kept in the open in Raipur district of Madhya Pradesh has become unfit for human consumption; and

(b) if so, the action taken by Government against the concerned officers of the Food Corporation of India for the carelessness shown by them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir. The damage occured during transit of the grains to the depots when bags carrying the grains got wet by rain due to tarpaulins which were provided on 211 open wagons got displaced as a result of stormy weather.

(b) Does not arise. As the damage was not due to any negligence on the part of the officials of the Food Corporation of India but due to unavoidable causes during transit.

World Congress on Anthropology and Ethnological Sciences

1157. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have constituted a National Committee to organise an International World Congress on Anthropology and Ethnological Sciences in India in 1978;

(b) whether the first meeting of the National Committee was held in Delhi during September, 1976; and

(c) if so, the points discussed in the meeting held in Delhi ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander) :

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) These discussions related to dates for the Congress, areas for discussion in the field of physical anthropology and human biology, linguistics, economic anthropology, psychological anthropology, ethnology, etc., accommodation for the Congress and Post-Congress sessions, publications, constitution of various sub-committees, and other or ganizational matters.

Pucca houses of farmers in rural areas on rent for procured foodgrains

1158. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider the question of formulating a scheme to take big pucca houses of farmers constructed in the rural areas in the country on rent to store foodgrains procured by the Food Corporation from the same rural areas;

(b) whether it is a fact that this scheme can easily be introduced in rural areas with the help of Gram Pradhans, Sarpanch, Gram Sevakes and Block Pramukhs; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above in the affirmative, the action being taken by Government keeping in view the benefit to both the Government and farmers in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Meeting of Betwa River Board

1159. **Shri Laxmi Naryan Nayak** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether meeting of Betwa River Board was held in Delhi on 17th September, 1977 and if so, names of the persons who participated in that meeting;

(b) the decisions taken in this meeting;

(c) names of other schemes in addition to Rajghat Project, which have been included by the Board in its items of work;

(d) whether Betwa River Board is going to include in its items of work, Jamne Orchha Hydel Dam on Betwa river near Orchha in Tikamgarh district in Madhya Pradesh survey of which is going to be completed; and

(e) names of districts to which water of the canal of the Rajghat Dam will be supplied, the acreage of land in Tikamgarh District likely to be irrigated and the length of canal in Tikamgarh district survey of which has been completed ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) Yes, Sir. Decisions taken in the meeting and the names of participants are given in the enclosed statement [Placed in Library **See No. L. T.—1146/77.**]

(c) and (d) The Betwa River Board is a statutory Board established for the construction of Rajghat dam on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Functions of the Board have been laid down under section 10 of the Betwa River Board Act 1976 and as such other projects cannot be brought under its purview.

(e) Areas proposed to be irrigated in U.P. are as under :—

Lalitpur District	61,619 ha.
Jhansi District	34,968 ha.
Jalaun District	45,496 ha.

As regards Madhya Pradesh, it has been intimated by the State Government that the districts of Shivpuri, Guna, Tikamgarh, Gwalior and Bhind would receive irrigation facilities from Rajghat Dam Project. In Tikamgarh district, the area to be benefited would be about 2800 ha. and length of the Canal is this District would be about 15 km and detailed surveys are still in progress.

निर्माणाधीन सिंचाई की परियोजनाएं

1160. **श्री निहार लास्कर :**

श्री एफ० पी० गायकवाड़ :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में देश में कितनी नई सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी ;

(ख) इस समय कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ; और

(ग) केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन की जाने वाली नई सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों ने 15 बृहद, 55 मध्यम और बहुत से लघु सिंचाई कार्यों पर काम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) पिछली योजनाओं से बची हुई 230 बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और पहले से ही स्वीकृत 216 परियोजनाएं और बहुत से लघु सिंचाई कार्य इस समय निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ग) राज्य सरकारों ने चालू वर्ष में बृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए 863 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की है। चुनी हुई निर्माणाधीन स्कीमों की प्रगति को तेज करने के लिए और कुछ नई स्कीमों की शुरुआत करने के लिए इस राशि में 125.75 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जिसमें 100 करोड़ रुपया केन्द्र द्वारा अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिया जाएगा और

25.75 करोड़ रुपया कुछ राज्यों द्वारा अपने साधनों से प्रदान किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्यों के लिए 206 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

चालू वर्ष के लिए 70 नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत 351 करोड़ रुपया है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक-मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशिष्ठ विकास-क्षेत्र या परियोजना से संबन्धित नहीं होती।

सेंट्रल स्टेट फार्म, गिरजापुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश द्वारा फालतू पुर्जे खरीदना

1161. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल स्टेट फार्म डाकखाना गिरजापुर, जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्धक अपने सप्लाईकर्ताओं से जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना है, लाखों रुपयों के मूल्य के फालतू पुर्जे और अन्य सामान खरीदते रहे हैं तथा कुछ समय के पश्चात् रद्दी माल के रूप में बेच देते हैं ; और

(ख) गत तीन, वर्षों में प्रतिवर्ष खरीदे गये सामान और बेचे गये रद्दी/अप्रयुक्त सामान के मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। सभी सामान तथा फालतू पुर्जे आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित दर संविदा पर भारतीय राज्य फार्म निगम के मुख्यालय अथवा सीमित निविदाओं के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीदे गए हैं। उल्लिखित फार्म के चालू होने से लेकर अब तक कोई सामान बेचा नहीं गया है

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान खरीदे गए अथवा बेचे गए सामान के मूल्य का वार्षिक ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	वर्ष	वर्ष के दौरान खरीदे गए फालतू पुर्जे और अन्य सामान का मूल्य	बेचे गए सामान का मूल्य
		रु०	
1.	1974-75	3,55,080.50	कुछ नहीं
2.	1975-76	6,01,922.74	कुछ नहीं
3.	1976-77	4,92,706.22	कुछ नहीं

(लेखों की लेखा-परीक्षा की जा रही है)

सेंट्रल स्टेट फार्म, बहराइच उत्तर प्रदेश द्वारा धान की पौध लगाने के लिए धनराशि की मंजूरी

1162. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ 1978 में धान की पौध लगाने के लिये सेंट्रल स्टेट फार्म, डाकखाना गिरजापुर, जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) निदेशक ने फार्म के सुपरिंटेंडेंट द्वारा सादा कागज पर लिये गये "कुटेशनों" के आधार पर एक लाख से अधिक रुपयों की मंजरी दी थी ;

(ख) क्या धनराशि देने के बारे में किसी अनियमितता की शिकायत की और सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ; खरीफ 1978 में धान की पौध लगाने का कार्य आगामी वर्ष अर्थात् जून, 1978 या उसके आसपास ही होगा,

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्यान्न का निर्यात

1163. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अब खाद्यान्न का निर्यात करने की स्थिति में है तथा क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भावी विदेशी क्रेताओं से कोई बातचीत हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने खाद्यान्नों के निर्यात की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन पड़ोसी देशों की उनकी चल रही कठिन खाद्य स्थिति में मदद करने के लिए सहायता के रूप में थोड़ी मात्रा में बढ़िया बासमती चावल और सीमित मात्रा में खाद्यान्न भेजे गए थे। यह निर्णय किया गया है कि इंडोनेशिया सरकार की मदद के लिए 50,000 मीटरी टन चावल और वियतनाम सरकार को 70,000 मीटरी टन गेहूं का आटा (मैदा) भेजा जाए। इसके अलावा, लगभग 15 लाख मीटरी टन गेहूं सोवियत संघ को सप्लाई किया जाएगा। यह गेहूं सोवियत रूस से उधार पर लिए गए गेहूं की वापसी करने के रूप में है।

मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को भवन निर्माण ऋण दिया जाना

1164. **डा० बापू कालदाते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को 1000 रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए ऋण न देने की सलाह दी है ;

(ख) क्या हाल ही में वर्ष (1975-76 और 1976-77 के दौरान) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को हजारों आवासीय प्लाट दिए थे ;

(ग) यदि हां, तो आवास ऋण पर लगाई गई इस रोक के परिणामस्वरूप मध्यम आय वर्ग द्वारा भवन निर्माण गतिविधि मंद पड़ गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी मकान मालिकों द्वारा लिए जा रहे अत्यधिक किराये और देश में मकान बनाने के कार्य को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार का कार्य मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का निर्धारण करना, राज्य सरकारों को इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक

वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना तथा उनकी प्रगति पर निगरानी रखने तक ही सीमित है अतः केन्द्रीय सरकार ने मध्यम आय वर्ग को कोई रिहायशी प्लाट आवंटित नहीं किए हैं। राज्य सरकारों द्वारा मध्य आय वर्ग के लोगों को आवंटित रिहायशी प्लाटों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सांस्कृतिक संगठनों को सहायता देने के बारे में सिद्धांत

1165. **डा० बापू कालदाते :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक संगठनों को सहायता देने के बारे में सरकार ने नये सिद्धान्त अपनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत छः महीनों में (अप्रैल से सितम्बर, 1977) किन-किन सांस्कृतिक संगठनों को सहायता दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है।

क्रम सं०	संस्था का नाम	विवरण	दिए गए अनुदानों की राशि
			रुपये
1.	भारतीय संगीत सदन, नई दिल्ली		70,000
2.	भारतीय कला लोक मंडल, उदयपुर		10,000
3.	"सी इंडिया फाउन्डेशन", कोचीन		8,230
4.	प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद		3,137
5.	ललित कला सोसाइटी, पैरम्बूर, केरल		5,000
6.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघ, कलकत्ता		7,500
7.	गन्धर्व महाविद्यालय, नई दिल्ली		10,000
8.	दिल्ली संगीत सोसाइटी, नई दिल्ली		50,000
9.	श्री नीलकान्तेश्वर नाट्य सेवा संघ, हेग्गोडे		10,000
10.	संगीत भारती, नई दिल्ली		20,000
11.	मुक्ताकाश नाट्य संस्थान, मेरठ		3,750
12.	त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली		25,000
13.	कला भवन अर्नाकुलम, केरल		10,000
14.	कला छाया, पूना		9,500
15.	राजधानी कला संसद, भुवनेश्वर		7,500

नृत्य ड्रामा और थियेटर मण्डलियों के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत दिए गए अनुदान :

क्रम सं०	संस्थाओं के नाम	धन राशि रुपये
1.	रंगा श्री लिटिल बैले, ट्रुप, ग्वालियर	1,32,950.00
2.	यक्षगान केन्द्र, उदुपी (म० प्र०)	42,800.00
3.	मुम्बई मराठी साहित्य संघ, बम्बई	62,000.00
4.	लिटिल थियेटर ग्रुप, नई दिल्ली	31,000.00
5.	दर्पण (नृत्य-ड्रामा) अहमदाबाद	35,000.00
6.	मणिपुरी जागोई मारुप, इम्फाल	94,000.00
7.	नन्दीकर, कलकत्ता	30,440.00
8.	त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली	37,460.70
9.	बैले यूनिट, बम्बई	62,000.00
10.	बहुरूपी, कलकत्ता	10,666.00
11.	कलाक्षेत्र, मद्रास	32,000.00
12.	श्रीराम भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	52,400.00
13.	भारतीय राष्ट्रीय थियेटर, बम्बई	34,000.00
14.	दिल्ली कला थियेटर, नई दिल्ली	28,000.00
15.	नया थियेटर, नई दिल्ली	45,000.00

तम्बाकू का उत्पादन

1166. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा तम्बाकू का उत्पादन विश्व में सबसे कम है ; यदि हां, तो इसको बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या विदेशी क्रेताओं के अनुसार हमारी सबसे अच्छी किस्म जैसे कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में पैदा होने वाली वर्जीनिया तम्बाकू अन्य देशों विशेषकर कनाडा और अमेरिका में पैदा होने वाली तम्बाकू की तुलना में 'फिलर राईस प्रोड्यूसर' है ; और

(ग) क्या इस प्रकार का कोई आधार है और यदि हां, तो क्या इन कमियों का पता लगा लिया गया है तथा उनके सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। हल्की मृदा वाले क्षेत्रों में पैदा होने वाले भारतीय तम्बाकू के गुण अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में पसंद किये जाने वाले तम्बाकू के गुणों के अधिक मिलते जुलते हैं। इस किस्म का तम्बाकू गुणवत्ता में बेहतर माना जाता है। यह तम्बाकू अधिक परिपक्व, खुला दानेदार, रोंयेदार और अधिक भरे जाने की विशेषता से युक्त है। उसमें चीनी-निकोटीन का अनुकूल अनुपात है और गुणवत्ता में उसकी तुलना रोडेशियन और कैनेडियन तम्बाकू के साथ की जा सकती है ।

इस किस्म के तम्बाकू को निर्यातक वरीयता देते हैं और इसके लिये विदेशी तथा देशी दोनों प्रकार की मंडियों में अधिक मूल्य प्राप्त होता है ।

(ग) देश के फ्लू-क्योर्ड तम्बाकू की क्वालिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की हल्की मृदा में उसकी खेती का विस्तार करने के लिये 1976-77 से एक कार्यक्रम चालू है। 1976-77 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 58,000 हैक्टार क्षेत्र में बुवाई की गयी। चालू वर्ष के दौरान हल्की मृदा का क्षेत्र बढ़कर लगभग 70,000 हैक्टार हो जाने की आशा है ।

देश के हलकी मृदा वाले क्षेत्रों में वर्जीनिया फ्लू-क्योर्ड तम्बाकू का विकास केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में किया जा रहा है, जिसके लिये वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है । यह योजना कृषि विभाग द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है ।

तम्बाकू का ग्रेड निर्धारित करना

1167. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विपणन विभाग (कृषि मंत्रालय) द्वारा तम्बाकू का ग्रेड किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ;

(ख) क्या ग्रेड निर्धारित करते समय रासायनिक तत्वों और जलने के मानकों (गोलों से जलने) को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) क्या पत्ते को पहली बार शोधित करने के पश्चात् उसका हरा रंग होना और बाद में पत्तों को शुद्ध करने की क्रिया का उपर्युक्त ग्रेड निर्धारण से कोई सम्बन्ध है ; और

(घ) हमारे यहां एगमार्क ग्रेड निर्धारण और तम्बाकू के ग्रेड निर्धारण का विभिन्न देशों द्वारा ग्रेड निर्धारण के मामले में ब्यौरेवार, क्या अन्तर है और तम्बाकू उपभोक्ता उद्योग वाले राज्यों में क्या अन्तर है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, तम्बाकू श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियम, 1937 के साथ पठित कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 के अनुसार तम्बाकू को श्रेणीकृत करता है । तम्बाकू की विभिन्न श्रेणियों तथा भिन्न-भिन्न किस्मों के लिए गुण अभिलक्षण निर्धारित किए जाते हैं अर्थात् धूम्र अभिसाधित वर्जीनिया, धूप अभिसाधित वर्जीनिया, धूप अभिसाधित देसी तम्बाकू, धूप अभिसाधित सफेद बर्ले, खाने का तथा बीड़ी का तम्बाकू। श्रेणीकरण तम्बाकू की पत्तियों के रंग, बनावट, दाग-धब्बे, ढांचे तथा अवस्था के आधार पर किया जाता है ।

(ख) जी नहीं तथापि क्लोराइड मात्रा की 2.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ताकि अच्छी जलन क्वालिटी सुनिश्चित की जा सक।

(ग) जी हां। कुछ सीमा तक पत्तियों के रंग का सम्बन्ध रासायनिक संयोजन तथा जलन क्वालिटी से है। पूर्ण रूप से परिपक्व पत्ती में सुखाने पर पीले रंग की चमक आ जाती है और इसमें अच्छी जलन क्वालिटी होती है। निचले तथा लवणीय क्षेत्रों में पैदा किए गए पौधों की पत्तियां सुखाने पर फीके-पीले रंग की हो जाती है और उसमें कम चमक होती है और उनमें अच्छी जलन क्वालिटी नहीं होती है ।

(घ) हमारी एग्मार्क श्रेणीकरण प्रणाली भौतिक अभिलक्षणों पर आधारित है। तम्बाकू पैदा करने वाले कुछ अन्य देशों में तम्बाकू का श्रेणीकरण, भौतिक अभिलक्षणों के अलावा, तम्बाकू के पौधे की पत्तियों अवस्था पर आधारित है ।

तम्बाकू की खपत वाले उद्योगों द्वारा श्रेणीकरण की पद्धति के बारे में सूचना एकत्र की जा रही

Small Farmers Development Agency in M.P.

1168. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether five Small Farmers Development Agencies were established under the First Plan for the economic development of the cultivators of holding of less than two acres in Madhya Pradesh.

(b) whether irrigation facilities are being provided and subsidiary industries of agriculture such as dairies, poultry and fisheries are being promoted under the said development scheme;

(c) whether at present twelve agencies are working in State as the Central Government have sanctioned the establishment of seven agencies during the Fifth Plan ; and

(d) whether Government propose to set up ten more such agencies and provide financial assistance for their development ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Three Small Farmers Development Agency Projects (SFDA) and two Marginal Farmers and Agriculture Labourers Development Agency Projects (MFAL) were established during the Fourth Five Year Plan in Madhya Pradesh for extending benefits of economic development to small and marginal farmers having holdings below 5 acres of dry land and landless agricultural labourers.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) The Government are considering comprehensive rural development programmes as part of the new Mid-term Fifth Year Plan. The size and coverage of such programmes which will include the target groups of small and marginal farmers and agricultural labourers has not yet been decided.

Soyabean Solvent Extraction Plants

1169. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of places where the soyabean solvent extraction plants are located in the country; and

(b) whether any scheme was drawn up in 1976 for soyabean export ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) At present 18 Solvent Extraction plants are producing soyabean oil. The names and addresses of these plants are given in the statement annexed.

(b) No, Sir.

Statement

Statement showing S.E.O. factories producing Soyabean oil

S.No.	Name of the factory
	Gujarat
1.	M/s. Jayant Extraction Industries, Bedeshwar, Jamnagar.
2.	M/s. Paushak Ltd., c/o P.O. Chemical Industries, Baroda.
3.	M/s. Synbiotics Ltd., Wadi Wade, Baroda.
4.	M/s. Soyabean Extns. Pvt. Ltd., Plot No. 124, G.I.D.C. Estate, Vithal Udyognagar.
	Madhya Pradesh :
5.	Shree Mansingkha Oil Mills Pvt. Ltd., Khandwa.
6.	M/s. Malwa Vanaspati & Chemical Co., Ltd. Mohatta Nagar, Indore.
7.	M/s. General Foods Pvt. Ltd., Dhabli Village Opp. Mangligaon Rly. Station, Agra-Bombay Road Indore.
8.	Shree Krishna Oil Mills, Bombay-Agra Road, Indore.
9.	M/s. Vippy Solvex Products Pvt. Ltd., 28, Industrial Area, A.B. Road, Dewas.
10.	Jagmanak Solvent Extn. Plant, Prop. Bhopal Sugar Industries, Sehore.
	Maharashtra :
11.	M/s. Berar Oil Industries Vanasdapaeth, Akola.
12.	M/s. Kamani Oil Mills, Chandivali Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka Bombay.
13.	M/s. Jaihind Oil Mills Co. 153, Bombay-Agra Road, Bhandup.
14.	M/s. Mansingka Industries Ltd. Pachora.
15.	M/s. Vegetable Vitamins Co. Pvt. Ltd. Plot No. 109, Sion, Bombay.
16.	M/s. New India Oil Mills Ltd. 387/389, Narsi Natha Street Bombay.
17.	M/s. Hanuman Vitamin Foods Pvt. Ltd. Akola Road, Khamgaon.
	U.P.
18.	M/s. Prag Ice and Oil Mills, Barafkhana, Aligarh.

Setting Up of Soyabean Extraction Plant in M.P.

1170. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether the areas of land under soyabean cultivation in Madhya Pradesh has increased from 1,000 acres seven years back to 80,000 acres at present and by the end of the current year it will be raised up to 1—5 lakhs hectares;

(b) whether it is proposed to set up model and processing units of Soyabean in Madhya Pradesh under a scheme for Soyabean solvent extraction plants required in view of the area of soyabean cultivation and its increasing production; and if so, the districts of Madhya Pradesh where such units are to be set up;

(c) whether Central Government would extend their active assistance in the implementation of the said scheme; and

(d) if so, the extent of the assistance and by when ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The approximate area covered under soyabean cultivation in Madhya Pradesh.

under the Centrally Sponsored Scheme for Soyabean Development from 1971-72 to 1977-78 has been as indicated below :—

Year	Area (Hectares)
1971-72	7,687
1972-73	16,050
1973-74	25,264
1974-75	39,696
1975-76	55,506
1976-77	89,068
1977-78	1,36,015

(b) No Sir; at present there is no scheme with the Government of India to set up model and processing units of Soyabean in Madhya Pradesh. This year in June a letter of intent has been issued for the setting up of a Soyabean processing plant in M.P. in private Sector.

(c) and (d) : Do not arise.

Potato Research and Seed Production

1171. **Shri Chhabiram Argal :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of places where potato research and improved seed production stations are located in the country;

(b) whether acreage of potato cultivation in M.P. has gone up from 16,000 hectares in 1969 to 23,000 hectares in 1971;

(c) whether there is sufficient scope for increasing production of potato in Madhya Pradesh and whether a potato research centre and improved seed production station will be set up in Madhya Pradesh to solve various problems connected with potato cultivation and whether financial assistance will be provided by the Centre for the purpose; and

(d) whether the State Government has sent to the centre any proposal for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The research work at national level is conducted by the Central Potato Research Institute, Simla. Names of places for potato research and improved seed production are given below :—

RESEARCH CENTRES

Main Centres : Simla, Kanpur, Jullundur, Patna, Ootacamund, Shillong, Rajgurunagar, Chhindwara, Dessa, Ranchi, Kalyani, Bhubneswar, Hassan, Shopian.

Sub. Centres : Pantnagar, Bangalore, Palampur, Hissar, Jorhat.

Centres fully financed by States : Kota, Parbhani, Akola, Ludhiana, Durgapura.

Breeders' Seed Production Units : Kufri, Jullundur, Daurala, Kodaikanal.

(b) The area in Madhya Pradesh as reported by the Directorate of Economics and Statistics of Government of India was 18,400 hectares in 1968-69 but in dropped to 15,600 hectares in 1970-71. The area in 1976-77 was 19,500 hectares.

(c) Yes, Sir. There is scope for increasing potato production in view of the Irrigation Projects.

There is already one main Potato Research Centre at Chhindwara in Madhya Pradesh under All India Coordinated Potato Improvement Project which is financed to the extent of 75% by the Indian Council of Agricultural Research. This research centre is also involved in evolving technology for improved seed production.

(d) Yes, Sir. A request from the State Government to open a regional research station at Babai (Hoshangabad) in Madhya Pradesh under the Central Potato Research Institute, Simla was received. The State Government was informed that the policy has been to encourage the agricultural universities to open such stations rather than getting stations of I.C.A.R. Institutes established. Moreover, there is already a research station at Chindhwara under the coordinated project administered by the Jawahar Lal Nehru Krishi Vidyapeeth, Jabalpur.

ठेकेदारों को अधिक धनराशि का भुगतान करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतें

1172. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदारों को अधिक धनराशि का भुगतान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध की गई विभिन्न शिकायतों की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन ठेकेदारों के नाम क्या है, जिन्हें अधिक राशि का भुगतान किया गया है ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) एक सूची संलग्न है ।

विवरण

(क) नोटिस में आए ऐसे ठेकेदार जिन्हें अधिक राशि का भुगतान किया गया :

1. श्री कैलाश नाथ मरवाह
2. मैसर्ज हरबंस कंस्ट्रक्शन कम्पनी
3. श्री डी० के० जैन
4. श्री डी०के० कपूर

(ख) ऐसे ठेकेदार जिन्हें संभवतः अधिक धनराशि का भुगतान किया गया :

1. मैसर्ज सी०बी० तंवर एण्ड कम्पनी
2. श्री शिव नारायण शर्मा
3. श्री वेद प्रकाश मित्तल
4. मैसर्स राजस्थान बिल्डर्ज
5. श्री नोन्नत राय

(ग) अधिक धनराशि का भुगतान किए गए ऐसे ठेकेदार/सप्लायर जिन से वह धनराशि वसूल की जा चुकी है ।

1. श्री टी०सी० जैन
2. श्री दलीप सिंह
3. श्री हरचरण दास गुप्ता
4. श्री पारस राम

5. श्री राम कुमार
6. श्री राजेन्द्र कुमार
7. श्री रमेश कुमार दीक्षित
8. श्री ओम प्रकाश
9. श्री सुरेन्द्र कुमार ओबराय
10. श्री रमेश चन्द गुप्ता
11. मैसर्ज संजय कंस्ट्रक्शन कम्पनी
12. मैसर्ज अशोक कंस्ट्रक्शन कम्पनी
13. श्री सतपाल सिंह मनोचा
14. मैसर्ज सुभाष ब्रदर्स
15. श्री सुरेश कुमार दीक्षित
16. श्री यशीन
17. श्री राम कुमार
18. मैसर्ज पाल एण्ड संस
19. मैसर्ज दत्ता एंड संस
20. मैसर्ज प्रकाश एण्ड कम्पनी
21. मैसर्ज कुमार कैमिकलज़
22. श्री बी०आर० भंडारी
23. मैसर्ज अशोक कुमार
24. मैसर्ज रमेश कुमार दीक्षित
25. श्री सोहन लाल

Proper Use of Water

1173. Shri Chaturbhuj : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the industries and factories in the country use good water in large quantity unnecessarily as a result of which water in sufficient quantity is not avilable for Agriculture and other purposes; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure proper use of water ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) Fresh water is being used by the industries. However, data regarding the quantum of water used and its effect on the availability of water for agriculture are not available. It may, however, be mentioned that agriculture, on a rough assessment, consumes more than 90 per cent of the water presently being used for various purposes. Water being a State subject, the State Governments give appropriate priorities on the use of water for different purposes, such as agriculture industries, etc.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तन

1174. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा अध्यापक यह मांग कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तन किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों की रूपरेखा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार लोक सभा में विधेयक पेश करने से पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा अधिकारियों से इस सम्बन्ध में परामर्श करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि इस विश्वविद्यालय को, संविधान के अनुच्छेद 30 की व्यवस्थाओं के अनुसार एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था घोषित करने वाला एक संशोधी विधेयक प्रस्तुत किया जाए तथा विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों से सम्बन्धित सभी अन्य अलोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को हटाया जाए। विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों से भी इसी प्रकार की मांग प्राप्त हुई है। कार्यकारी परिषद् के अनुरोध पर, विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त एक संयुक्त समिति ने, जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों, छात्रों भूतपूर्व छात्रों तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें प्रस्तुत की हैं:--

(1) "विश्वविद्यालय" शब्द की परिभाषा में परिवर्तन, ताकि अर्थ "भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय" हो जाए ।

(2) विश्वविद्यालय की शक्तियों में परिवर्तन ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि विश्वविद्यालय मुख्यतः भारत के मुसलमानों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को प्रोन्नत करेगा।

(3) कुलाधिपति तथा समकुलपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा किए जाने की वर्तमान व्यवस्था की बजाय कोर्ट द्वारा चुनाव के माध्यम से की जाए।

(4) छात्र परिषद्, छात्र संघ अथवा अध्यापकों, शैक्षिक स्टाफ या विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के संघ की स्थापना के बारे में व्यवस्थाओं का संशोधन।

(5) कोर्ट को सर्वोच्च शासी निकाय बनाना जिसके पास, संविधि बनाने, कार्यकारी तथा शैक्षिक परिषदों के कुछ निर्णयों का पुनरीक्षण करने तथा नीति निर्धारित करने के अधिकार हों।

(6) वित्त अधिकारी के विद्यमान पद के अतिरिक्त, कोर्ट द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले अवैतनिक कोषाध्यक्ष के पद की व्यवस्था करना ।

(7) कुलपति की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन।

(8) एकल हस्तान्तरणीय वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से निर्वाचन के सिद्धान्त के स्थान पर साधारण बहुमत को रखना।

(ग) तथा (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में खाद्यान्नों का क्षतिग्रस्त होना

1175. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख टन खाद्यान्न खुले में रखने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उपेक्षा और लापरवाही बरतने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी करोड़ों रुपयों का गेहूं क्षतिग्रस्त हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। उत्तर प्रदेश में हाल ही की वर्षा और बाढ़ों से कैप स्टोरेज (कवर और प्लिंथ) में 2516 मीटरी टन गेहूं

प्रभावित हुआ था। इस गेहूं का भारतीय खाद्य निगम ने भंडारण किया था। इस मात्रा में से 335 मीटरी टन क्षतिग्रस्त और मानव उपयोग के अयोग्य गेहूं अक्तूबर, 1977 तक अलग कर दिया गया है। यह क्षति मुख्यतया प्राकृतिक कारणों से हुई थी और न कि स्टाफ की लापरवाही और असावधानी के कारण हुई थी।

(ग) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हाल ही की वर्षा और बाढ़ों से कैप स्टोरेज (कवर और प्लिंथ) में 16.5 लाख रुपये की कीमत का लगभग 24,614 मीटरी टन गेहूं प्रभावित हुआ था जिसका भंडारण भारतीय खाद्य निगम ने किया था। इस मात्रा में 1224 मीटरी टन क्षतिग्रस्त और मानव उपभोग के अयोग्य गेहूं अक्तूबर, 1977 तक अलग कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि 2.5 लाख रुपये की कीमत का 199 मीटरी टन गेहूं क्षतिग्रस्त हुआ था। पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके पास रखा स्टाक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था।

Review of Land Reform Laws

1176. Shri Ramji Lal Suman : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are reviewing the existing land reform laws; and

(b) whether Government are aware that big landlords of pre-independence days are in unauthorised occupation of land even after the abolition of zamindari system ?

The Minister of State in the Ministry of Agricultre and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) No such information is available with the Government of India. Administration of land reforms rests with State Governments who have been impressed about the need for proper and effective implementation of land reforms measures.

मारमोगाओ पत्तन पर जहाज रोके रखने के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क

1177. श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री मारमोगाओ पत्तन पर जहाज को रोके रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किए गए विलम्ब शुल्क के बारे में 18 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3759 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम, पूना के जिला प्रबन्धक 10 जुलाई, 1975 को भारतीय खाद्य निगम के हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कन्ट्रेक्टर को वह नुकसान पूरा करने के लिए नोटिस जारी किया था जो उसे एक्स एस० एस० 'मिल्लन' जहाज के विलम्ब शुल्क के रूप में 2,37,400 रुपए देने पड़े थे ;

(ख) ठेकेदार से यह धन राशि वसूल करने का दावा करने के क्या कारण हैं, जब 'मिल्लन' नामक जहाज ने कोई विलम्ब शुल्क न हीं दिया है और न ही भारतीय खाद्य निगम ने कोई धनराशि अदा की है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह धनराशि कंट्रेक्टर के बिलों में से काट ली गई है और ठेकेदार ने उसके लिए दावा करने का नोटिस दिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह धन राशि कंट्रेक्टर को देने का है और कंट्रेक्टर को देय धनराशि का भुगतान न करने से संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबन्धक ने हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कंट्रेक्टर को एक कारण बताओ नोटिश जारी किया था ताकि एस०एस० मिल्लन' से संबन्धित 2,37,400 रु० की प्रत्याशित जहाज के विलम्ब शुल्क सहित

हुई हानि, जिसकी जिम्मेदारी उस पर आती है, को पूरा किया जा सके। इस जहाज में 8047 मीटरी टन उर्वरक ले जाया जा रहा था और यह मारमेगाओ बन्दरगाह पर लादा गया था। ठेकेदार के मजदूरों ने बिना किसी पूर्व सूचना के हड़ताल कर दी थी । हड़ताल के कारण जहाज के निकासी कार्य में विघ्न पड़ गया था और 3431 मीटरी टन माल की निकासी करने के बाद ही, जहाज को मंगलोर बन्दरगाह की ओर मोड़ना पड़ा था जहां पर शेष मात्रा की निकासी की गई थी। एहतियाती उपाय के रूप में, भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबन्धक ने ठेकेदार के मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के कारण मारमेगाओ बन्दरगाह पर जहाज के रुकने के परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार था, का हिसाब लगाया था और उन्होंने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस बात का कि कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं था, तभी पता चल सकता था जबकि मंगलौर बन्दरगाह पर निकासी संबन्धी कार्य पूरा हो जाता और जहाज के मालिकों का करारनामा प्राप्त हो जाता । यदि मंगलौर बन्दरगाह पर अनुकूलतम रफ्तार पर निकासी कार्य नहीं किया गया होता तब विलम्ब शुल्क पड़ता और इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार पर पड़ती ।

(ग) 2,37,400 रु० की धनराशि ठेकेदार के बिलों से नहीं काटी गई है और न ही इसे अन्यथा वसूल किया गया है ।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

Scheme from Bihar Re. Erosion by Ganga

†**1178. Shri Gayaneshar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have submitted any scheme to the Central Government for the years 1977-78 and 1978-79 to protect the villages, fertile fields and the railway lines from erosion by Ganga; and

(b) if so, the amount allocated under the scheme to protect the Monghyr Ghat, Khagaria, Mansi, Narayanpur, Kadagola Ghat etc.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) River erosion is included in the flood control sector which forms part of the State Plans and the initiation, formulation and execution of flood control schemes is the responsibility of the State Governments. The Centre provides block loans and grants to the State Governments for the Plan Schemes and the State Governments can make the allotment to the various sectors and schemes according to their priorities.

The State Government of Bihar have stated that there is no allocation for protecting Monghyr Ghat this year. A scheme for arresting erosion from Khagaria to Monghyr Ghat is under preparation by the State Government. A sum of Rs. 3 lakhs has been allocated for Mansi protection works in the current year and a sum of Rs. 25 lakhs is proposed for 1978-79. During 1977 flood season, an amount of Rs. 50 lakhs has been spent by the State Government, and Rs. 40 lakhs by the Railways for protection of fertile lands, railway line and National Highway near Narayanpur Railway Station. For Kadagola protection works, an amount of Rs. 9 lakhs has been allocated during the current year.

इन्स्टीट्यूट आफ़ केटरिंग टैकनालाजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता, को केन्द्रीय सहायता

1179. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट आफ़ केटरिंग टैक्नालाजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता को रिलीफ सहायता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इंस्टीट्यूट को गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अनुदान की कुल कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों ने इंस्टीट्यूट के विरुद्ध कुप्रबन्ध के गम्भीर आरोप लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) और (ख) इस संस्थान को केन्द्रीय सहायता अनावर्ती व्यय और 50 प्रतिशत आवर्ती व्यय के लिए दी जाती है। चालू वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस संस्थान को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	अनुदान का प्रयोजन		निवल राजस्व खर्च
	बिल्डिंग	उपकरण	
1974-75	—	8,000	1,82,000
1975-76	10,00,000	51,300	1,83,400
1976-77	45,00,000	—	2,02,200
1977-78 (15-11-77 तक) . .	—	—	1,88,000

(ग) और (घ) विद्यार्थियों से कुछेक आरोप प्राप्त हुए हैं जोकि मुख्यतया निम्नलिखित से संबंधित हैं:—

(1) प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायतें;

(2) परीक्षा प्रणाली में संशोधन;

(3) पाठ्यक्रम में परिवर्तन; और

(4) इनडोर गेम्ज, पुस्तकालय संबंधी सुविधाओं आदि का विस्तार करने के रूप में अधिक सुविधाओं की आवश्यकता।

संस्थान के गवर्नर बोर्ड द्वारा इन शिकायतों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

दण्डकारण्य में बस रहे लोगों की दशा

1180. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1977 के स्टेट्समैन, कलकत्ता में "प्लाइट आफ सैटलर्स इन दण्डकारण्य" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना क्षेत्र में बसाए जाने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दण्डकारण्य परियोजना द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में प्रेस में छपे समाचार में वास्तविक तस्वीर प्रकट नहीं की गई है। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है तीन प्रमुख सिंचाई योजनाएं अर्थात् पोटेरु, सतीगुडा और परलकोट में चल रही हैं और उनके पूरा हो जाने पर, बसाए गए व्यक्तियों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। चालू की गई बहुत सी लघु सिंचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। भूमि और जलवायु की स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, परियोजना में बसाए गए लोगों को कृषि विस्तार सेवाएं भी प्रदान की गई हैं। परियोजना प्राधिकारियों का ध्यान लघु व्यवसायी परिवारों की समस्या की ओर केन्द्रित है। माना में कुछ दुकानें बन्द करने का कारण यह है कि माना शिविर से परिवारों को अन्यत्र पुनर्वास स्थलों पर भेज दिया गया है।

आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच

1181. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छात्र संघ ने इस आशय की मांग का ज्ञापन दिया है कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारण की जांच की जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

नई दिल्ली में देवनगर और गोल मार्केट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

1182. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनगर और गोल मार्केट क्षेत्र में एक मंजिले सरकारी क्वार्टर मरम्मत न होने की वजह से खराब हालत में हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इन क्वार्टरों की इस आधार पर मरम्मत नहीं करते, क्योंकि इन क्वार्टरों को गिराया जाना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब तक आवंटी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं, उन्हें क्वार्टरों की मरम्मत करवा कर अच्छी हालत में रखने का अधिकार है ; और

(घ) उक्त क्वार्टरों में मरम्मत कार्य करवाने पर गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) सालाना मरम्मत एवं रख रखाव के कार्यों और विशेष मरम्मत पर किया गया कुल खर्च इस प्रकार है :—

देव नगर

	बिजली	सिविल	कुल
	रुपये	रुपये	रुपये
1975-76	8,750	2,73,581	2,82,331
1976-77	8,750	2,66,792	2,75,542
कुल	17,500	5,40,373	5,57,873

गोल मार्केट क्षेत्र

	बिजली	सिविल	कुल
	रुपये	रुपये	रुपये
1975-76	2,42,257	4,74,700	7,16,957
1976-77	2,27,845	7,89,400	10,17,245
कुल	4,70,102	12,64,100	17,34,202

तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

1183. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूमि जल बोर्ड सैल ने तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु राज्य में अर्थात् नंगूनेरी आदि तालुकों में विशेष रूप से अत्याधिक कमी वाले क्षेत्रों में जल की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल ने फील्ड सीजन प्रोग्राम की अवधि में तिरुनेलवेली जिले का भूजल-विज्ञानी सर्वेक्षण शामिल किया है और यह कार्य दिसम्बर 1977 से शुरू होगा।

Distribution of Milk by Delhi Milk Scheme

1148. **Shri Hargovind Verma**

Shri L.L. Kapoor

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether carelessness is being shown in distribution of milk by Delhi Milk Scheme for the last six months;

(b) if so, whether the causes thereof would be enquired into; and

(c) steps proposed to improve distribution of milk ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The Govt. are not aware of carelessness by the Delhi Milk Scheme.

(b) The DMS is distributing over 6 lakh bottles of milk to Delhi citizens everyday from over 1,000 milk booths. In such large distribution operations, there are bound to be some complaints, especially when the demand for DMS milk considerably exceeds the supply, which cannot be increased.

(c) Distribution staff have been instructed to look into every complaint at a personal level and of late there has been better understanding with the public.

भूतपूर्व प्रधान मंत्री को "ग्रीन बेल्ट" में मकान बनाने की अनुमति

1185. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 6 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखी गई भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के फार्म हाउस के नक्शे के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त फार्म हाऊस "ग्रीन बेल्ट" में निर्मित किया जा रहा है;

(ख) क्या दिल्ली वृहत योजना के अनुसार "ग्रीन बेल्ट" में रिहायशी मकान का निर्माण करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि हां; तो उनके मकान के नक्शे को स्वीकृति प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) फार्म हाऊस की यह भूमि दिल्ली वृहत योजना के अनुसार "कृषि हरित" के लिए निर्धारित है। वृत योजना तथा उप-विधि के उपबन्ध के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में फार्म हाऊस का निर्माण करने की इजाजत है।

मीना बाग क्षेत्र में संसद संदस्यों के लिए कैन्टीन

1186. **श्री जेना बैरागी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीना बाग क्षेत्र में कैन्टीन संबंधी सुविधायें संसद सदस्यों को उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां कैन्टीन की सुविधायें प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कैन्टीन खोली जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) मीना बाग क्षेत्र के फ्लैटों का निर्माण सरकारी अधिकारियों के आवंटन के लिए किया गया था। चूंकि सरकारी अधिकारियों के रिहायशी क्षेत्र में कैन्टीन की सुविधाओं की व्यवस्था करना सरकारी नीति नहीं है, अतः मीना बाग क्षेत्र में कैन्टीन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

मीना बाग क्षेत्र के फ्लैटों को, समय समय पर सामान्य पूल से संसद सदस्य पूल में हस्तान्तरण कर दिया गया है। अब मीना बाग क्षेत्र के अधिकाश फ्लैट संसद सदस्य पूल में हैं। फलस्वरूप, मीना बाग क्षेत्र में, कैन्टीन सुविधाओं की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो लोक/राज्य सभा की आवास समिति द्वारा की जानी है।

नई दिल्ली में जनपथ पर स्थित वेस्टर्न कोर्ट एम० पी० होस्टल

1187. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में जनपथ पर स्थित वेस्टर्न कोर्ट एम०पी० होस्टल में आवास और खान पान का स्तर निरन्तर घटता जा रहा है;

(ख) क्या इस होस्टल में रह रहे एक या अधिक संसद सदस्यों से इस बारे में उन्हें लिखित या मौखिक शिकायतें, सुझाव और अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो वेस्टर्न कोर्ट की स्थिति सुधारने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही तत्काल की जा रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। 29-9-77 को मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा वेस्टर्न कोर्ट होस्टल का मौके पर निरीक्षण किया गया था। समग्र रूप से होस्टल की स्थिति संतोषजनक पाई गई। कुछ संसद सदस्यों से मुख्यतया भोजन व्यवस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। भोजन व्यवस्था के स्तर में सुधार के लिए भोजन व्यवस्थापक को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए थे। भोजन व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। होस्टल परिसर के उचित रूप से अनुरक्षण और सामान्य स्थिति में सुधार के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में खुला थियेटर

1188. **बापूसाहिब परुलेकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कितने खुले थियेटर खोले गये;

(ख) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में आज तक एक भी ऐसा थियेटर नहीं खोला गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1977-78 में वहां ऐसे कोई थियेटर खोले जायेंगे?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सरकार देश में खुले थियेटरों का निर्माण नहीं करती हैं। तथापि, संस्कृति विभाग विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान भवनों के निर्माण हेतु देश के 9 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई। इनमें महाराष्ट्र राज्य का संगीत महा भारती, बम्बई नामक संगठन भी शामिल है। यदि महाराष्ट्र सरकार रत्नगिरी जिले में एक खुले थियेटर के निर्माण हेतु किसी स्वैच्छिक संगठन के अनुरोध पर सिफारिश करती है तो वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

अमरीका से दुग्ध चूर्ण के आयात के लिए समझौता

1189. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से दुग्ध चूर्ण के आयात हेतु, विश्व बैंक से 460 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिये समझौता किया है;

(ख) क्या यह निर्णय मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह आयात समझौता देश में दूध उद्योग के विकास में बाधक होगा; और

(घ) क्या सरकार उक्त समझौते की एक प्रति सभा पटल पर भी रखेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

मंत्रालय में हिन्दी में प्राप्त पत्र

1190. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1977 की अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न स्रोतों से कुल कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उन पत्रों में से कितने पत्रों की प्राप्ति स्वीकृति अभी तक नहीं भेजी गई और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पत्रों को उनके समक्ष पेश किये जाने से पूर्व उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराना होता है और यदि हां, तो इस कार्य के लिए, नियत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उनके वेतनमान क्या हैं और क्या वर्तमान व्यवस्था को संतोषजनक समझा जाता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 10,198

(ख) आवतियां मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों को भेज दी गई थीं तथा मांगी गई सूचना एकत्र करने में, जितना श्रम लगेगा परिणाम उस के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत करने से पहले पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करवाया जाता है।

हिन्दी में प्राप्त पत्र

1191. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1977 की अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न स्रोतों से कुल कितने पत्र प्राप्त हुए, ;

(ख) उन पत्रों में से कितने पत्रों की प्राप्ति स्वीकृति उनके प्राप्त होने के एक महीने के बाद भेजी गई अथवा अभी तक नहीं भेजी गई और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पत्रों को उनके समक्ष पेश किए जाने से पूर्व उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराना होता है और यदि हां, तो इस कार्य के लिए नियत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उनके वेतनमान क्या हैं और क्या वर्तमान व्यवस्था को संतोषजनक समझा जाता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 3460

(ख) एक माह की अवधि के भीतर 1545 पत्रों की पावती स्वीकार की गई। शेष पत्र, नीति संबंधी पहलुओं की जांच करने अथवा सही सही सूचना देते हुए अन्तिम उत्तर भेजने के लिए संबंधित अनुभागों को भेज दिये गये।

(ग) जी, नहीं। क्योंकि मैं और मेरे सहयोगी हिन्दी पत्रों को बिना अंग्रेजी अनुवाद के निपटा सकते हैं।

मंत्रालय में हिन्दी में प्राप्त पत्र

1192. **श्री मोहन लाल पिपिल : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1977 की अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न स्रोतों से कुल कितने पत्र प्राप्त हुए,

(ख) उन पत्रों में से कितने पत्रों की प्राप्ति-स्वीकृति उनके प्राप्त होने के एक महीने के बाद भेजी गई अथवा अभी तक नहीं भेजी गई और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पत्रों को उनके समक्ष पेश किये जाने से पूर्व उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराना होता है और यदि हां, तो इस कार्य के लिए नियत वेतनमान क्या हैं और क्या वर्तमान व्यवस्था को संतोषजनक समझा जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कृषि और सिंचाई मंत्री के कार्यालय में अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक 3,106 पत्र तथा राज्य मंत्री के पास 14 अगस्त, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 तक 107 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) कृषि और सिंचाई मंत्री को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त हुए 259 पत्रों की पावती प्रायः उनकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर दे दी गई, 1562 पत्रों की पावती देने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें विभिन्न विभागों के पास भेज दिया गया और 1,285 पत्र कार्रवाई के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के पास भेज दिए गए। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों के सम्बन्ध में विषय का सार ही तत्काल अंग्रेजी में दिया जाता है। इस कार्य के साथ कृषी और सिंचाई मंत्री के कार्यालय में प्राप्त होने वाले अन्य प्रासंगिक हिन्दी कार्य को एक सहायक करता है जिसका वेतनमान 425–800 रु० है। मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक समझी जाती है।

राज्य मंत्री के कार्यालय में प्राप्त सभी 107 पत्रों की पावती उनके प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही दे दी गई थी और किसी भी पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास प्राधिकरण नियम, 77 तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी द्वारा महरौली के निकट बनाये जा रहे फार्म हाउस सम्बन्धी ज्ञापन

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डिबैंचरों का निर्गम) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 सितम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1224 में प्रकाशित हुए थे।

(2) 1 अगस्त, 1977 को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा महरौली के निकट बनाए जा रहे फार्म हाउस बनाने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा भवन की लागत के प्राक्कलन।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1123/77]

भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1975-76 समीक्षा तथा प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं०एल०टी० 1124/77]

संसद में विपक्षी नेता (भत्ते चिकित्सा और अन्य सुविधायें) नियम, 1977

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संसद् में विपक्षी नेता (भत्ते-चिकित्सा और अन्य सुविधायें) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 665 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1125/77]

पारपत्र (संशोधन) नियम, 1977

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुंडु) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 9 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 563 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1126/77]

आवश्यक वस्तु अधियिनम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 696(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 30 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया दखिये सं० एल० टी० 1127/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 तथा दिल्ली विक्रय कर नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री जुल्फिकार उल्लाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) सा० सां० नि० 1445 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 678 (ङ) जो दिनांक 4 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1128/77]

(2) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम; 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम; 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 नवम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (43)/77-पिन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1129/77]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

Committee on Absence of Members from the sittings of the house

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने निम्नलिखित तीन सदस्यों के प्रतिवेदन में दर्शित अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है ।

(1) श्री कर्पुरी ठाकुर

(2) श्री वाई० शायजा

(3) श्री राम नरेश यादव

क्या सदस्य इन्हें अवकाश की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं ?

अनेक सदस्य: जी हां, अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : इन सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

चौथा प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन: मैं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 और 1974-75 के प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 2 प्रत्यक्ष कर, के अध्याय 3 में सम्मिलित आयकर से सम्बन्धित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

दालें तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के प्रस्तावित संशोधन के बारे में वक्तव्य

Statement Re : Proposed Amendment to Pulses & Edible Oils (Storage Control) Order 1977

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं कुछ संशोधनों के बारे में वक्तव्य देने जा रहा हूं जिन्हें सरकार दाल और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश में करना चाहती है। यह आदेश 30 सितम्बर, 1977 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा केन्द्रीय सरकार को मिली शक्तियों के अन्तर्गत जारी किया गया था।

इस आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ थोक व फुटकर व्यापारियों के लिए दालों, खाने के तेलों तथा वनस्पति के स्टाक की अधिकतम सीमा निश्चित की गई थी। थोक व्यापारियों के लिए सभी दालों के स्टाक की कुल सीमा 500 क्विंटल और फुटकर व्यापारियों के लिए 25 क्विंटल रखी गई थी। जहां तक खाने के तेलों का संबंध है, थोक व्यापारियों के लिए 200 क्विंटल और फुटकर व्यापारियों के लिए 5 क्विंटल की सीमा रखी गई थी; वनस्पति की सीमा थोक व्यापारियों के लिए 150 क्विंटल और फुटकर व्यापारियों के लिए 5 क्विंटल थी।

स्टाकिस्टों को 15 दिन का समय दिया गया था, ताकि वे उस स्टाक को बेच सकें जो उनके पास इस आदेश के जारी होने की तारीख को आदेश में रखी गई सीमा से अधिक था। बाद में 14 अक्तूबर, 1977 को इसमें संशोधन किया गया, जिसके अनुसार विदेश से आयात किए जाने वाले खाने के तेलों को, निश्चित की गई स्टाक सीमा से निकाल दिया गया।

स्टाक नियंत्रण आदेश वास्तव में स्टाक किये गये माल को बाहर निकलवाने के लिए जारी किया गया था, क्योंकि विचार था कि व्यापारियों ने, इस आशा में माल भारी मात्रा में जमा कर रखा है कि मूल्य बढ़ेंगे। स्टाक की अधिकतम सीमा जानबूझकर इसलिए कम रखी गयी थी कि स्टाक किया हुआ माल जल्दी बाहर आ जाये, जिससे ये वस्तुएं आसानी से मिल सकें और मूल्य भी घटे। सरकार का इरादा था कि स्टाक किये हुए माल को बाहर निकलवाने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद निश्चित की गई सीमाओं में उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे और बड़े तथा छोटे खपत केन्द्रों के लिए अलग-अलग सीमाएं रखी जाएंगी।

इसी बीच, राज्य सरकारों सहित कई एजेन्सियों से अनेक आवेदन मिले हैं, जिनमें इस आदेश में संशोधन करने के सुझाव दिये गये हैं। इसके लिए मुख्य रूप से यही वजह दी गई है कि जो स्टाक सीमायें रखी गई हैं वे बहुत कम हैं। स्टाक नियंत्रण आदेश और साथ-साथ जारी किये गये सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश, की वैधता को 12 अक्तूबर को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सरकार यही चाहती थी कि स्टाक नियंत्रण आदेश में वह जो संशोधन करना चाहती है उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया जाने के बाद ही घोषित करे। किन्तु अभी तक उच्चतम न्यायालय में बहस जारी है और हो सकता है कि निर्णय देने में अभी कुछ समय और लग जाये। खरीफ की फसलें अभी बाजार में आनी शुरू हो गई हैं। इन परिस्थितियों में सरकार यह चाहती है कि वस्तुओं के उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो और साथ ही कुछ व्यापारियों को सप्लाई चैनल में बाधा डालने के लिए कोई बहाना नहीं मिले। इसीलिए सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी करने का निर्णय किया है,

जिसमें अधिक आबादी वाले केन्द्रों और अधिसूचित (नोटिफाइड) प्राथमिक मण्डियों के लिए स्टाक सीमाएं अधिक रखी हैं। इसके अलावा, तिलहनों के व्यापारियों और तिलहन तथा दाल मिल मालिकों पर भी स्टाक रखने की सीमाएं लागू की जा रही हैं। साथ ही खुदरा विक्रेताओं की राहत दी जा रही है। उनके लिए लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम स्टाक की मात्रा बढ़ाई जा रही है। यह आदेश आज से लागू हो जाएगा। नये आदेश की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) नये आदेश में दालों और वनस्पति सहित खाने के तेलों के अलावा खाद्य तिलहनों के लिए भी स्टाक सीमा रखी गई है।

(2) पहले के आदेश में यह व्यवस्था की गई थी कि दाल अथवा खाद्य तेलों के किसी भी व्यापारी, जिसके पास सभी दालों का 5 क्विंटल और/अथवा वनस्पति सहित सभी खाद्य तेलों का 5 क्विंटल से अधिक का स्टाक हो, को लाइसेंस लेना अनिवार्य था। नये आदेश में यह न्यूनतम स्टाक सीमा बढ़ाकर सभी दालों के लिए 10 क्विंटल कर दी गई है। इसी तरह सभी खाद्य तिलहनों के लिए न्यूनतम स्टाक सीमा 30 क्विंटल रखी गई है।

(3) नये आदेश में विभिन्न वर्गों के शहरों के लिए थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए अलग-अलग स्टाक सीमाएं रखी गई हैं। इस प्रयोजन के लिए, शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है—'क' वर्ग में वे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख और अधिक है, 'ख' वर्ग में वे शहर हैं जिनकी आबादी 3 लाख तथा अधिक है तथा वे शहर भी हैं जो राज्यों की राजधानियां हैं और 'ग' वर्ग के नगरों में सभी दूसरे शहर अथवा कस्बे आते हैं।

(4) इन तीनों वर्गों के शहरों के लिए रखी गई स्टाक सीमाएं नीचे दी गई हैं :—

शहरों का वर्गीकरण		इनके लिये स्टाक सीमा क्विंटलों में		
		थोक व्यापारी	फुटकर व्यापारी	
(1) दालें	'क' वर्ग के शहर	1000	50	सभी दालें सम्मिलित रूप में
	'ख' वर्ग के शहर	750	40	
	'ग' वर्ग के शहर	500	30	
(2) खाने के तेल, जिनमें हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल भी शामिल हैं	'क' वर्ग के शहर	800	25	खाने के सभी तेल जिन में हाइड्रोजनीकृत तेल भी शामिल है
	'ख' वर्ग के शहर	600	15	
	'ग' वर्ग के शहर	350	10	
(3) खाद्य तिलहन	'क' वर्ग के शहर	1500	100	
	'ख' वर्ग के शहर	1000	75	
	'ग' वर्ग के शहर	500	50	

(5) इस समय आयातित खाने के तेलों को दी हुई छूट विदेश से आयात किए जाने वाले खाद्य तिलहनों पर भी लागू होगी।

(6) नये आदेश में कमीशन एजेन्ट को दालों और खाद्य तिलहनों के लिए रखी गई अधिकतम सीमा से छूट दी गई है, बशर्ते कि वह माल प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन से अधिक तक माल को अपने पास न रखे। माल रखने के लिए यह समय सीमा इसलिये रखी

गई है कि बेरोक-टोक लेवा-बेची होती रहे, लेकिन यह छूट खाने के तेलों, जिनमें वनस्पति भी शामिल है, पर लागू नहीं होगी ।

(7) नये आदेश में प्राथमिक मण्डियों अर्थात् उन केन्द्रों, जहां किसान दालों और खाद्य तिलहनों की अपनी उपज पहली बार बेचते हैं वे थोक व्यापारियों के साथ विशेष बरताव किया गया है । इन मण्डी केन्द्रों में स्टाक सीमा वही होगी जो 'क' वर्ग के शहरों के लिए रखी गई है । इन मण्डियों की सूची संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की जानी है । यह छूट राज्य सरकारों द्वारा ऐसी मण्डियों की सूची जारी किये जाने के बाद ही लागू होगी।

(8) पहले वाले आदेश में उत्पादकों अर्थात् उन व्यक्तियों की जो दाल दलने या खाने के तेल निकालने का काम करते हैं, के लिए स्टाक सीमा नहीं रखी गई थी । उन्हें केवल यदि उनके पास नियत की गई सीमा से अधिक स्टाक हो, तो स्टाक की पाक्षिक विवरणियां (रिटर्नस) भेजनी होती थीं । नये आदेश से मिल मालिकों पर नियंत्रण बढ़ गया है । नयी व्यवस्था के अनुसार सरसों के तेल का कोई भी उत्पादक एक साथ उस मात्रा के 12वें भाग से अधिक तिलहन अपने स्टाक में नहीं रख सकेगा जो उसने अक्टूबर, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रयोग में लाई थी । मिल मालिक पिछले वर्ष के उत्पादन के 24 वें भाग (15 दिन के उत्पादन) से अधिक तैयार माल अर्थात् सरसों के तेल की मात्रा नहीं रख सकेगा। यही सीमायें दालों के मिल मालिकों पर भी लागू होंगी।

(9) जहां तक सरसों के तेल के अलावा अन्य खाने के तेल निकालने वाली मिलों का संबंध है, उनके लिए तिलहनों का स्टाक रखने की सीमा अक्तूबर, 1977 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रयोग में लाये गये तिलहनों का आठवां भाग रखी गई है । तैयार माल के स्टाक की मात्रा पिछले वर्ष के दौरान तैयार हुये माल के 12 वें भाग (एक मास के उत्पादन) से अधिक नहीं हो सकेगी ।

(10) ये नयी स्टाक सीमाएं 6 दिसम्बर से लागू होंगी । दूसरे शब्दों में जिन व्यापारियों के पास नियत सीमाओं से अधिक स्टाक है उन्हें उसे निकालने के लिए 15 दिन का अवसर मिलेगा, यदि अवधि उपरान्त, किसी व्यापारी के पास सीमा से अधिक स्टाक है तो वह अविलम्ब कलेक्टर को अपने पास रखे अतिरिक्त स्टाक की मात्रा की सूचना देगा । व्यापारी उस अतिरिक्त मात्रा का कलेक्टर द्वारा दिये जाने वाले निर्देश के अनुसार ही निपटान कर सकेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान के कारण जन हानि तथा फसलों और सम्पति को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य

Statement Re : Loss of Human Lives and Damage to Crops and Property due to Cyclon in Andhra Pradesh

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं बहुत ही खेद के साथ सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में हाल ही में आए समुद्री तूफान के कारण जन, धन तथा फसल की काफी क्षति हुई। श्रीमानजी आपको स्मरण होगा कि मैंने

लोक सभा तथा राज्य सभा में दिये गये अपने वक्तव्यों में यह स्पष्ट किया था। तमिलनाडु में आये तूफान के बारे में अनेक बार पूर्व उल्लेख किया गया था । यह सूचना भी दी गई थी कि 17-18 नवम्बर को तमिलनाडु में एक और भीष्ण तूफान आयेगा । मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और 19 नवम्बर 1977 को मछलीपटम और काकीनाडा में यह तूफान आया। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इससे नेल्लौर, प्रकासम, गुंटूर, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी के तटीय जिलों में तूफान के कारण भारी तबाही हुई । 19 नवम्बर को शाम साढे सात बजे बड़ी तेजी से तूफान आया जिसमें मछलीपटम और कृष्णा जिले के चिराला क्षेत्रों में बहुत ऊंची समुद्री लहरे उठने लगी । हवा की गति 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 19 तथा 20 नवम्बर, 1977 को प्रभारित क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई । गुंटूर जिले का रेपाली तालुक बुरी तरह से कट गया था । उस स्थान पर हेलीकापटर द्वारा सहायता पहुंचाई गई ।

इस समय राज्य सरकारों के मुख्यालयों से जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उनके अनुसार गुंटूर जिले में 628, कृष्णा जिले में 223, प्रकासम जिले में 23 और पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में प्रत्येक में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इसी प्रकार नेल्लौर जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। अब तक हताहत होने वालों की सख्या 885 तक पहुंच गई है । राज्य सरकार से यह सूचना भी प्राप्त हुई है राज्य में खड़ी तथा कटी हुई धान की फसलों को काफी हानि हुई है । घर तथा झोंपड़ियां बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हो गई हैं । गन्ने तम्बाकू तथा अन्य फसलों के बागानों की भी भारी हानि हुई है तथा भारी संख्या में पेड़ उखड़ गये हैं । यह भी आशंका है कि अकेले गुंटूर जिले में ही एक लाख से अधिक लोग बेघर हो गये होंगे । सड़क, रेल, टेलीफोन तथा डाक तार संचार सेवायें भी अवरुद्ध हो गई हैं । कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी तथा गुटूर जिलों में चल रहे राहत कार्यों की निरीक्षण का कार्य राज्य सरकार ने चार अधिकारियों को सौंप दिया है ।

मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्य मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आज हैदराबाद से चले हैं । यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि राज्य सरकार राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है तथा राज्य सरकार इसके बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है । बिजली के फेल हो जाने से उस क्षेत्र में काफी कठिनाई हो रही है । इसी प्रकार पीने के पानी पर भी उसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है । हमें यह भी पता चला है कि अब तक राज्य सरकार की स्थिति संतोषजनक है । स्थिति का पूर्ण सही अनुमान लगाने में कुछ समय लग जायेगा तथा इसके बाद ही राज्य सरकार अग्रिम सहायता की मांग केन्द्र सरकार के पास भेजेगी।

केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे हुये हैं तथा इसके बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये है । इधर हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण तथा उर्जा मंत्रालय को राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता देने के लिए सतर्क कर दिया है । अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य के लोगों की कठिनाईयों को कम करने के लिए हर सम्भव उपाय किया जा रहा है ।

नव-बौद्धों द्वारा अनशन के बारे में
Re : Fast by Neo-Buddhists

श्री वंसत साठे : (अकोला) श्रीमान जी बाबा साहेब अम्बेदकर को बौद्ध अनुयायियों द्वारा किये जा रहे अनशन से काफी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि आज उनके अनशन का सांतवां दिन है । उन लोगों की दशा काफी गंभीर है अतः हम चाहते हैं कि इस विषय पर सदन में व्यापक रूप से

चर्चा की जाये । इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में प्रर्याप्त रूप से चर्चा नहीं होगी । अतः मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह सभा को इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक घंटे या आधे घंटे का समय अवश्य दें । अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इसका इसके प्रति क्या रवैया है ?

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : नवबौद्धों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये महाराष्ट्र विधान सभा के उपाध्यक्ष भी अनशन कर रहे हैं । हमने इस संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है परन्तु अभी तक उन लोगों के अनशन के बारे में सभा में चर्चा की अनुमति नही दी गई है । यह काफी महत्वपूर्ण मामला है क्या सरकार को इस पर चर्चा की अनुमति दे देनी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता ने इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: मैंने इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना गत सप्ताह दी थी परन्तु अध्यक्ष महोदय अभी भी इसे एक दो दिन और लटकाना चाहते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि अब अनशन का सातवां दिन है । अतः अब सरकार को उनके बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिये ताकि उन लोगों को अनशन समाप्त करने के लिए राजी किया जा सके।

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अनशन चाहे उपाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसका महत्व हमारे लिए समान ही है । परन्तु वर्तमान अनशन किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा जिसका कि मैं तुरन्त समर्थन कर दूं । मेरी नव बौद्धों के नेताओं के साथ एक बार नहीं अपितु अनेक बार बातचीत हुई है । मैं सदन को यह स्पष्ट कर दूं कि समस्या यह है कि धर्मपरिवर्तन कर लेने के बाद यह लोग 20 वर्ष तक अनुसूचित जाति से बाहर रहे परन्तु अब वह चाहते हैं कि उन्हें अनुसूचित जाति का ही माना जाये । अब वह लोग अनुसूचित जाति में शामिल हो कर उन्हें उपलब्ध सुविधायें प्राप्त करना चाहते हैं, अतः इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्हें अनुसूचित जाति के माना जायें । मैंने इस सम्बन्ध में उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि मैं उन्हें पिछड़ी जाति के मानकर, उन्हें सभी उपलब्ध सुविधायें देने के प्रस्ताव पर तो विचार कर सकता हूं परन्तु अब उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्य स्वीकार करना बहुत कठिन है परन्तु मैं इस विषय पर उनके साथ बातचीत करने के लिए सदा ही तयार हूं। परन्तु इस प्रकार के दबाव के अन्तर्गत मैं कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूं ..... (**व्यवधान**)

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North) : Today we can discuss this issue and share the problem. I had been to see Mr. Gawai and Mr. Kumbare who were of the opinion that perhaps disussion has been closed, the issue has been closed. But now as per the statement of Prime Minister, the issue has not been closed, it is open for discussion. Now he has said that he is prepared to discuss it at any time. I hope the leader of the opposition will also agree to have a dialogue with them. We can presue those people to end the fast.

श्री सौगत राय : मैं समझता हूं कि यदि प्रधान मंत्री सदन में चर्चा के बाद उन लोगों से अपील करें तो सम्भवतः वह लोग अपना अनशन त्याग दें । ..... (**व्यवधान**)

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : हम इस विषय पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं ..... (**व्यवधान**)

श्री मोरारजी देसाई: यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस पर एक दो घंटे की चर्चा के बाद निर्णय किया जा सके । न ही यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिये उन्हें अनशन नहीं करना चाहिये था। .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हर बार ऐसा क्यों होता है ....

श्री यशवंत राव चव्हाण : जब प्रधान मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह मामला महत्वपूर्ण है तथा वह इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो फिर सभा को इस विषय पर चर्चा से क्यों वंचित किया जाता है ।

श्री मोरारजी देसाई : सभा में समस्या पर चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता तथा चर्चा के द्वारा समस्या का समाधान हो भी नहीं सकता ..... (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन (ईदुकी) : यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है तथा सम्भतः आपने इसी आधार पर ही इस विषय के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल प्रस्ताव देने वाले सदस्यों को ही चर्चा में भाग लेने दिया जाता है जबकि इस विषय पर सम्पूर्ण सदन भाग लेना चाहता है । अतः मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध है कि इस विषय पर अन्य सदस्यों को भी अपने विचार रखने का पूर्ण अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम ही है कि इसकी एक अलग प्रक्रिया है, यदि आप ठीक ढंग से सूचना देते, तो इस पर विचार किया जा सकता था

गृह मंत्री श्री चरण सिंह : यद्यपि प्रधानमंत्री ने अभी-अभी सदन को बतया है कि यह विषय कार्यसूची की मद्य 17 तथा 18 के अन्तर्गत, जिनका सम्बन्ध अनुसूचित जातियों से है, के अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है, परन्तु फिर भी यदि उस ओर के माननीय सदस्य चाहें तो मैं आज शाम को ही इसके बारे में वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं ।

श्री वंसत साठे : नहीं इससे काम नहीं चलेगा।

श्री सौगत राय : हमें आज ही मध्याह्न पश्चात् इस विषय पर एक घंटे की चर्चा करनी चाहिये । इसके बारे में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक दोनों पक्ष चर्चा के लिए सहमत नहीं हो जाते तब तक मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । गृह मंत्री महोदय क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं ?

श्री चरण सिंह : मैं केवल वक्तव्य दे सकता हूं । . . . (**व्यवधान**)

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उचित यही होगा यदि अध्यक्ष महोदय अपने विवेक का प्रयोग कर एक घंटे की चर्चा की अनुमति दे दें ताकि जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, वह भाग ले सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय किया है कि इस विषय पर मध्यान्ह पश्चात् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जायेगा ।

स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक

Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings), Bill

The State Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Janeshwar Mishra) : I on behalf of Shri H.N. Bahuguna beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for, in the public insterest, the acquisition and transfer of the right, title and insterest of the undertaking of Messers Smith, Stanistreet and Company Limited, Calcutta and for matters connected therewith or incidental thereto.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित में मैसर्स स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण तथा इससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Janeshwar Mishra : I introduce the Bill.

मैसर्स स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अध्यादेश, 1977 के बारे में वक्तव्य

Statement Re-Smith Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Janeshwar Mishra) : I, on behalf of Shri H.N. Bahuguna, place on the table an explanatory statement (Hindi and English Versions) giving reasons for immediate legislation by the Smith, Stanistreet & Co. Ltd (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance 1977.

ग्रेशम एण्ड क्रैवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अध्यादेश

Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नेंडीज): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों की और इन्जीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ग्रैशम एण्ड क्रैवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों और इन्जीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ग्रैशम एण्ड क्रैवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

Statement re. Smith Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री जार्ज फरनेंडीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मैती) : मैं मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अध्यादेश 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभापटल पर रखती हूं ।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

Payment of Bonus (Amendment) Bill

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

Statement Re. Payment of Bonus (Amendment) Ordinance

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

महाराष्ट्र के कतिपय क्षेत्रों में सूखे और अकाल की स्थिति

Shri Hari Shanker Mahale (Malegaon) : Sir, this year there was very little rain in Maharashtra as a result of which there is draught situation in the state now. In the districts like Marathwara, Nasik and Dhaulia, even the drinking water is not available and there is scarcity of fodder also. People are selling their cattles and are confronted with almost famine conditions. It is right time that Government should pay proper heed towards this situation and make every effort to provide them relief. The Central Government should give necessary help to the State Government for carrying out the relief works. A Committee should also be appointed by Central Government for supervising the works being done over there.

नई दिल्ली स्थित मिश्र के दूतावास पर फिलिस्तीनी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री दिनेश जोरदर : मैं नियम 377 के अधीन मिश्र के राष्ट्रपति की इजरायल यात्रा के विरुद्ध फिलिस्तीनी छात्रों द्वारा किये गये प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज का मामला उठाना चाहता हूं । हमें यह बताया गया है कि पुलिस ने छात्रों पर आक्रमण करने के लिए बंदूकों के कुंदों का भी उपयोग किया । 30 फिलस्तीनी छात्रों को चोटें आईं जिनमें से दो को हस्पताल में भर्ती किया गया । 10 फिलस्तीनी छात्र लापता है सम्भवतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ।

हम फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं । यदि फिलस्तीनी छात्र अपनी वैध मांगों और शिकायतों के लिए विरोध प्रकट करते हैं और यदि उन के साथ ऐसा वर्ताव किया जाता है तो अरब देशों तथा विश्व के अन्य भागों में क्या प्रतिक्रिया होगी ?

गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देकर यह स्पष्ट करना चाहिये कि फिलस्तीनियों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता द्वारा ध्यान आकर्षण के लिए दी गई सूचना को शाम 5.30 बजे लिया जायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये पदों पर उनकी नियुक्ति पर चर्चा

Motion Re-Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Discussion on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services Against Reserved Quota

श्री भाऊसाहिब थोरट (पंढरपुर) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का मैं समर्थन करता हूं । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को तो सरकार द्वारा अभी कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

इन जातियों के लिए शिक्षा की सुविधाएं बहुत ही अपर्याप्त हैं । प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या में 16% की कमी हुई है । प्राथमिक स्कूलों के छात्र माध्यमिक स्कूल के स्तर तक पहुंचते ही नहीं हैं और इस श्रेणी में 75% की कमी हुई है । इन जातियों के छात्रों के लिए जो माध्यमिक कक्षाओं में ही, आश्रम स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिये । प्राथमिक शिक्षा स्तर से लेकर कालेज स्तर तक उन्हें छात्र वृत्तियां दी जाये। इन बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

हरिजनों को जो भूमि दी गई थी उन्हें वापस लिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को पुनर्वास की जो सुविधाएं मिलनी चाहिये थीं उनसे भी उन्हें वंचित किया जा रहा है ।

यद्यपि सेवाओं में आरक्षण संबंधी नियम बने हुए हैं लेकिन उन्हें कार्यान्वित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता । इस संबंध में एक विशिष्ट विधान बनाया जाना चाहिये । जो अधिकारी आरक्षित कोटा नहीं भरते उन्हें दंडित किया जाना चाहिये ।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट पुलिस अधिकारी दर्ज ही नहीं करते । इन अत्याचारों की जांच के लिए एक अलग विभाग बनाया जाये । हरिजनों पर अत्याचार इस लिए किये जाते हैं क्योंकि हरिजनों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है ।

संविधान में परिवर्तन करके मंत्रीमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान रखे जाने चाहिये।

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 बजे तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2.10 बजे पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at ten minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें, प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षित किये गये पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा--जारी

Motion Re. Twentieth, Twenty First and Twenty Second Reports of Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes and Discussion on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services against reserved Quota.

Shri Durga Chand (Kangra) : Sir, we are considering the reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes after a lapse of seven years. The Government might have taken some action on the suggestions and recommendations made during this period. So it is desirable that alongwith the report, Government should have indicated which of the recommendations made in the reports have been implemented.

Here I particularly want to raise the question of Scheduled Tribes. There was reorganisation of the States in 1960 and some areas of Punjab were transferred to Himachal Pradesh. Gaddi and Goozar of old Himachal Pradesh were included in Scheduled Tribes but at the time of formation of bigger state of Himachal Pradesh, they were not treated as Scheduled Tribes and the concessions being availed of by them as Scheduled Tribes were withdrawn. It is not proper. The Government should, therefore, declare these people as Scheduled Castes and give them the benefits being given to Scheduled Castes.

Smilarly, people living in Kohar-Sahar in district Kangra and in Chankar area of Miandi district should also be treated as Scheduled Tribes.

The problems of Scheduled Tribes are varied. To solve these problems effectively, there should be a separate Commission only for Scheduled Tribes.

It is desirable that a Committee either of Members of Parliament or at any other level should be formed to see how much work has been done so far to improve the

economic condition of Harijans and backward classes. It should evaluate how much these people have benefited by various concessions given to them during the last 30 years.

There should be reservation and benefits given on the basis of economic backwardness and not on the basis of Community, Caste or Creed. There should be reservation for the people whose income does not exceed Rs. 500/-. All other concessions enjoyed by the Harijans should be extended to all backward people. In fact percentage should also be fixed for these backward classes.

It is strange that emergency has been supported at page 7 of one of these reports. A number of atrocities were committed harijans and tribals during the emergency. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes suffered most on account of family planning programme.

Shri R.L.P. Verma (Koderma) : The Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being neglected. It must be treated as a national problem.

It cannot be denied that today also, atrocities are being perpetuated on Harijans and their interests are being overlooked. It is good that Janta Government is trying to solve the problems in a new perspective and the Home Minister has assured to take concrete measurers in this regards.

Some atrocities were committed in Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and other states. The present capitalist set up and bureaucracy is responsible for it. The murders took place because upper strata of society did not want to see these people prosper and get a due place in society.

The condition of Scheduled Castes and Tribes is still deplorable. Even necessities of life are not available to these people. There is need to adopt a practical approach in this matter, if we really want to improve their lot. There is misutilisation of money allocated for the welfare of these people. Though there had been much talk through mass media about the work being done for these people, in fact, nothing substantial had been done for them.

The Government should ensure that the measures taken up for their welfare are properly implemented. The officers responsible for non-implementation of the measures should be taken to task.

There should be free education upto Graduate level for Harijans, Adivasis and books etc. should be given to them free of cost. School buildings should be constructed for this purpose on war footing. After education, one member of each family should be guaranteed proper employment.

Harijans-Adivasis are not getting pure water to drink, pure drinking water facilities should be provided as early as possible. Interviews for IAS services are urban-oriented and therefore these people are not selected therein. The criterion for selection should be Social economic and family status of Harijan-Adivasis candidates.

The lands distributed to these people are not cultivable. They should be made cultivable so that these people might make proper use of these pieces of land.

श्री पी० के० कोडियन (अट्टूर) : सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के के प्रति निर्मम रवैया अपनाया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के उपरान्त भी इन लोगों की दशा बहुत दयनीय है। उनके लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कई योजनाएं बनाई और काफी धन भी व्यय किया किन्तु उनके कुछ विशेष परिणाम नहीं निकले।

जिस मुख्य समस्या के कारण वे प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े रहने के लिए विवश रहे हैं, उसकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। वह समस्या इनकी आर्थिक पिछड़ेपन की है। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। अतः उनकी आर्थिक समस्याओं जैसे भूमि, व्यवसाय, समुचित मजूरी इत्यादि पर अधिक ध्यान

देना आवश्यक है। जब तक सरकार उनकी इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तब तक जमींदारों तथा अन्य लोगों द्वारा उनका शोषण जारी रहेगा।

सरकार के अनुमान से समूचे देश में इन लोगों के बीच लगभग 10 लाख एकड़ भूमि बांटी गई है। किन्तु वास्तव में इन लोगों को कितनी भूमि मिली है। इसका कोई सही अनुमान नहीं है। इतना ही नहीं, जो भूमि इन लोगों में बांटी गई है। उसे जमींदारी तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले लोग इनसे छीन रहे हैं। ऐसा देश के कई भागों में ही हो रहा है। उन्हें अपनी भूमि में कृषि कार्य करने से रोका जाता है और जब उनकी फ़सल पक कर तैयार हो जाती है तो जमींदार जबरदस्ती काट लेते हैं। उन पर होने वाले अत्याचारों का यही मुख्य कारण है।

जहां तक मजूरी का प्रश्न है, सरकार ने खेतिहर मजदूरों की मजूरी बढ़ा दी है लेकिन कोई भी उन्हें उसके अनुरूप मजूरी नहीं दे रहा। न्यूनतम मजूरी को लागू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिससे कि इन समस्याओं का अल्पावधि में समाधान हो सके।

*श्री के० कुन्हम्बु (ओतापलम) : हमारे हरिजन लोगों के समक्ष सबसे विकट प्रश्न यह है कि क्या जनता सरकार देश के करोड़ों हरिजनों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना चाहती है। और क्या वह ऐसा करने के लिए सक्षम है। हमारे देश में चल रही दमनकारी सामाजिक नीति ने हरिजनों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से तबाह कर दिया है। जब तक इस दमनकारी नीति को नहीं रोका जाता तब तक इस देश के हरिजन कभी भी सम्मान पूर्वक जीवन नहीं बिता सकते।

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 में भूतपूर्व सरकार का विचार हरिजनों के कल्याण के लिए 103 करोड़ रुपये व्यय करने का था। इसके लिए 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई लेकिन सरकार 50 करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं कर सकी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कथनी तथा करनी में कितना अन्तर था। इस सरकार को हरिजनों के कल्याण के लिए निर्धारित की गई राशि को व्ययगत नहीं होने देना चाहिए।

हरिजनों के कल्याण के लिए जो भी योजना बनाई जाये, उसमें शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यद्यपि 65 विश्वविद्यालयों में हरिजनों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का उपबन्ध है, तथापि उनके लिए 10 प्रतिशत स्थान भी आरक्षित नहीं किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसे विश्वविद्यालयों को वार्षिक अनुदान तथा अन्य वित्तीय सहायता देनी बन्द कर देनी चाहिए जो कि आरक्षण के उपबन्धों का पालन नहीं करते।

सरकार ने निर्णय किया है कि हरिजन छात्रों को परीक्षाओं में 5 प्रतिशत अंकों की रियायत दी जाये। लेकिन 61 विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा संस्थानों का सम्बन्ध है, इनमें प्रथम श्रेणी में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के बच्चों की प्रतिशतता 60 है और आदिवासी बच्चों की प्रतिशतता 53 है, किन्तु पांचवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते आधे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उन कारणों का पता लगाना चाहिए। जिनकी वजह से इतनी अधिक संख्या में बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं।

हमारे देश में संवैधानिक उपबन्धों के द्वारा अस्पृश्यता निवारण किए 30 वर्ष व्ययतीत हो गये हैं। लेकिन क्या कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति यह बता सकता है कि किसी एक गांव में भी

*मूल मलयालम में। (Original in Malayalam.)

छुआछूत नहीं है। ऐसी स्थिति में छूआ-छूत समाप्त करने के लिए इस वर्ष 1977-78 के बजट में केवल 15 लाख रुपया आवंटित किया गया है, जो बहुत कम है। इससे स्पष्टत: पता लगता है कि जनता सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए कोई रुचि नहीं है।

हरिजनों की दशा केवल उनका आर्थिक विकास करने से ही सुधर सकती है। राज्य सरकारों को भूमि सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु तेज कदम उठाने के लिए अनुदेश देने होंगे। राज्य सरकारों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हरिजनों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि और गृह खण्ड दिए जायें। इसी तरह हरिजनों और आदिवासियों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाये जायें। लाखों खेतीहर मजदूरों को जो अधिकांशत: हरिजन और आदिवासी ही होते हैं, न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

हमारे देश में लगभग 17 सैनिक स्कूल हैं । लेकिन किसी स्कूल में हरिजनों के लिए आरक्षण नहीं किया जाता है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

केरल सरकार ने अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचार करने के लिए एक योजना बनाई है। केन्द्रीय सरकार को इसमें सहायता देनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

Shri R.L. Kureel (Mohanlalganj) : It is regrettable that the previous Government did not do anything to implement the recommendations made by the Commission in this report. This problem should be treated as a national problem. It is hoped that the present Government will deal it on war footings.

In every state, the Home Minister should be appointed from SC/ST Community. Two office bearers, one from SC and other from ST should be there in every political party.

Full quota for reservation in Class I and Class II Services should invariably be filled. Officers who failed to do so should be taken to task.

50 percent reservation should be there for SC/ST in police services so that atrocities on harijans could be reduced. There should be a separate minister for SC/ST. There is no representation of SC/ST in judicial services. It should be seen that these people get due representation in these services.

50 percent permits and licences should be given to the SC/ST with a view to improve their economic plight.

It is a national problem and if want to improve the lot of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we will have to improve the financial conditions of these people. We shall have to make proper arrangement for their education. The amount of scholarship should be doubled.

Scheduled Tribes and Scheduled Castes should be given reasonable representation in the cabinet. There was no Minister in the Cabinet belonging to SC/ST. To say that Shri Jagjivan Ram represented these people in the Cabinet is not correct. He is not a Harijan leader but a national leader. In the policy making body it is necessary to give them proper representation.

Shri H.L. Patwari (Mangaldoi) : Sir, during the last 30 years, no efforts have been made to create a climate in which Scheduled Caste people could feel a sense of brotherhood and equality with other people in the country. Therefore, we have to give topmost priority to the problems of Harijans and Adivasis. Measures have to be taken to create an impression among them that justice will be done to them. They have been given some rights but they are simply on paper.

No doubt weaker section enjoys protection under Article 46 but in practice they do not get it.

So far we have not tried to tackle the problem in a scientific way. The grants given for tribal welfare have been utilised for other purposes. The problems of Harijans and Adivasis should not be treated as problems of minorities.

We have to think about rural population also. The rural people are becoming slaves of urban people. Therefore a high-powered non-official Committee of this house should be set up to analyse the problems of villagers because Harijans and Adivasis live mostly in villages.

We cannot solve this problem only by showing lip sympathy. We will have to sit with those people and discuss their problems we and harijans are not different people. Only with this attitude we will be able to tackle the problem effectively.

Shri Chhabiram Argal (Morena) : Sir, the problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is a national problem and it is the duty of the whole nation to solve this problem. First of all we will have to abolish economic and social disparities.

For the last 30 years the grants given in the name of Scheduled Castes and Scheduled tribes have been absorbed by big white elephants.

Our constitution provides certain facilities and concessions to Scheduled Castes and Scheduled Tribes but actually they have been denied to them. Therefore a separate Ministry under an independent Minister should be created at the Central level to deal with the problems of SC/ST as has been done in states. Nothing has been done for these people during the last 30 years and therefore, the present Janata Party Government should immediately take a decision in this regard.

The Harijans and Adivasis should be allowed to contest from other places other than the reserved seats. This Caste system should be abolished in practice and death penalty may be provided for those who practice it.

Reserved quotas are not being filled up in medical and certain other departments SC/ST people are claimed promotion saying that their C.R. is bad.

Land should be distributed among harijans and adivasis.

The Scheduled Caste people must get adequate representation in Rajya Sabha and State Legislative Councils. In the same way they should also get adequate representation in Class I services. So far they have been ignored.

Inter-Caste marriages should be encouraged in order to eliminate caste system.

Shri Bhagat Ram (Phillaur) : Sir, it is a matter of regret that we are discussing the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes after six years. The Congress Government had been shedding crocodile tears for Scheduled Castes and they have done nothing for them during the last 30 years.

A study of these reports revealed that they are incomplete and do not give adequate information. The main problem of Harijans is economic. Unless their economic standard is raised atrocities against them will continue. In these reports it has been stated that whatever land reform legislations were enacted, they have not been implimented in actual practice. The distribution of land among Harijans is simply on paper. Therefore these lands should be recovered from land lords and actual possession been given to Scheduled Caste people. Similarly the Minimum Wages Act should be enforced for them and implementation machinery should also be set up to ensure that atrocities are not committed against Harijans.

A high power Commission should be set up to enquire into the atrocities committed against Harijans. I hope the new Government will take up the matter seriously and the report will be presented every year regularly.

श्री अमर राय प्रधान (कूच-बिहार) : गत 30 वर्षों से सरकार के उपेक्षापूर्ण और गलत रवैये के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ है। हमें स्वामी विवेकानन्द का यह कथन नहीं भूलना चाहिये कि मोची, मेहतर, सभी हमारा खून हैं और हमारे भाई हैं। आज इन जातियों के लोगों में इतनी अधिक निराशा है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर हम 7 वर्ष के बाद विचार कर रहे हैं। शव परीक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। छूआ-छूत की समस्या दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही है।

बेलछी में हुए जघन्य अपराध के तुरन्त बाद धर्मपुरा के 6 हरिजनों की निर्मम हत्या का समाचार आया है। आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के चीना अनीगली गांव में 23 जुलाई को एक हरिजन की निर्मम हत्या कर दी गई और लगभग 30 हरिजनों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया।

गत 30 वर्षों में नक्सलबाड़ी क्षेत्र में हजारों हरिजनों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और उन्होंने नेपाल में जाकर शरण ली है। अतः हमें इस समस्या पर गहराई से विचार करना चाहिये। उन पर हो रहे अत्याचारों तथा हत्याओं के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये।

यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है। इन गरीब, पिछड़े दलित अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों की दुर्दशा और विपत्ति का मुख्य कारण देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जब तक उनका आर्थिक शोषण होगा और वर्गगत निहित स्वार्थ रहेगा, तब तक गरीब हरिजनों के साथ सामाजिक न्याय होना सम्भव नहीं है।

हमें भूमि वितरण कार्य को अधिक महत्व देना चाहिये। 'खेती जोतने वाले की' इस नारे को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिये। भूमि वितरण कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाये। केवल विधि बनाना ही आवश्यक नहीं उसका कार्यान्वयन अनिवार्य है। जातिवाद और अंध धार्मिकता तुरन्त समाप्त की जाये।

श्री एल० के० डोले (लखीमपुर) : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है और इस पर एकाकीपन से चर्चा नहीं की जानी चाहिये। तभी इस समस्या का वास्तविक हल निकल सकेगा। इस समस्या को राजनीतिक और भावात्मक बना दिया गया है जिससे वातावरण और लक्ष्य दूषित हो गया है।

आज भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा शोचनीय है। कांग्रेस सरकार ने पिछले 30 वर्षों में उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसे तो 300 वर्षों तक समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आपातकालीन स्थिति के दौरान लागू 20-सूत्रीय कार्यक्रम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जनता पार्टी का सत्तारूढ़ होना कितना ही शुभ हो लेकिन हम देखते हैं कि ये उन सब कामों को उल्टा कर रहे हैं जो 30 सालों के दौरान कांग्रेस ने किये थे (**व्यवधान**) मैं अनुभव करता हूं कि यह सभा कबर खोदने के काम में व्यस्त रही है।

आसाम में सहकारिता प्रणाली लागू की गयी है। वहां वसूली तथा वितरण का काम सहकारी संस्थाओं के द्वारा ही होता रहा है। अभी हाल में सरकार ने जोनल प्रणाली समाप्त कर दी है, जिसके बारे में हमने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री मुण्डा बोलेंगे।

Shri Govinda Munda (Keonjhar) : It is regrettable that report of the Scheduled Caste Commissioner is being taken up for discussion in the house after 5 years. It is the duty of the Central Government to solve the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Two types of projects namely T.D.A. and I.T.D.P. are being implemented for Scheduled Tribes. I belong to Orissa, where T.D.A. scheme is being implemented. Most of the people cover their livlihood from Podu cultivation. The Central Government is going to stop podu cultivation, which is causing a lot of resentment among the people.

The Government, Prime Minister or Home Minister are not aware of the problems of the Scheduled Tribes. Difficulty is that nobody is conversant with their social customs and economic position.

There should be a representative of tribal areas in the Commission and there should be an independent Secretary for tribals in each state. A Committee should be formed to find out as to how much amount was spent on Scheduled Tribes upto 5th five year plan and whether there was any increase in their per capita income.

Classless society is not possible so far as feelings of castes and races are there. We have, therefore, to do away with the caste system. Political consideration should not decide the issue of schemes meant for the welfare of Scheduled castes and Scheduled Tribes. It must be treated as a national issue.

Special attention should be paid towards communication, economic and educational problems of the Tribal areas.

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : जिस ढंग से ये रिपोर्टें सभा में पेश की जाती हैं अथवा उन पर चर्चा होती है, उसकी अनेक सदस्यों ने आलोचना की है। वास्तव में इन रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ये रिपोर्टें पहली सरकार की प्रस्तुत की गयी थीं और इस सरकार ने इन्हें चर्चा के लिये सभा में पेश किया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे इन रिपोर्टों को क्रियान्वित करना चाहते हैं।

Shri Charan Singh : This is fault of the former Government, not this Government.

श्री शक्ति कुमार सरकार : मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि इन रिपोर्टों को उचित महत्व नहीं दिया जाता इन्हें उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता।

हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति आयुक्त के पद की कोई आवश्यकता नहीं।

हमने पहली सरकार से भी अनुरोध किया था कि उप-आयुक्त के पदों को पुनः गठित किया जाये। लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार के छः पदों को पुनः गठित किया जाये। गृह मंत्री से मेरा यह एक विनम्र आग्रह है। वे कृषि और गरीबी की सब समस्याओं को जानते हैं। वे हमारी कठिनाइयों को भी जानते हैं। लेकिन इस मामले में मेरा उनसे मतभेद है।

मैं इस हेतु एक पृथक मंत्रालय के विरुद्ध हूं। इससे अनेक समस्यायें पैदा हो जायेंगी।

अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के मामले में जो भ्रष्टाचार होता है, वह बन्द किया जाना चाहिये। ऐसा अधिकारियों की सांठगांठ से होता है। इसकी गम्भीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिये।

बौद्धों को भी अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के समान समझा जाना चाहिये। आप इस मांग पर गम्भीरता से ध्यान दें।

Home Minister (Shri Charan Singh) : A number of good suggestions have been given by the non-members during the cause discussion. I want to assure the house that Government will pay necessary attention towards these suggestions.

I agree that these reports should have been presented in the house much earlier. The former Government is responsible for not presenting these reports in time.

This problem has been engaging the attention of the Government for the last so many years. We are not saying that they did nothing in this direction. They did a lot and much more remained to be done.

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुये
Shri Dhirendranath Basu in the Chair]

All are aware of this problem. Saints and Sages. Social reformers, religious teachers and political leaders like Mahatma Gandhi Championed the cause of this section of the society. The caste system based on birth has been doing inclaculable harm to the healthy growth of Hindu Society and its culture. We can not progress till we practise this caste system based on birth. It will not be too much to say that the very caste system has been the main cause of our slavery and that we could not face the enemy collectively. There can be no two opinions about the incalculable harm done by the caste system. This evil can not be removed with law only. A good deal of publicity has to be made. It is the duty of the leaders to educate people on this subject. We have to fight this battle on both fronts because mere excutive orders will be insufficient to bring about a solution to their problem.

There is indespread resentment on the question of non-fulfilment of quota reserved for scheduled castes and Scheduled tribes. There was 15 to 16 percent of literacy in the country at the time of independence. How many harijans were educated ? In the past efforts have been made to educate them, yet there is still a great dearth of competent qualified persons among them to hold good posts. With the passage of time their number as well as percentage has been gradually increasing. 278 class I officers from among the harijans were taken in the service of Government of India in 1964 and this number rose to 1287 in 1976. 41 Class I officers from among the harijans were taken in the technical services of Government of India and this number rose to 287 in 1977. In the case of Class II Services this number rose from 799 to 2540. The number in case of Class III services rose from 87510 to 170640. Much has been done and much more remains to be done in this direction. Their number and percentage in the services is gradually increasing. We are making efforts to increase this number and percentage.

I am not having the figures of technically qualified persons. You can not being that technically qualified persons are not available among the harijans.

Adequate representation should be given to Harijans in the Ministry. There should be provision in the Constitution in this regard.

Harijans are being recruited in the public sector. Reservation for them in the public sector was made from 1969. On Ist January, 1972 there were 256 Class I officers belonging to scheduled Castes in public undertakings ; in 1976 this number rose to 1069. In Class II in 1972 there were 803 officers and in 1976 this number rose to 1758. In Class III there were 34,179 officers in 1972 and 89,958 in 1976.

It can be said that the pace of giving more representation to these people in services is not as fast as it should be. But it will be wrong to say that nothing has been done in this regard. The fact is that much is being done and I am in full agreement with the Members that more should be done.

So far as education is concerned, I have figures with me. In our Country expansion of education has not been as fast as it should have been Literacy is hardly 30 to 32 per cent. Still 65 or 66 per cent people in the country are un-educated today. Out of

63 crores of people 42 crores people are illiterate. The Congress Government had not paid due attention to the expansion of education. No body can deny the fact that Harijans have also suffered in the matter of education.

Our Government is formulating a scheme for adult literacy. But any Government alone can not remove illiteracy. Students and Voluntary organisations can help a lot in this programme.

There are complaints that Harijans are being evicted from land. This should not happen. We have sent instructions to State Governments that there should be no evictions from land already given to Harijans. We can not take any action in this regard. We can give only advice to state Governments in this matter. We have repeatedly sent letters to them.

Whenever elections were held in the past, the Congress party used to Convene Mino rities Conference and Scheduled Castes Conference in order to make political Capital. (*interruption*).

Right from 1968, there was much talk that land will be distributed among the Harijans and other backward people but nothing has been done. Only 35 or 36 lakh acres of land has so far been distributed,.. (*interruption*). During the Congress regime temptations were given to farmers for simply obtaining vote from them..(*interruption*). All those big talks were made only for votes.. (*interruptions*). The Hon. members have been expressing their views for the last 5 days. Now kindly listen me peacefully.. (*interruption*)

Our land is limited and population is increasing. The only way to tackle the problem of unemployed youth is creation of more and more non-agricultural occupations. The Resolution passed by the working Committee of the Janata Party in this regard is the only way out. This will benefit both the Harijans and non-Harijans. Land should be allotted to more people. But allotment of land alone will not solve the problem.

The Government has issued orders to give loans to Harijans at a much lower interest for agricultural purposes and setting up industries. Where as non-Harijans will get loans at the rate of 9 to 11 per cent interest. For Harijans it will be only 4 per cent.

As regards the question of atrocities, these are Crimes being Committed in our Society. Non-Harijans are Committing Crimes against Harijans and there are also instances here and there of Harijans Committing Crimes against Non-Harijans. There is no doubt that the strong always Commits atrocities on the weak in a society.

Shri Nathu Singh : Maximum atrocities have been Committed in Maharashtra (*interruption*).

Shri Hhsan Jafari (Ahemadabad) : But the Home Minister is accusing Congress for these all Crimes.. (*interruption*).

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन के दौरान अधिक हरिजनों की हत्या हुई है। यह कोई उत्तर नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सब समझ सकते हैं (**व्यवधान**) 5.30 बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी। (**व्यवधान**) कोई भी बात रिकार्ड मत कीजिए ------(**व्यवधान**)

प्रो० दिलीप चौधरी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है: जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो विपक्ष के इतने सदस्य व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**) कोई भी बात रिकार्ड में मत रखिये (**व्यवधान**)

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : It is wrong to say that atrocities have increased after the 30th June this year. If there has been increase in the number of atrocities, it is just because of Congress. You may say it is wrong. Please listen me silently (*interruption*). But whatever atrocities are being Committed should also not be there (*interruption*).

In no Society crimes have been completely eliminated. Even in advanced and industrialised countries Crimes are Committed. Crimes have not increased in our Country. It is wrong to say that Crimes are increasing and Janata Party is responsible for it.

This problem is a serious one. It is the greatest blot on the fair name of our Society. Centuries after centuries there were revolts against the injustice being done to Harijans. Religions leaders and social reformers have made efforts to remove these injustices. We should give up prejudices and think camly as to what steps should be taken to tackle this problem.

श्री सी० एम० विश्वनाथन (तिरूपत्तूर) : जनता शासन में भी धर्मपुर में हरिजनों की हत्या के मामले हुए हैं। परन्तु गृह राज्य मंत्री ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया। मंत्री महोदय इस बारे में उत्तर दें।

Shri Charan Singh : Please send your question. I shall give a reply.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब स्थानापन्न प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 24 प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 26 प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।
सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha devided

पक्ष में Ayes 29

विपक्ष में Noes 61

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कोडियान का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 रखा गया ।

The motion was put by the speaker.

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes 31
विपक्ष में Noes 71

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० कपूर, श्री वी० सी० काम्बले, श्री ए० के० राय उपस्थित नहीं हैं। उनके स्थानापन्न अस्वीकृत माने जाते हैं।

तमिल नाडु तथा आन्ध्र प्रदेश को तत्काल राहत पहुंचाने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. EMERGENCY RELIEF TO TAMIL NADU AND ANDHRA PRADESH

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सभा को ज्ञात है कि आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में भयंकर समुद्री तूफ़ान आया है, जिसके कारण इन दोनों राज्यों के कुछ जिलों में जन-धन की भयंकर तबाही हुई है। केन्द्रीय सरकार इन दोनों राज्यों की समुचित वित्तीय सहायता करना चाहती है। फिलहाल तत्काल सहायता देने के लिए दोनों राज्यों को पांच-पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

आशा है कि संकट की इस घड़ी में सभी सदस्यगण उन लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने में मेरा साथ देंगे ।

जहां तक पांडिचेरी तथा अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, हमें उनसे कोई अनुरोध या सूचना नहीं मिली है... (व्यवधान) हम पांडिचेरी से रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं... (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मंत्री जी ने अनावश्यक वक्तव्य दिया है। गत वर्ष जब केरल में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध के बगैर ही तत्काल एक करोड़ रुपये दे दिए थे... (व्यवधान)

श्री सी० एन० विश्वनाथन : पांडिचेरी भी इस तूफान से प्रभावित हुआ है । किन्तु उन्हें कोई धन-राशि नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने बताया है कि हम वहां से रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं... (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : वहां के लिए तत्काल 1 करोड़ रुपये की धनराशि देने की घोषणा कीजिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नव-बौद्धों के लिये संरक्षण के बारे में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के तीन नेताओं द्वारा कथित अनशन

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए उनसे अनुरोध करता हूं :

"दिल्ली में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के तीन नेताओं द्वारा नव-बौद्धों के लिए संरक्षण के बारे में अपनी मांगों के अनुसरण में अनिश्चित काल के लिए अनशन का समाचार।"

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : नई दिल्ली में अनशन कर रहे रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं की मुख्य मांग संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को प्राप्त सभी संरक्षण नव-बौद्धों को भी दिए जाने की है।

अनुसूचित जातियां सामाजिक भेदभाव की शिकार हैं और वे अभी भी घोर गरीबी और अस्पृश्यता से ग्रस्त हैं। निम्न सामाजिक स्तर अस्पृश्यता अथवा जन्म के आधार पर समाज द्वारा किसी को उच्च या निम्न मानना समस्या का मूल है। नव-बौद्धों ने अपना धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया क्योंकि यह समाज अस्पृश्यता के कलंक से और जाति के आधार पर उच्च और नीच से बरी है। इसलिए वे किसी भी तर्क से अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता के आधार पर प्राप्त, रियायतों के अधिकारी नहीं हैं। जहां तक गरीबी का सम्बन्ध है दो-तिहाई जनता गरीब है और केवल इसी आधार पर आरक्षण नहीं किया जा सकता अन्यथा यह अधिकतर जनसंख्या को देना होगा।

यद्यपि वे किसी भी रियायत के अधिकारी नहीं हैं, महाराष्ट्र सरकार ने नव-बौद्धों को नौकरियों में आरक्षण उन्हें पिछड़ी जाति के रूप में मानकर दे रही है। केन्द्रीय सरकार ने भी अनेकों रियायतें दी हैं यथा :—

(एक) केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली अनुसूचित जातियों के बालिका होस्टल योजना में बालिकाओं को होस्टल में भर्ती करने की अनुमति।

(दो) अनुसूचित जातियों/जनजातियों को विदेशी छात्रवृत्तियां दिये जाने की राष्ट्रीय योजना में प्रतिवर्ष एक स्थान नव-बौद्ध के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(तीन) नव-बौद्धों के लिए कार्य करने वाला एक अखिल भारतीय संस्था को स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है।

(चार) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रशिक्षण केन्द्र में दाखिला देने की अनुमति।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अनुसूचित जातियों से अछूतों का बौद्ध धर्म में परिवर्तन के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया जाना चाहिये। जब तक इस विशिष्ट मुद्दे को समझा नहीं जाता तब तक आप इस प्रश्न को समझ नहीं सकते।

धर्म परिवर्तन का प्रश्न एक नैतिक और सांस्कृतिक समस्या है। स्वर्गीय श्री अम्बेदकर ने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने की अपील की थी। लाखों लोगों ने उनके कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उनके बौद्ध धर्म स्वीकार करने से उनकी सभी कठिनाइयां दूर हो गई। अतः आवश्यक है कि इस मामले पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। इस सम्बन्ध में उदारतापूर्वक और रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिये। यद्यपि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है तथापि आज भी वे वैसे ही गरीब है, वे सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें वैसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मामले पर विस्तृत रूप से विचार करना चाहिये। अतः हमें उनकी सहायता करनी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार ने 1960 में जो कुछ किया वही काम भारत सरकार द्वारा अब किया जाना चाहिये। 1971 में केन्द्रीय सरकार ने उनके लिये छात्रवृत्तियां, शिक्षा नीति आदि के बारे में निर्णय लिया था। वह निर्णय इस प्रकार था :

"सरकार ने मामले पर गम्भीरता से विचार किया है। उनका विचार है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले अनुसूचित जातियों के लोग अभी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अतः यह निर्णय किया गया है कि बौद्ध धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति या जिसके पूर्वज किसी समय अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित थे भारत सरकार की मट्रिक के बाद छात्रवृत्ति का पात्र होगा।"

केन्द्र सरकार ने यह माना है कि उनकी कुछ कठिनाइयां हैं और वे दूर की जानी चाहियें। यह मुख्य प्रश्न है। क्या वर्तमान केन्द्रीय सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिये तैयार है? मैं सिफारिश करता हूं कि उन्हें सेवाओं में उनका हिस्सा और सेवाओं में आरक्षण मिले।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार मानने को तैयार है कि नव-बौद्धों की कोई समस्या है और वह उस पर विचार करेगी ताकि हम रिपब्लिकन पार्टी के तीन नेताओं श्री गवई, श्री अरुमुम और श्री कुम्भारे और कांग्रेस के श्री राजभोज को अनशन तोड़ने के लिए कह सकें। वे लाखों लोगों की ओर से कष्ट उठा रहे हैं। यह किसी एक राज्य का मामला नहीं है। नव-बौद्ध सारे देश में फैले हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार का रुख इस समस्या के प्रति क्या है? क्या वह इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेंगी कि नव-बौद्धों को वह सब कुछ मिलेगा जो इस समय कानूनी तौर पर उन्हें नहीं दिया जा रहा है। मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

Shri Charan Singh : The hon. Member accepted that they have got all facilities but for two namely they have got no reservation in Central Government services whereas they got it in States and secondly they have not got reservation in legislature. The hon. Member says that they do not want reservation in Legislature.

Lakhs of people adopted Buddhism on their own because they thought that there is no social discrimination. They did it intentionally. Similarly, many other people also changed their religion. If we make certain reservation for neo-Buddhists, then we will have adopt same criterion for all these persons and it will lead to many complications. It is a good thing that they do not want reservation in Legislature. Similarly, they should not expect any reservation in Central Government services also. Moreover, there is no need for doing so.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : क्या सरकार इस समस्या पर नये सिरे से विचार करने के लिए तैयार है? मैं हां या न में उत्तर चाहता हूं।

श्री चरण सिंह : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : गत 7 दिनों से अनशन कर रहे व्यक्तियों ने निम्नलिखित तीन मांगें प्रस्तुत की हैं :—

(1) बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों को अनुसूचित जातियों के समान सभी संवधानिक संरक्षण;

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बौद्धों के लिये सेवा के अधिकारों के संरक्षण के लिये केन्द्रीय कानून;

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बौद्धों को अत्याचारों से बचाने के लिये कड़ा केन्द्रीय कानून।

विरोधी पक्ष के नेता ने सही कहा है कि केवल धर्म परिवर्तन से अनुसूचित जातियों के लोगों का स्तर नहीं बदल गया। 1971 में सरकार ने स्थिति पर विचार किया और यह विचार व्यक्त किया कि

बौद्ध धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जातियों के लोग अभी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि केवल बौद्ध धर्म स्वीकार करने से ही उनका सामाजिक स्तर नहीं बदल जाता।

अन्य दोनों बातों के बारे में गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सेवा के अधिकारों के संरक्षण के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

कुछ समय पूर्व गृह मंत्री ने सभा में बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के 15 प्रतिशत हैं जबकि अभी तक 6 प्रतिशत पूरा हुआ है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के लिये 7.5 प्रतिशत में से केवल 0.60 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो पाई है। मैं इन दोनों मामलों में स्थिति जानना चाहता हूं।

Shri Charan Singh : Most of the neo-Buddhists adopted Buddhism before formation of the Constitution. Supposing ten lakhs non-Harijans adopt Buddhism now, will they be given reservation and if there are Harijans and Non-Harijans in Buddhism also, Harijans will not be benefited.

Shri Ahsan Jafri (Ahmedabad) : I am sorry to say that nothing has been said about the persons who are on hunger strike for the cause of backward sections of the society. The hon. Minister has said that after adopting Buddhism they do not remain as Harijans. It is wrong to say so. They adopted Buddhism becasue they do not get equal Status in the Society and maltreatment is meted out to them. If the Janata Government have some sympathy for them they should take certain positive steps to solve their problems.

Shri Charan Singh : I have got full sympathy for them. Government are prepared to solve their difficulties, but not under the pressure of strikes and all that.

They adopted Buddhism and gave up the facilities available to Harijans intentionally. They did not lay condition at the time of conversion. Reservations made for Harijans were under some sort of compulsion. If they are extended, many problems will crop up.

श्री तुलसीदास दासप्पा : (मैसूर) : डा० अम्बेदकर द्वारा हिन्दू धर्म को छोड़ने और बौद्ध धर्म को अपनाने के विशिष्ट कारण थे। ये लोग अनशन क्यों कर रहे हैं। सरकार ने नव-बौद्धों की समस्याओं को समझा ही नहीं है। हम केवल यह जनना चाहते हैं कि क्या सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के लिये तैयार है। हम यह चाहते हैं कि वे अनशन कर रहे नेताओं से अनशन तोड़ने की अपील करे और यह जानने का प्रयास करें कि उनकी शिकायतें क्या हैं ? उन्होंने कोई राजनीतिक पक्षपात के लिये मांग नहीं की। उन्होंने शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सेवा की गारंटी की मांग की है और हम इन प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमने अनुच्छेद 341 के अधीन हमने उन लोगों को संरक्षण दिया है जिन्होंने अपना धर्म अनुसूचित जातियों से ईसाई धर्म स्वीकार किया है। मैं गृह मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार अनशन कर रहे नेताओं से अनशन तोड़ने के लिये अपील करेगी और यह जानने का प्रयास करेगी कि उनकी वास्तविक शिकायतें क्या हैं।

Shri Charan Singh : Government have an open mind to listen to their problems.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : गृह मंत्री स्थिति की गम्भीरता को महसूस नहीं करते। इस वर्ष 14 अक्तूबर को समूचे देश में रिपब्लिकन पार्टी के एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के लिये

स्वयं को पेश किया था। 14 नवम्बर से तीन नेताओं ने अनशन शुरू किया है और आज से राज्य सभा के एक भूतपूर्व सदस्य ने सेन्ट्रल हाल में अनशन आरम्भ कर दिया है। उनकी अभी मुझे सूचना मिली है कि रिपब्लिकन पार्टी के 1000 स्वयं सेवकों ने प्रधान-मंत्री के निवास पर अपने आप को गिरफ्तारी के लिये पेश किया है। दलित लोगों के इन प्रयासों के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं गृह मंत्री के इस तर्क के साथ सहमत नहीं हूं कि वे अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति हिन्दुओं को दी जाने वाली सुविधाओं तथा अधिकारों के पात्र नहीं हैं।

गृह मंत्री ने अब तर्क दिया है कि यदि हम नव-बौद्धों की मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो मुस्लमान तथा ईसाई भी अपनी मांगें रखेंगे। इन लोगों की मांग साधारण सी है। ये लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं तीन या चार व्यक्ति भूख हड़ताल पर हैं और उनकी स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। मैं इस सभा में आने से पहले उस पंडाल में गया, जहां ये लोग भूख-हड़ताल पर बैठे हैं। मैंने उन्हें कहा कि यदि उनकी मांग उचित है तो मुझे पूरा विश्वास है कि गृह मंत्री सभा में यह आश्वासन देंगे कि उनकी मांग पर विचार किया जायेगा।

Shri Charan Singh : The hon. member has given no new argument. Today these 5 persons are on hunger strike, tomorrow 6 persons from Janta Party will be on strike. Can the Government be run with strikes ? We had had enough of strikes. This is nothing but unnecessary pressure on the policies and actions of the Government....(Interruptions)

The questions of public importance cannot be solved with strikes. Suppose 2 lakh Hindus are converted into Budhism, will they get reservation like Harijans ? No, they will not.

Firstly they adopted Budhism and later on renounced it. This is a simple matter. They are enjoying all the facilities except demand regarding central services, which is a political demand (Interruption)

सौगत राय : मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये आश्वासन देंगे ? इन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ये आश्वासन नहीं दे रहे। मैं इन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा अब आधे-घंटे की चर्चा को लेगी ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये कोई अन्य समय निश्चित किया जायेगा।

इसके बाद लोकसभा बुधवार 23 नवम्बर, 1977/2 अग्रहायण, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 23rd November, 1977/Agrahayana 2, 1899 (Saka)

MGIPRRND—25 LSS/77—IIN/S—31-1-78—200